मजिस्ट्रेट !

इतिहास का यह एक दिलचस्प और शिक्षा भरा पृष्ठ है, जिसके लिये (मैजिस्ट्रेट और मैं) हम दोनोंकी कोशिशें हैं। मेरे हिस्सेमें यह मुजरिमोका कटघरा आया है और मैजिस्ट्रेट के हिस्से में कुर्सी। मैं समझता हूँ कि इस कार्यके लिये वह कुर्सी भी इतनी जरूरी चीज है जिस तरह यह कटघरा। आओ ! इस कहानी और यादगार बननेवाले कार्य को जल्द समाप्त कर दें। इतिहासकार हमारी ओर टकटकी लगाये है। भविष्य हमारी राह देख रहा है। आप हमें जल्द-जल्द यहां आने दें और स्वय भी जल्द-जल्द फैसला लिखते रहें। अभी कुछ दिनों तक काम जारी रहेगा, जब तक कि एक दूसरी अदालतका दरवाजा न खुल जाय। और वह अदादत खुदा के कानून की अदालत है। वक्त उसका जज है, वही फैसला लिखेगा और उसीका फैसला आखिरी फैसला होगा।

—आजाद

महात्मा गाँधीके विचार

मौलाना अवुलकलाम आज़ादने जो व्यान अदालतमें दिया, उसकी नकल मेरे पास पहुँची। मौलानाके व्यानमें वहुत वड़ी अदवी (साहित्यक) सौन्दर्य्यंता है। वह हकीकतके साथ जोश लिये हुए दिलेराना (वीरतापूर्ण) है। उनका ढग निर्भीक मगर ठोस तथा विश्वसनीय है। सारे व्यानमें शुरूसे आखीर तक भरपूर जोश भरा है। ऐसा मालूम होता है कि खिलाफत और राष्ट्रीयता पर मौलाना भाषण दे रहे हैं।

मौलानाका व्यान पढ़कर जव मैंने विचार किया, एक वात मेरे सामने आ गई अर्थात् अदालतोंके वायकाटकी असली जरूरत क्या है? मैंने सोचा कि अगर हमने ऐसा न किया होता तो यह खूवी और मजवूती हममें कहाँ होती जो हमारे अन्दर काम कर रही है?

इससे भी वढ़कर यह कि हमने अदालतोंका वायकाट न किया होता तो हमको आज मौलानाके इस आदर्श व्यानकी राजनैतिक खूवियोंसे भरी महान् शिक्षा न मिलती। अदालतोंके वायकाटका असर सिर्फ इसी चीजमें नहीं देखना चाहिये कि कितने वकीलोंने वकालत छोड़ दी। असली चीज यह है कि आजसे दो साल पहिले अदालतों में जो चहल-पहल दिखाई देती थी, वह अव कम हो गई है। लेन-देनके और कुछ दूसरे झगडेवाले ही अधिक नजर आते हैं, जिसमे देश व जातिका विशेष कोई सम्पर्क नहीं है।

मौलानाका व्यान अदालतके लिये ही है, लेकिन दर असल वह देश व कौम को सदेश दे रहे हैं। उन्होंने अपने व्यानके द्वारा जन्म-कैदकी इच्छा की थी, किन्तु एक सालकी कड़ी सजा सुनकर उन्होंने कहा था कि "मैं जिस सजाका हकदार था यह उससे वहुत ही कम है।"

अनुवादकके विचार

भारत में साम्प्रदायिक बीज बोनेवाले ब्रिटिश शासकोंकी नीतिका भंडा-फोड़ करनेवाले राष्ट्रीय मुसलमानोंमें मौलाना आजाद प्रमुख हैं। खिलाफ़त-आन्दोलन चल रहा था। उसमें महात्मा गान्धीने भी सहयोग दिया था। मौलाना आदिने खिलाफत-आन्दोलन को भारतके कोने-कोनेमें प्रचारित किया और देशके सैकड़ों मुसलमानोंको राष्ट्र-भक्त भी बना दिया, जिसके कारण वे दोबारा सन् २१ ई० में गिरफ्तार कर लिये गये। असहयोग-अन्दोलनको शक्तिशाली करते हुए उन्होंने अदालतमें जो ब्यान दिया, वह इतिहासकी साहित्यिक और वास्तविक वीर-गर्जना है, जिससे अमर सन्देशके रूपमें हमको स्फूर्ति मिलती रहेगी।

उसी ब्यानमें उन्होने यह भी कहा था कि—"आज हम जिस बगावतके जुर्म में सजा पायेंगे, कुछ समय बाद यह देशभक्तिका पुरस्कार समझा जायेगा और प्रकृति हम भारतवासियों को दासताके बन्धनसे अवश्य मुक्त करायेगी, क्योंकि हम शान्ति और धैर्य्यसे सारे अत्याचार सह रहे हैं। हमें त्याग और बलिदानसे सबसे बडी ईश्वरीय शक्तिका शुभाशीर्वाद मिला है, जिससे जल्द ही आजादीका पूरा अधिकार मिलेगा और यही नौकरशाही हमारे स्वागत और सम्मानमें अग्रसर होगी।" मौलानाका यह अटल विश्वास २५ सालके बाद पूरा और सच्चा हुआ। फिर ऐसा कौन होगा जो इस अमूल्य ब्यानको पुस्तकाकार पसन्द न करे? महात्माजीने स्वय इस कार्यके लिये प्रोत्साहन दिया था। उसी उर्दू पुस्तकका नाम कौल (प्रतिज्ञा) तथा फैसल (निर्णय) है, जिसका यह अनुवाद है। मौलानाका सकेत था कि भाषा सरल रहे, परन्तु कहीं-कहीं भाषा कठिन हो गई है जिसके लिए मैं मजबूर हूं। जहां-तहां अरबी आयतें आई हैं उनका अर्थ दे दिया है। मैं मौलाना साहबका बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अनुवाद और प्रकाशनका अधिकार देकर यह सौभाग्य प्रदान किया है। ईश्वर मौलाना जैसी विभूतिको अजर-अमर करे, जिससे राष्ट्र-निर्माणमें देश को बल मिलता रहे।

दिसम्बर १९५२,
जबलपुर।

सैयद कासिम अली

विषय-सूची

—❦❈❦—

कौल-फैसल

१

मौलानाकी गिरफ्तारीका कारण

सन् १९२१ ई० की बात है । बड़े-बड़े नेताओंकी गिरफ्तारी शुरु हुई, आखिरमें श्री सी० आर० दास और मौलानाकी गिरफ्तारी हुई । श्री सी० आर० दासकी गिरफ्तारी स्थानीय घटनाओंके सबब थी, लेकिन मौलानाका मामला दूसरा था। अगर १८ नवम्बरके बादके हालात सामने न आते, तब भी उनकी गिरफ्तारी अटल थी । एक सालके अन्दर शायद ही किसी ने साफ-साफ खरा चैलेञ्ज सरकार-को दिया होगा, जैसा कि मौलानाने दिया । खिलाफत और स्वराज्यके मामलेमें वे अंग्रेजी राज्यकी जड़ खोदते रहे और अपनी गिरफ्तारीकी दावत देते ही रहे। मार्च १९२१ में महात्मा गान्धीके साथ मौलानाने देश भरका तीसरा दौरा किया। उस समय लाहौर-अमृतसरमें पाबन्दी थी । न सभा हो सकती थी और न लेक्चर ही दिया जा सकता था । इसलिये महात्माजीने अपना लेक्चर गूजरानवालामें दिया, क्योंकि उस समय तक कानून तोड़नेकी इजाजत नही थी। परन्तु मौलानाने इन सबकी परवाह न करके सच्चाईके जोशमें लाहौरकी शाही-मसजिदमें जुम्मा-के दिन लेक्चर देनेकी सूचना कर दी । पंजाबके कई मिनिस्टरोंने महात्माजीसे शिकायत की कि जब कानून तोड़नेका अभी तय नहीं हुआ, तो मौलाना यह सब क्यों कर रहे हैं ? महात्माजीने कहा कि यह सब ठीक है, लेकिन मुल्क की पतवार

मेरे और उनके हाथमें है, मैं उन्हें रोक नहीं सकता। सरकार चुप थी। मौलाना ने देश-दशाका चित्र जुम्माकी नमाजके समय खींच दिया और दूसरा लेक्चर भी असहयोगपर उसी मसजिदमें इस तरह दिया कि लाहौरमें एक हलचल-सी मच गई। लाहौर के 'सिविल एण्ड मिलिटरी' अर्ध-सरकारी गजटने लिखा था—"इस कार्रवाईके जरिये पंजावको कानून तोड़नेका हौसला दिया गया है। मिस्टर गान्धी जव अपने साथीको रोक नही सकते। तव पंजाव सरकारको फौरन इस असहयोग आन्दोलनकी जड़ें मिटा देनी चाहिएँ। इसीलिये मार्शल-लाके अधिकारियों-ने शाही-मसजिदको इसी मजवूरीके कारण वन्दकर दिया था। अव सिविल-अधिकारियोंको भी गौर करना चाहिये।" ऊपरके हेडिङ्गमें था—**मसजिद में वगावती लेक्चर!** एक हफ्ताके वाद वे अमृतसर आये। वहा भी पावन्दी-के रहते हुए उन्होंने वही तूफ़ानी लेक्चर दिया। चूँकि उनको लखनऊ जाना था इसलिये वहां अधिक न ठहर सके, परन्तु पंजावको अपना राजनैतिक संदेश दे ही दिया और अधिकारियोंको भी खूव आड़े हाथों लिया। फिर भी पंजाव सरकार कुछ न कर सकी।

इसके वाद कराची-खिलाफत-कान्फ्रेन्सके प्रस्तावसे दोनों भाई मुहम्मदअली, शौकतअली और कई साथी गिरफ्तार हो गए। इनकी गिरफ्तारी १५ अगस्तको हुई थी और कलकत्तामें १८ अगस्तको खवर पहुँची। उसी दिन मौलानाने हालिडे-पार्कमें २० वीस हजारसे ज्यादा जनताके सामने सभा करके कहा था—

"जिस प्रस्तावके ऊपर अली-वन्धू गिरफ्तार किये गये हैं, वह इस्लामका एक माना हुआ मशहूर मसला है और हर मुसलमानका फ़र्ज़ है कि इसका एलान करे। वह प्रस्ताव मेरा ही तैयार किया हुआ है और मेरी ही अध्यक्षतामें सवसे पहिले इसी कलकत्ताके टाउनहालमें मंजूर हुआ था। मैं उससे भी आगे उसका साफ-साफ मतलव वतलाता हूँ। सी० आई० डी० रिपोर्टर अच्छी तरह समझ लें और नोट कर लें। अगर यह जुर्म है तो इस पर हमेशा मुकावला रहेगा।"

इसके वाद देहलीमें सेन्ट्रल-जमीयतुल-उलमा और खिलाफत-कमेटीका जलसा हुआ। दोनों सभाओंमे वही कराची-प्रस्ताव दोहराये गये और इसके साथ यह भी मौलानाने वतलाया—"अगर इस प्रस्तावको सरकार अपने खिलाफ समझती है, तो मैं हर मुसलमानसे इनके प्रचार और पास करानेको जोर देता हूं, क्योंकि यह इस्लामी हुक्म है।" इसका असर सारे देशपर पड़ा और सरकार दग रह गई कि यह क्या हुआ ?

उसके वाद मौलाना इस कराची-प्रस्तावको लेकर सारे देशमें घूमे। वम्वई, कराची, आगरा, लाहौर इत्यादि शहरोंमे गये। वम्वई, आगरा और लाहौरमे वह सदर भी हुए। आगरा-प्रान्त खिलाफत-कान्फ्रेन्समें उन्होंने सरकारको वह चैलेंज दिया था कि सव ताज्जव कर रहे थे। सवको गिरफ्तारीका अदेशा था।

अली-भाइयोंकी गिरफ्तारीके वाद महात्मा गान्धीने हिन्दु-मुसलमान नेताओंको वम्वईमें जमा करके एक मेनिफेस्टो छपवाया था। उसमें कराचीके उस प्रस्ताव-क समर्थन किया था—"मौजूदा हालतमें सरकारकी फौजी और सिविल नौकरीको मुल्कको इज्जतके खिलाफ कहना कोई जुर्म नही है और ऐसा कहना जायज भी है।" इसपर 'टाइम्स आफ इण्डिया अखवार' ने लिखा था—"सरकार इन मेनिफेस्टो (घोषणा-पत्र) पर दस्तखत करनेवालोपर कोई फौजी कार्रवाई नही करेगी, क्योंकि इस ख्यालको सिर्फ जवानसे कह देना कोई जुर्म नही है। वल्कि सिपाहियोंको वहकाना और उन्हें असहयोगकी दावत देना ही जुर्म और वगावत है। कराची-प्रस्ताव सचमुच अमल (सिद्ध) करके दिखाया गया है, इसलिये कराचीमें वह मुकद्दमा चलाया गया है।" यह वात वहुतसे कमजोर-दिलोंके लिये एक वहाना वन गई। कराची प्रस्तावपर वे तरह-तरहकी वातें करते-रहे, परन्तु कोरी हमदर्दी (सहानुभूति) से थोडे ही काम चलता है। लेकिन मौलाना ने वम्वई, आगरा तथा लाहौरके लेक्चरों और अपने लिखे व्यानोंमे डकेकी चोट कहा—"मैं सिर्फ अपनी कलम या मुहसे ही इस रायको पसन्द नही करता, वल्कि

दो सालसे लगातार इसपर खुद चल रहा और सभीको चला रहा हूँ और आयँदा भी इसपर अटल रहूँगा। मैं सभीसे खुल्लम खुल्ला-कहता हूँ कि वे भी ऐसा ही करे। मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि हर सिपाही तक इस सच्चे सदेशको पहुँचा दूँ। सरकारने पहिले सिर्फ अली-भाइयोंपर और उनके साथियोपर ही कराची-प्रस्तावका (इल्जाम) दोष लगाया था। लेकिन मौलानाके कई बार एलान करनेपर कि देशकी जमीयतुल-उल्माकी खिलाफतकी तैयारियां और फरवरी १९२० ई० खिलाफत-कान्फ्रेन्स कलकत्तामें मेरा खुदका प्रस्ताव था।" इससे सरकार चौंक गई और जैसे ही मुकद्दमा कोर्टमें पेश हुआ, सरकारी वकीलने उसको सुधार कर 'कलकत्ता-कान्फ्रेन्स' भी शामिल कर दिया। इसपर मौलाना-ने एक व्यान अखवारोमें फौरन छपाया कि उसमें अभी और भी जरूरी चीजें शामिल होना वाकी हैं। उससे सारे देशमें फिर एक हलचल-सी मच गई। वह व्यान यह था—

"सवसे पहिले कलकत्ता-कान्फ्रेन्सके लिये यह प्रस्ताव मैंने ही तैयार किया, या खुद अपनी कलमसे लिखा था या मेरी ही अध्यक्षता (सदारत) में स्वीकार हुआ। इसके वाद देहलीमें जमीयतुल-उल्माका जलसा हुआ और उसपर मैंने आदेशके रूपमे अपने दस्तखत किये। फिर वरेलीमें जमीयतुल-उल्माका जलसा हुआ। उसका भी मैं ही अध्यक्ष (सदर) था तथा अध्यक्षकी ओरसे ही उस प्रस्ताव को पेश करके स्वीकार करवाया था। इसके अतिरिक्त उसी विषयपर एक लेख 'खिलाफत' अखवारमें लिख चुका हूँ, जिसकी काफी कापिया विक चुकी है। फिर कलकत्ता, देहली, कराची, वम्वई इत्यादिमें भी मैंने ऐसा ही व्यान दिया है। मैं इसका भी विश्वास दिलाता हूँ कि यह मेरी सिर्फ मौखिक ही वार्ता न थी, वरन् उन शब्दोको कार्य-रूप (अमली) में परिणत करता हूँ एवम् सदा लोगोंको कहता रहूँगा कि वे सदैव इसका प्रचार करते रहें। यदि ये षड्यन्त्र ह तो इसके भुगतनेको लाख वार कबूल करता हूँ। गवर्नमेण्टको अली-भाईयों, जिन्होने

केवल मेरी नकल (अनुसरण) की थी, के पहले मुझपर मुकदमा चलाना चाहिये था ।"

३० सितम्बर १९२१ का यह ब्यान लगभग सब अंग्रेजी और उर्दू अखबारोंमें छप गया, परन्तु गवर्नमेन्ट की ओरसे बिल्कुल खामोशी रही एवं किसी प्रकारकी कार्रवाई मौलानाके विरुद्ध नहीं की गई । ये बात ठीक है कि इससे मुल्कको उस-पर अत्यधिक आश्चर्य हुआ था जैसा कि मौलानाने अपने "कथन" की धारा २ में संकेत किया है ।

यह कथन उन अनगिनत लेक्चरों और कारवाइयोंसे भिन्न है, जिनके कहनेमें वे बराबर बिना किसी रुकावटके बढते रहे । इन हालातमें यदि इतनी उलझनोंके बाद गवर्नमेण्टने उन्हें गिरफ्तार किया, तो वास्तवमें यह आशाके विरुद्ध बात नहीं है और हमको भी इसपर कोई आपत्ति नहीं है ।

आखिरमें ऐसा मालूम होता है कि भगवानकी माया उनकी गिरफ्तारी-से अस्थायी रूपसे कोई काम लेना चाहती थी । अतः उनकी गिरफ्तारी बहुतही आश्चर्यजनक रूपमें स्थगित होती गई और फिर ठीक उसी समय हुई जबकि क्रान्तिको जीवित रहनेके लिये उनकी अति आवश्यकता थी । यदि यही घटना दिसम्बरसे पहले हो जाती, तो ऐसा परिणाम कैसे होता जैसा कि दिसम्बरके पश्चात् वाली परिस्थितिमें मिलता है ?

१५ नवम्बरके बाद अचानक कौमी-स्कीम जिन परिस्थितियोंमें घिर गई थी, उनका केवल उन्हीं लोगोंको अन्दाजा है जो आन्दोलनोंके आन्तरिक विषयों से सम्बन्ध रखते हैं । यह वह अवसर था कि देश किसी नई राहका इन्तजार बड़ी व्याकुलतासे कर रहा था । इस सालके आखिरी दो महीने शेष रह गये थे, एवम् समस्त आशाओंका दारोमदार महात्मा गांधीके इस ब्यानपर था कि वे पहली दिसम्बरसे बारदोली शहरमें आम-असहयोग शुरू कर देंगे । परन्तु एकाएक बम्बईमें 'प्रिन्स आफ वेल्स' के दौरेके अवसरपर कुछ गड़बड़ी हो गई, जिससे

महात्मा गाँधीके दिलपर ऐसा बुरा असर पड़ा कि उन्होंने न केवल बारदौलीका प्रोग्राम मंसूख कर दिया वरन् लगातार तीन व्याख्यान प्रकाशित किये कि मौजूदा हालतमें अपने कार्यकी निष्फलता मान लेनी चाहिये। इससे सारे देशमें निराशा व उदासीकी एक लहर दौड़ गई। इसमें कोई शक न था कि लोगोंके दिल बैठ जाते। फिर २२ नवम्बरको जब कांग्रेस-वर्किङ्ग-कमेटीका जलसा हुआ, उस समय मेम्बरोंपर उदासीनता छाई हुई थी तथा कुछ समझमे नही आता था कि आन्दोलन जिन्दा रखनेका कौन-सा उपाय किया जाये। ईश्वरकी दया-दृष्टि उस क्षण हुई जबकि २२ नवम्बरको बम्बईमें लोग यही सोच रहे थे कि किस राह पर चला जाये? ठीक उसी समय गवर्नमेन्टने नये जोरसे सख्ती शुरू कर दी, जिससे कलकत्तामें एक नया दरवाज़ा खूल चुका था। गवर्नमेण्ट बंगालने स्वयसेवकोकी संस्था और उसे चलानेवालोंको कानूनके खिलाफ घोषित कर दिया। उसी क्षण कलकत्तावालोंने एक हजार हस्ताक्षरोसे रजाकारोंकी नई संस्था बना ली।

इसके बाद श्री सी० आर० दास और मौलाना कलकत्ता पहुँचे और उन्होंने मालूम कर लिया कि सफलताका असली क्षेत्र बंगालमें ही गर्म होगा। उन्होने आल-इन्डिया कांग्रेस-कमेटी या वर्किंग-कमेटी या महात्मा गाँधीकी आज्ञाके इन्तजारमे समय नष्ट नही किया, बल्कि उसी समय स्वयंसेवकोंके संगठनका कार्य शूरू कर दिया और वहां प्रतिदिन चार-चार, पाच-पांच सौ गिरफ्तारियोकी सख्या पहुँच गई। बंगालकी हलचलने दूसरे प्रान्तोमें भी असर डाला। चारों तरफ एक नई किस्मकी हलचल शुरु हो गई तथा अचानक देशमें एक ऐसी जिन्दगी पैदा हो गई कि लोगोके ध्यानसे पिछली उदासीन जिन्दगी ख्वाबकी तरह खतम हो गई।

खुद मौलानाको भी इस बातका पूरा विश्वास था जैसा कि उनके ८ सितम्बर के 'सन्देश' से जाहिर होता है। इसके अलावा ता० ४ से ता० ८ तक उन्होंने जो खत लोगोंको लिखे, उनमें भी उन्होने अपना मत व विश्वास खुलासा जाहिर

किया है। मौलाना किफायतुल्ला साहब सदर जमीयतुल-उल्मा देहलीके नाम जो खत लिखा था—

बुदायूंके जलसा (जमीयत) में आनेका पूर्ण विचार था, परन्तु यहा पहुँचकर जो हालत देखे और दिन प्रतिदिन जो कुछ जाहिर हो रहा है, मैं उनके बाद बहुत फिक्रमें हूँ कि कैसे कलकत्तासे निकल पा सकूं। कलकत्तासे निकलनेका यह अर्थ होगा कि मैं यहाँ काम करनेका सुनहरी मौका जबरन बरबाद कर दूं। मुझे ऐसा भरोसा होता है कि शायद असहयोगकी समस्या यहीं हल होगी। दिन-प्रति-दिन एक नई ज्योतिवान सफलताकी कड़ी खुलती जारही है। विश्वास कीजिये कि बुदायूंके जलसामें न पहुँचनेका मुझे भी अफसोस है, परन्तु मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालातमें कलकत्तासे निकलना आपत्तिसे खाली न होगा।"

इसके पश्चात्‌की बातोने प्रमाणित कर दिया कि उनका विचार किस कदर ठीक था!

कलकत्ताने पूरी ताकतके साथ मैदान जीत लिया और उसकी सफलता के सामने दुश्मनोको भी सर झुकाना पड़ा। खेद है कि दुर्भाग्यवश देशके सहकारियोंकी बुद्धिने गल्ती की और क्रमश. ये गल्तियां होती रहीं कि १८ से २३ दिसम्बर तक जो बड़ी विजय हुई थी, उसे पराजयका रूप धारण करना पड़ा।

२

मुकद्दमे सम्बन्धी कुछ विशेषताएँ

अब हम पाठकोंका ध्यान उन बातोंकी ओर खींचना चाहते हैं, जिनके कारणोंसे ही यह छोटा-सा मुकद्दमा देशके कई पोलिटिकल मुकद्दमोंमें एक विशेष स्थान रखता है और जिसमें हमारी नीति, सदाचार और राजनैतिक जीवनके लिये अत्यधिक कीमती आदर्श मौजूद हैं।

पूर्ण सत्या-ज्योति—

सबसे पहले जो चीज़ हमारे सामने आती है, वह है मौलानाका शक्तिशाली व्यक्तित्व। जो इतना उच्च प्रभाव रखता था, जो उनकी जन-सेवाके हर हिस्सेमें हमेशा रोशन रहा है तथा जिसे कैदखानेकी चार सालकी नजरबन्दीमें अच्छी तरह हम परख भी चुके हैं। परन्तु अदालत और नजरबंदीमें काफी अन्तर है। नजरबन्दीमें तो कोई मौका नहीं मिलता कि तर्क, वाद-विवाद या अपनेको मुक्त कर सकें। लेकिन अदालतका सजा देना डिफेन्स और तर्कके आधार पर ही है। हकीकतमें एक नेताकी हलचल और क्षमता अदालतमें ही जाँची जा सकती है।

इस परिस्थितिको दोनों ओरसे जाँचना चाहिये। इस विचारसे भी कि अधिकतर एक देश-नेता और राजनैतिक लीडरका फर्ज गिरफ्तारीके बाद अदालतमें क्या होना चाहिए? और इस विचारसे भी कि विशेष तौरपर असहयोगी विचारोंके अन्तर्गत एक सच्चे असहयोगीको अदालतमें क्या कहना और करना चाहिये? मौलानाकी विचारधारा इन दोनों परिस्थितियोंमें हमारे लिये शिक्षाप्रद सिद्ध हुई हैं।

सबसे बड़ी चीज़ 'कौल' और 'अमल' (प्रतिज्ञा और अनुसरण करना) की सच्चाई है, अर्थात् हम जो कुछ कहा करते हैं समय पड़नेपर ठीक-ठीक वैसा ही वरन् उससे भी ज्यादा कार्य रूपमें करके दिखाएँ। मौलानाने अपने विचार तथा कार्योंमें दिखा दिया कि वे समयपर अपनी कोई बात और कोई दावा भी वापस नही लेना चाहते।

एक नेता जब गवर्नमेन्टके विरुद्ध अपना मत और कार्य धारण करता है और सच्चाईके कहनेमें अपने आपको निडर और बेपरवाह बतलाता है, तो वह बार-बार प्रकट करता है कि वह हर तरहके बलिदानोंके लिये तैयार है तथा गवर्नमेण्टको चैलेञ्ज देता है कि उसे जब चाहे गिरफ्तार कर ले। परन्तु जब गवर्नमेण्ट स्वयं उसी-के द्वारा चुने हुए एवम् पसन्द किये हुए मार्गके अनुसार उसे गिरफ्तारकर लेती है और अपने दृष्टिकोण तथा कानूनके अनुसार मुजरिम ठहराकर सजा दिलाना चाहती है, तो फिर उस समय सोना अग्नि पर तपने लगता है और खोटे-खरेकी पहचानकी घड़ी आ जाती है। हम देखते हैं कि उस समय तीन प्रकारकी तबियतें तीन प्रकार की राहें तैयार करती हैं—

१. कुछ लोग वे हैं, जिनके जबानी दावोंके अन्दर कोई आदर्श, ईमान और सच्चाई नही होती। वे फौरन अपने दावोंसे मुक्त हो जाते हैं, बदल भी जाते हैं और अपने कियेपर पश्चाताप करके सर झुका देते हैं। यह सबसे नीचा दर्जा है।

२. कुछ लोग वे हैं, जो उससे कुछ ऊँचा दर्जा रखते हैं। उनकी तबियत उस महत्वके गिर जानेको तो पसन्द नही करती परन्तु सज़ासे बचनेके लिये वे भी व्याकुल होते हैं। इसलिये वे भी फौरन अपना विचार बदल देते हैं और अदालतमें प्रकट करने लगते हैं कि जो कुछ वे करते रहे हैं उसका मतलब वह नहीं है, जो गवर्नमेण्टने समझा है बल्कि कुछ दूसरा ही है। फिर तरह-तरहसे बातें बनाते हैं कि जैसे विरोधीको भी अपना बनाना चाहते हों। कभी पुलिस और सी० आई० डी० की रिपोर्टोंको बिल्कुल झूठा कह देते हैं, कभी अपने किये हुए और लिखे हुए

व्यानोंको तोड़-मरोड़कर कुछका कुछ वताना चाहते है और कभी गवर्नमेंटकी शिकायत करते हैं कि क्यों वेफ़ायदा बिना कसूर उन्हें गिरफ्तारकर लिया ? तात्पर्य यह है कि अपनी समस्त पिछली बीती हुई वारदातोंको दवाकर एक नया ढंग बना लेते हैं। और यदि वे सजासे न वच सकें, तो सजासे वचनेके लिये जितनी भी टाल-मटोल कर सकते हैं उसमे वे कमी नही करते पहले प्रकारके लोगोंकी तरह ये भी वादको अपने विचारोंकी सहायतामें जो वहाना वनाते है कि लड़ाई भी एक धोखा है और इस धोखेके ज़रिये सरकारसे वचकर हम मोर्चा मजबूत करते है, उसे लोग प्रायः ठीक समझ लेते है; क्योकि वे ऐसे कई विचार पेश करते हैं कि लड़ाई भी एक प्रकारका ढोंग है। हमने सिर्फ अपने बचावके लिये दुश्मनसे चालाकी की थी। वास्तवमे हमारे दिलमें वही है जो पहले था और लोग भी इसे सच मान लेते है।

ये वात मानो इस तरह अकाट्य और पूर्ववोधित है कि जव कोई लीडर अदालतमें ऐसी धारणा वना लेता है, तो जनता विल्कुल आश्चर्य नही करती और समझ लेती है कि यह सब कुछ सिर्फ अदालतके लिये किया गया है, जहाँ ऐसा करना ही चाहिए या पोलिटिक्स (Politics) में ऐसा करना ही पड़ता है। मानो पालिटिक्स में झूठ, दगावाजी, फूट, दोरंगी, अपमान, खुदगर्जी, ढोंग और वनावटीपन के सिवा कुछ चारा नही है।

३. कुछ लोग इन दोनो किस्मोसे भी उच्च, अत्यधिक शक्तिवान और निडर दिल रखते हैं। इसलिये अदालतके सामने भी उनकी हिम्मत व जोश उसी मान-मर्यादापर अड़ा रहता है, जिस तरह जनताके जमघटमें नजर आता है। परन्तु अधिकतर खास अवसरोपर उनके विचारोपर ध्यान दिया जाता है, तो वे भी अछूते और आदर्श प्रमाणित नहीं होते। क्योंकि वे सारी वातें तो हिम्मत व निडरताकी करते हैं, परन्तु वास्तविकताको मानने या उसकी क्षमतासे उनको घवराहट होती है; अर्थात् अदालतकी सजासे वचनेके लिये वे भी कोई टाल-मटोलमें कमी

उठा नहीं रखते। यद्यपि उनकी टाल-मटोल अत्यधिक कानूनी वहन और भयानक प्रभावशाली होती हैं, पर पिछले दो दर्जोंकी तरह खुल्लम-खुल्ला स्पष्ट नहीं होती। वे गवर्नमेंटके विरोधमें इन्कार तो नहीकरते, परन्तु इसके साथही अदालत और कानूनकी आड़मे शरण भी लेना चाहते हैं; अर्थात् यह प्रकट करते हैं कि उन्होंने सब कुछ कहा और किया है लेकिन सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि अदालत और कानूनके आधारपर वह हर तरह से एक उचित कार्य था और किसी तरह भी सजाके योग्य नहीं हो सकता। साथ ही वे इस बातकी बड़ी शिकायत करते हैं कि बिना कसूर उन्हे गिरफ्तार किया गया तथा अदालतको भी इसे माननेपर लाचार करते हैं कि उन्हें सजाका देना बहुत अन्याय होगा। यह विचार उनका उस गवर्नमेंट और गवर्नमेण्टकी अदालत में होता हैं, जिसके जुल्म व अन्यायका वे सब प्रतिदिन रोना रो चुके हैं और जिसके न्यायसे उन्होंने सदैव निराशा प्रकटकी है तथा जिसके प्रति उन्हे यकीन भी हैं कि चाहे कितनी ही कानून और न्यायके नाम पर अपीलें की जायें, परन्तु उन्हें सजा दिये बिना नही छोड़ा जायेगा।

यह आखिरी किस्म मानो सबसे उच्च और अच्छासे अच्छा दर्जा है, जो हमारी राजनैतिक (Political) हलचलका दौर इस समय तक पैदाकर सका हैं; परन्तु 'कौल और फेल' (प्रतिज्ञा और कार्य) के अनुसार उनकी कार्यशैली भी खोखली हैं। यदि सचमुचमें वह अपने समस्त दावोंमें सच्चे थे और स्वतन्त्रताका निमन्त्रण और सत्य-पूजाके फल भुगतनेके लिये तैयार थे, तो चाहिये था कि वे अपनी गिरफ्तारी और सजा पानेका हक बिना किसी दलील और शिकायतके स्वीकार करते और साफ-साफ कह देते कि वास्तवमें हमने ऐसा काम किया है, जिसपर गवर्नमेंटके दृष्टिकोणके अनुसार सजा मिलनी ही चाहिये। क्योंकि स्वय अपनी पसन्दसे यह मार्ग चुना है, इसलिये उसके फलके लिये वे किसी तरह गवर्नमेण्टकी बुराई भी नही करते। गवर्नमेण्ट संसारके समस्त प्राणियोंकी तरह निःसन्देह अपने दुश्मनोको भरपूर सजा देगी, फूलोका ताज नही पहनायेगी।

अतः जब एक बात स्वाभाविक और अनिवार्य है, तो उसका किस तरह निवारण किया जाये ? यदि निवारण योग्य है, तो आजादी और न्यायकी माँगके मार्ग-पर चलना ही नहीं चाहिये ।

परन्तु मौलानाके विचार, कार्य तथा व्यवहार इस विश्वाससे बिल्कुल एक नई राह हमारे सामने खोलते हैं । उन्होंने बतला दिया है कि 'कौल' व 'फेल' (प्रतिज्ञा और कार्य) के मुताबिक सच्ची सत्यसेवा के अर्थ क्या हैं ? उन्होने अपने ब्यानमें सबसे पहले इसी सवालपर बहस की है । उन्होने साफ-साफ मान लिया है कि वे मौजूदा गवर्नमेण्टकी नजरों तथा कानूनके अनुसार सचमुच 'मुजरिम' है और उन्होंनें कभी भी कोई शिकायत नहीं है कि गवर्नमेण्ट उन्हे सज़ा दिलाना चाहती है । उससे भी बढ़कर यह कि जब उन्होंने इस मुकद्दमेके संग्रह-को बहुत ही नाजुक पाया, तो एक ऐसी शक्तिके साथ जिसका कोई उदाहरण ही नही मिलता, मुकद्दमेंके और भी प्रमाणोंकी विशेष जिम्मेदारी अपने ऊपर लेली और स्वयं अपनी कलमसे समस्त बातें लिखदीं जिनका प्रमाण मुकद्दमे-के लिये बहुत आवश्यक था और मिसिलमें शामिल न था । वह सब फिरसे शामिल कराया । इस प्रकार अदालतपर अच्छी तरह स्पष्ट हो गया कि सरकारके दावेसे भी कही अधिक वे कानूनके मुजरिम है और यह बिल्कुल एक स्वाभाविक बात है कि उन्हें सज़ा दी जाये ।

इसीलिये हम स्वयं उन्हींके मुखसे सुनते है कि उनकी भावना ब्यान देने-के लिये न थी; क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके विरुद्ध गवर्नमेण्टको जो कुछ कहना चाहिए वह सब कुछ पेश कर देगी । परन्तु जब कार्रवाई शुरू हुई और उन्होंने देखा कि केवल दो लेक्चर (भाषनों) के आधारपर ही मुकद्दमा दायर किया गया है और वह उन बहुत-सी बातोसे बिल्कुल खाली है जो सदैव वे कहते रहे हैं, तो उन्होंने महसूस किया कि—"गवर्नमेण्ट मेरे विरुद्ध सम्पूर्ण जरूरी चीजें हासिल करानेमें सफल नहीं हुई, इसलिये मेरा कर्त्तव्य है कि मै अदालत-

की वास्तविकता बता दूं। परन्तु सच्चाई का कानून अदालती तरीकोंकी टाल-मटोलों के समान नहीं है, इसलिये विश्वास कीजिये कि यह सच्चाईके विरुद्ध होगा कि एक बात केवल इसलिये गुप्त रहने दी जाये कि दुश्मन अपनी कमजोरीके कारण प्रमाणित न कर सका।"

इसके बाद उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वह क्यों 'जुर्म' को स्वीकार करते हैं? वे कहते हैं—"इसीलिये कि जब एक जाति अपने देशकी आजादीकी कोशिश करती है, तो उसका मुकाबला उस ताकतसे होता है जो काफी समयसे उसके देशपर अधिकार जमाये हुये होती है। कोई व्यक्ति यह पसन्द नहीं करेगा कि उसके अधिकार में आई हुई चीज वापिस चली जाये और जहाँ तक उसके बसमें होता है वह अपने लाभके लिये प्रयत्न करता है। यह प्रयत्न कितना ही न्यायके विरुद्ध हो, परन्तु किसी तरह भी बुराईके योग्य नहीं है; क्योंकि प्रत्येक मानव अपनी रक्षाके लिये जरूर हाथ-पाँव मारेगा। ऐसा ही मुकाबला हिन्दुस्तानमें शुरू हो गया है। बस यह आवश्यक है कि जो लोग वर्तमान कशमकशके विरुद्ध प्रयत्न कर रहे हैं, सरकार भी अपनी नीति से प्रयत्न करे और जहाँ तक हो सके उनको सजायें दे, क्योंकि वे न सिर्फ प्रयत्न ही करनेवाले हैं वरन् इस प्रयत्नकी दावत देनेवाले भी हैं। इसीलिये जरूरी है कि उन्हें सजा दी जाये और अधिकसे अधिक सजा दी जाये।" मौलाना कहते हैं—"क्या मैं गवर्नमेण्टसे यह आशा रखूं कि वह अपने विरोधियोको प्यार करेगी? वह तो वही करेगी जो सदैव ताकतने आज़ादीके प्रयत्नोंके मुकाबलामें किया है। बस ये एक ऐसा स्वाभाविक मामला है जिसमें दोनों पार्टियोंके लिये शिकायत-के लिये कोई स्थान नहीं। दोनोंको अपना-अपना काम किये जाना चाहिये।"

उन्होंने अपने ब्यानके आखीरमें इसको भी मान लिया है कि—"आज़ादी तथा अधिकारकी माँगके प्रयत्नोंके सामने संसारकी प्रबल गवर्नमेण्टें जो कुछ कर चुकी है, उसको देखते हुए यह मान लेना चाहिए कि हिन्दुस्तानमें इस समय जिस प्रकार जुल्म हो रहा है वह बहुत ही कम है।"

कैसी वेलाग् और पवित्र सत्यता है, जो इस ब्यानसे टपक रही है ! क्या इससे भी वढ़ कर सत्याचरण और दृढ़ताका कोई उदाहरण हो सकता है ?

लोगोंको सत्याचरणके उस नये नमूनेपर यदि आश्चर्य हो, तो कोई हैरानी की वात नहीं; क्योकि अभी हम इस मंजिलसे वहुतही दूर पड़े हुए हैं। अभी तक तो हमारा यह विचार था कि पालिटिक्स (Politics) में हर तरहकी हठधर्मी और मिथ्याचरण तक भी उचित है। लेकिन मौलानाकी यह भावना विचारोंसे किस कदर भिन्न है, इसका अनुमान निम्नलिखित घटनासे होगा।

मौलानाने उपरोक्त वातें लिखते हुये ये शब्द लिखे है—"कहा जा सकता है कि पहिली पार्टीकी तरह दूसरी पार्टीकि प्रयत्न भी वुराईके योग्य नही, अर्थात् जातिकी तरह गवर्नमेण्ट भी अपने प्रयत्नोंमे वुराईके योग्य नही। क्योकि ये विचार आम विचारसे विल्कुल ही दूर हैं और लोगोकी समझमें किसी तरह यह वात नही आ सकती थी कि गवर्नमेण्टको भी उसकी जवरदस्तीमें वुराईके अयोग्य माना है। इसलिये सव अखवारोने उसे लिखावटकी गलती समझा और 'कहा जा सकता है' की जगह 'कहा जाता है' वना दिया। मानो गवर्नमेण्ट या उसके तरफदार ऐसा कहते हैं, वरना वास्तवमें ऐसा नही है। यद्यपि उसके वादकी धारा विल्कुल इस तव्दीलीके विरुद्ध थी।"

यह जो कुछ हमें नजर आया, मौलानाके लगातार प्रयत्नोंका ही फल था। अगर 'असहयोग' का प्रोग्राम (Programme) न होता, तव भी वे ऐसा ही करते। परन्तु अव उस विश्वाससे भी देखना चाहिए कि 'असहयोग' का ध्येय पूरा रखते हुए उनके विचारोका क्या हाल है ?

असहयोग और अदालतके वहिष्कारसे ध्येय यह था कि अदालतमें किसी तरहकी भी उज्रदारी (Defence) न की जाये, अर्थात् अपनेको सज़ासे वचानेके लिये कोई कार्रवाई न की जाये। क्योकि असहयोगी (Non Co-operator) को अदालतके अन्यायसे असन्तोष है, इस विश्वाससे भी मौलाना ने हमें वतला दिया है कि पैरवी न करनेके क्या अर्थ हैं ?

बहुतसे लोगोंने उजर न करनेपर केवल इतना ही अमल किया कि अदालती नियमके अनुसार वकील और कानूनपेशा व्यक्तियोंको अपनी तरफसे नियुक्त नहीं किया। परन्तु जहाँ तक सम्बन्ध असल पैरवीका है, उसमें उन्होंने कोई कमी नहीं की। पूरी तरह अपनी बेकनूरी (निर्दोषता) और मुकद्दमेके विरुद्ध कानून व न्याय होनेपर बहसोंकी और हर तरहकी कानूनी सामग्रीसे मुकाबिला किया और कुछ हालतोंमें अदालतोंसे न्यायकी अपील भी की गई; अर्थात् स्वयं अपनी ज़बान व कलमसे वे सब कुछकर गुजरे जो वकील और कौंसिल (Council) उनकी तरफसे कर सकती थी। बस वास्तवमें ये पैरवी 'न कराना' नहीं हुआ बल्कि 'स्वयं पैरवी करना' हुआ।

परन्तु मौलानाकी भावना किस तरह एक समान और पूर्ण रूपमें पैरवीसे मुक्त है? उन्होंने निर्दोषता दिखानेकी जगह जुर्मको साफ-साफ मान लिया और बजाय न्यायकी अपील करनेके अदालतको स्वयं ही अपने समस्त जुर्मों-की सूची सुना दी। साथ ही शुरूसे आखीर तक किसी तरहकी कानूनी बहस नहीं की। एक शब्द भी इस बारेमें हम उनकी ज़बानसे नहीं सुनते। यहाँ तक कि वे यह भी नहीं पूछते कि जो दफा उनपर लगाई गई है, वास्तवमें उनके भाषण (Speeches) उसमें आते भी हैं या नहीं? और आते हैं तो क्योंकर? वे तो स्वयंही अपने भाषणोंके समस्त उद्देश्य तथा भाव प्रकट कर देते हैं और सी० आई० डी० की रिपोर्टोंकी अयोग्यतासे जहाँ कहीं कोई कमी रह गई है, उसको भी मुकद्दमेकी सुविधानुसार पूर्ण करा देते हैं। और अदालतोंके बहिष्कारका वास्तविक भाव वह था, जिसका पूरा नमूना हम उनमें देखते हैं। उसमें यह भी नहीं था कि उज्र (Defence) और मुक्तिका एक तरीका छोड़-कर दूसरा उपाय निश्चित कर लिया जाये।

जो लोग न्यायप्रिय हैं, वे निसन्देह इस विचारधारासे जरूर प्रभावित हुए होंगे। मौलानाके बाद ही लाहौरमें लाला लाजपतरायपर दोबारा

मुकद्दमा चलाया गया लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वे कोई ब्यान देगें ? तो जवाबमें उन्होंने कहा—"क्योंकि ब्यानमे कानूनके आधारपर अपनी मुक्तिको आसश्यक समझकर लिखना पड़ेगा और यह वात एक असहयोगी (Non Co-opretor) के कर्त्तव्यके विरुद्ध है, इसलिए ध्यानसे देखनेके पश्चात् अब मेरी राय यही हो गई है कि कोई ब्यान नही देना चाहिए ।" अर्थात् उन्होंने भी मौलानाके ही विचारोंका समर्थन किया ।

जव तक एक सच्चाई दृष्टिसे दूर रहती है, उसका अधिकतर कुछ भी पता नही लगता । परन्तु जव वह सामने आ जाती है, तो फिर आश्चर्य होता है कि इतनी साफ वात क्यों लोगोंको महसूस नही हो हुई ? यही हाल इस विषयका है । मौलानाका ब्यान पढनेके वाद निःसन्देह आश्चर्य होता है कि क्यों इस कदर साफ और सच्ची वातसे वड़े-वड़े लीडरों (Leaders) को हिचकिचाहट रही ? यह सच है कि हम वर्तमान गवर्नमेण्ट और कूटनीतिज्ञ सरकारके विरुद्ध प्रयत्न करते है और साफ-साफ कहते है कि हमारा उद्देश्य उसके कब्जेसे अपना अधिकार वापिस लेना है तथा ये विल्कुल विश्वस्त वात है कि हम जो कुछ भी कर रहे है वह हमारे तर्क और विश्वाससे चाहे कितना ही ठीक हो, परन्तु वर्तमान गवर्नमेण्ट-के कानून और पोज़ीशन (Position) की नीतिसे अवश्य जुर्म है और विना संशयके दफ़ा १२४ ए के अन्दर आती है, अर्थात् 'गवर्नमेण्टके विरुद्ध क्रान्ति और नफ़रत फैलाना' है । पर यदि हम इस वातसे वेखवर है तो हम उस कामके योग्य ही नही हो सकते । यदि जानवूझ कर ऐसा कर रहे है तो फिर हमको मान लेना चाहिए कि गवर्नमेण्ट और गवर्नमेण्टके नियुक्त आदेश और कानूनके आधारपर हम अवश्य मुजरिम है और हमें सजा दिलानेका उसको अधिकार है । इसमे वचाव और मुक्तिके लिये नुकताचीनी क्यों की जाये और शिकवा-शिकायत भी क्यों हो ? क्या लोग ऐसा समझते है कि वे गवर्नमेण्टके विरुद्ध प्रयत्न भी करेंगे, उसे योद्धा दुश्मनोंके समान चैलेञ्ज भी

देंगे; फिर भी वह उन्हें गिरफ्तार न करे और व्यर्थ मामूली-मामूली सजाएँ भी न दे? मौलानाके लफ्ज़ोंमें कहना चाहिए कि—"गवर्नमेण्ट माफी देनेवाली नहीं है। या फिर मान लेना चाहिए कि जो कुछ जबानसे कहा जाता है वह दिलमें नहीं है। ज़बान चैलेञ्ज देती है, मगर दिलमें यह होता है कि हम अन्त तक बचते रहेंगे। ज़बानी घमण्ड कर रहे है, नहीं तो सचमुच क्यों नहीं पकडे जायँगे?"

इसी सिलसिलेमें मौलानाके विचारोंकी एक और सच्चाई हमारे सामने आई है। उन्होंने कैसी सफाई और सच्चाईके साथ मान लिया है कि सी० आई० डी० के रिपोर्टरोंने उनके विरुद्ध जो कुछ कहा वह ठीक है। इसमें कोई बात बनावट की नहीं।

हमारे राजनीतिक (Political) आन्दोलनोंके इतिहासमें ये सबसे पहला उदाहरण है कि इस उदारताके साथ स्वयं मुल्ज़िम ने उन लोगोंकी गवाहीको सच बनाया है, जो मुल्ज़िमके विरुद्ध इसकी कोशिशकर रहे हैं कि आजीवन कैद की सज़ा दिला दी जाये।

मानवकी एक सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि वह पार्टीबाजीमें अपने आपको सुरक्षित नहीं रख सकता। सच्चाईके लिए सबसे अधिक परीक्षा उसी वक्त होती है, जब वह दुश्मनोंके मुकाबलेमें खड़ा होता है। हम प्रतिदिन देखते हैं कि हमारे बड़े-बड़े नेता भी इसमें कोई विशेषता नहीं समझते कि विरुद्ध पार्टी को वक्त जरूरत गलत दोष लगा दिये जायँ, या कमसे कम उनके पक्षमें कोई शब्द ज़बानसे न निकाला जाये। वे कहते हैं कि यह एक तरह का जंग है, गलत-बयानी अथवा झूठ नहीं। वास्तवमें यह योरोपकी राजनीतिक चाल है। योरोपसे तङ्ग आकर हम भी शौक़से उसका अनुसरण कर रहे हैं।

एक बड़ी शिक्षाप्रद सच्चाई मौलानाके विचारोंकी दृढ़ता और प्रभावशीलता

है। ये गुण भी ऐसे है जिनपर गौर करनेकी हमारे कौमी नेताओं और कार्यकर्त्ताओंको वड़ी ही जरूरत है।

ये कुदरती कमजोरी प्रायः सवमें है कि दुश्मनके मुकावलेमें हम क्रोधके आवेगसे भर जाते है। वास्तवमें इस हालतमें जव कि दुश्मन वड़ा हो और पूर्णाधिकारी हो, एक लीडर अथवा वडे आदमीको आम व्यक्तियोसे अधिक अपने ऊपर कावू रखना चाहिए। किसी व्यक्तिकी वडाईके लिये यह कम से कम वात है कि वह वक्तपर अपने क्रोध को पी सके। वहुतसे लोग यह गलती भी कर जाते है कि वहादुरी, हिम्मत अथवा जोशमें फर्क नही समझते तथा वहुत अधिक क्रोधमें आ जानेको ही हिम्मत व वहादुरीकी वात समझते है। यद्यपि सच्चा वीर वही है जो कष्ट सहनेमें इस कदर शक्तिवान् हो कि कष्ट देखकर उसे क्रोध ही न आये। इसके अतिरिक्त क्रोध और जोशमें वास्तविक सच्चाईकी गम्भीरता भी जाहिर नही हो सकती।

मौलानाके व्यवहारिक कार्य-क्षेत्र और विचारोंकी एक वडी खूवीकी वात उनकी अत्यधिक स्थायी गम्भीरता है। अदालतकी समस्त कार्रवाइयोमें कही भी यह देखनेमें नही आता कि वे क्रोधमें भरे हुये है या अपनेको दुश्मनके अधिकारमें पाकर आवेग में आ रहे है। इसके विरुद्ध उनके 'व्यान' की हर पक्ति-से पूरी शान्ति और दृढ गम्भीरता टपकती है तथा जिस तरफ देखो जोशका कोई असर जाहिर नही होता। उन्होंने कठोरसे कठोर जोशके मौकेपर तथा पोलिटिकल विषयोपर इस प्रकार वहसकी है मानो एक व्यक्ति अत्यधिक सादगीके साथ घटना व कथनोंपर लेक्चर दे रहा हो। जैसे कि वे गिरफ्तार होनेके पश्चात् जोशसे विल्कुल खाली हो गये थे!

इससे भी अधिक प्रभाव उनके व्यान का अन्तिम रूप है, जहाँ उन्होंने उन समस्त लोगोंका वर्णन किया है, जो उनके विरुद्ध मुकद्दमेमें काम कर रहे थे। अपने विरोधी गवाहों, सरकारी वकील और मैजिस्ट्रेट के वारेमें पूरी खुशी-

के साथ लिख दिया है कि इन्हें कोई शिकायत व दुःख उनसे नहीं है और यदि उनसे कोई दोष इस बारेमें हुआ भी है तो वे सच्चे दिलसे क्षमाकर देते हैं। मैजिस्ट्रेट के लिये लिखा है कि वह अपना कर्त्तव्य कर रहा है और राज्यकी मशीनरीका एक भाग है। जब तक मशीनरीमें तब्दीली न हो, उसके हिस्सोंके कर्त्तव्योंमे भी कोई परिवर्त्तन नहीं हो सकता। बस उससे भी उन्हें कोई शिकायत नहीं है।

उनके ब्यानका अन्तिम भाग अत्यधिक प्रभावशाली है। वह पुरानी ऐतिहासिक स्मृतिकी तरह हमारे साहित्य (Literature) मे अमर रहेगा। इसी तरह ब्यानके बहुतसे वाक्य अपने शाब्दिक सौन्दर्य तथा अर्थपूर्ण सच्चाईके कारण सदैव याद रखे जाएँगे। हम ब्यानमें जो शिक्षाएँ, आवश्यक ढग, हृदयग्राही इस्लामी आदर्शोंके विद्वत्तापूर्ण प्रतिनिधित्व, देशका कर्त्तव्य और जातिकी भलाईके महान् विचार देखते हैं, उन्हें पाठकोंके निर्णयपर ही छोड़ते हैं और खुद मौलाना ही के शब्दोंमें ये कह कर अपनी आलोचना समाप्त कर देते हैं कि—"भविष्य जो निर्णय करेगा, उसीका निर्णय आखिरी निर्णय होगा।"

३

सन्देश

"व कौलिल हम्दो लिल्ला हेसायोरीकुम आयात ही फतह रिफ्युनहा व मारब्बोका वेगाफिलिन अम्मा तामालून" (उस सर्वशक्तिमान्से डरो—वह यह सब कुछ देख रहा है।)

मवाशे गमज़दा उरफी के जुल्फो कामतयार—जजाये हिम्मते आली व दस्त कोताह मास्त!

आज ८ दिसम्बर १९२१ की सुबह है। कल शामको मुझे विश्वसनीय तरीकेसे खबर मिल गई है कि बङ्गाल गवर्नमेण्टने वायसरायकी सलाहके पश्चात् मेरी और श्री सी० आर० दासकी गिरफ्तारीका निर्णय कर लिया है। मेरे सम्बन्धमें गवर्नमेण्टका विचार यह है कि यदि मैं ग्यारह तारीख तक कलकत्तासे बाहर न गया, तो वह मुझे गिरफ्तार कर लेगी। परन्तु यदि मैं बुदायूके जलसा जमियतुल-उल्माके लिये चला गया, तो फिर समझ लो उसके सरसे मुसीबत टल जायेगी। केवल श्री सी० आर० दास गिरफ्तार कर लिये जाएँगे।

मेरा समस्त समय बङ्गालसे बाहर हिन्दुस्तानके कार्योंमें व्यतीत होता रहा है। इस समय भी मैं आन्दोलनके अत्यन्त ज़रूरी कार्योंमे व्यस्त था, और २५ दिसम्बर तक का प्रोग्राम (Programme) मेरे सामने था। परन्तु एका-एक बङ्गालमें गवर्नमेण्टकी सरगर्मी शुरू हो गई और उसके बाद दूसरे सूबों (प्रान्तों) में भी इसकी नकलकी गई। मैं कांग्रेसकी वर्किंग-कमेटी (Working Committee) के जलसेके कारणसे बम्बईमें था। महात्मा गांधीसे मैंने सलाह की। उन्होंने कहा कि कुछ दिनोंके लिये कलकत्ता चला जाना

जरूरी है। इसलिये पहली दिसम्बरको मैं कलकत्ता पहुँचा। मैंने देखा कि गवर्नमेण्टने अन्तिम हद तक अशान्ति पैदा करनेका विचारकर लिया है और कोई योग्य उपाय ऐसा नहीं है जो २४ तारीखकी हड़ताल रोकनेके लिये अमलमें न आ रहा हो।

लोग पूरी कोशिश और सन्तोषके साथ शान्तिमय हैं।

मेरा पहला कार्य यह था कि लोगोंके विश्वास और दृढ़ता दोनोंके बारेमें भरोसा कर लूं। यह भरोसा मुझे पाँचतक प्राप्त हो गया। अब मैंने सोचा कि कलकत्तासे बाहर जाऊँ या न जाऊँ? बदायूंके जलसेके अभावमें जाना भी अत्यन्त आवश्यक था। छः तक लगातार उलझा रहा। मैंने गांधीजीको लिख दिया कि शेष कार्योंके लिये श्री सी० आर० दास काफी होंगे। मैं बदायूं होकर बम्बई आता हूँ। परन्तु छः की शामको एकाएक परिस्थितिने दूसरा रूप धारण कर लिया। मैंने समझ लिया कि गवर्नमेण्टकी सम्पूर्ण शक्ति कलकत्तामें इकट्ठी हुई है और मानो मुकाबलेके निर्णयका मैदान यही पैदा हो गया है। इस मेरे लिए आवश्यक हो गया और सब कार्योंको भूलकर मैंने निर्णयकर लिया कि अब मैं यहीं रहूँगा। यहाँ तक कि गवर्नमेण्ट या तो जबरदस्तीके आदेश वापस ले ले, अन्यथा मुझे गिरफ्तार कर ले।

मैंने यह भी देखा कि गवर्नमेण्टने खिलाफत और कांग्रेस-कमेटियोंको बिल्कुल तोड़ देने और खतम कर देनेका निर्णयकर लिया है। एक-एक करके सब कार्य-कर्त्ता गिरफ्तार किये जा रहे हैं। कौमी अखबार भी लगभग बन्दकर दिये जायेंगे। श्री सी० आर० दास बिल्कुल अकेले रह गये हैं, इसलिये भी मेरे लिये कलकत्ता छोड़ना असम्भव था।

यह सच है कि गवर्नमेण्ट बङ्गाल मुझे गिरफ्तार करनेसे बचना चाहती है और उत्सुक है कि मैं कलकत्तासे बाहर चला जाऊं। गवर्नमेण्टके एक भेजे हुए साथीने मुझे इससे परिचित भी कर दिया है। परन्तु दुःख है कि गवर्नमेण्टकी

सम्पूर्ण इच्छाओंकी तरह यह इच्छा भी मेरी इच्छाके खिलाफ है और मेरा वर्तमान कर्त्तव्य पावन्द नहीं है वरन् विरुद्ध है ।

मैंने पूरी तरह गौर करके यह निर्णय किया है । नि.सन्देह बहुतसे कामोके लिये मैं अपनी उपस्थिति आवश्यक देखता हूँ । कार्य और आवश्यकताका यह हाल है कि कोई भी मिल जाये उससे कार्य लेना चाहिये । परन्तु अल्लाहकी कृपाने कलकत्तामे जो मैदान-ए-अमल पैदाकर दिया है, वह भी हर विश्वाससे मुझे कीमती और वड़ा मालूम होता है । मै विश्वास रखता हूँ कि मेरा चुनाव गलत न होगा ।

गवर्नमेण्टने मेरी गिरफ्तारीका निर्णय करके मुझे एक वहुत वड़े वोझसे छुट्टी दे दी । खुदा ठीक जानता है कि मेरे लिये अव जेलसे वाहर रहना किस प्रकार दु:खदायी हो गया था । जो चले जाते हैं उन्हें क्या मालूम कि पीछे रह जाने-वालोंके दिलोपर क्या वीतती है ? मुहम्मदअली, शौकतअली, लाला लाजपत-राय, पण्डित मोतीलाल नेहरू, सवका मार्ग पूरा हो गया और मै अव तक मंजिल-की इन्तजारमे था । अव मंजिल मेरे सामने है और मेरा दिल खुशीसे भरपूर है कि एक आखिरी किन्तु कामयाव मैदान अपने पीछे छोड़ रहा हूँ । मैंने कलकत्ता के मौजूदा मैदान-ए-अमलको 'अन्तिम और फतह मैदान' कहा । यह मेरा विश्वास है और लगभग सारा शहर देख लेगा कि जो कार्य दो सालके अन्दर सारे देश में सफलता न पा सका, वह इन कुछ दिनोंके अन्दर कलकत्तामे अवश्य सफलता पा जायेगा ।

फिर भी इस अन्तिम कार्यको सँभालने और इसकी मजवूतीके लिये एक आखिरी भाग शेष है और मै निश्चिन्त हो गया हूँ कि गवर्नमेण्ट वङ्गालके हाथों वह भी पूरा हो जायेगा । यदि दो-तीन दिनके अन्दर मुझे और श्री सी० आर० दासको गिरफ्तारकर लिया गया, तो यह न केवल कलकत्ता वरन् सम्पूर्ण वङ्गाल को एक नई जागृति और नये जीवन से भरपूर कर देगा । वङ्गाल को हम दो

साल तक आज़ाद रहकर इतना जागृत न कर सके, लेकिन हमारी गिरफ्तारी एक मिनटके अन्दर वह जागृति पैदा कर देगी ।

मैं अपनी गिरफ्तारीमें हिन्दुस्तानके मुसलमानोंकी एक-एक नई करवट देख रहा हूँ । मुझे विशेष तौरपर पंजाब, सूबा सरहद और बिहारपर भरोसा है । इन तीन सूबोंके मुसलमानोने सदा मेरी आवाज़ को प्रेम, विश्वास और हमदर्दीके साथ सुना है । ये प्रान्त बीते हुए दस सालसे मेरी सम्पूर्ण आशाओंका केन्द्र है । मुझे विश्वास है कि मेरी गिरफ्तारी उनके लिये आखिरी दावत-ए-अमल होगी, जो तीन सालके भाषणो (तकरीरो—Speeches) और तहरीरो (लेखो) मे नही समझा सका था, वह मेरी गिरफ्तारीकी खामोशी समझा देगी ।

इस तरह बङ्गाल गवर्नमेण्ट केवल बङ्गाल हीके लिये नही वरन् सम्पूर्ण देशके लिये एक अत्यन्त सेवा-स्फूर्ति दे रही है ।

पहिला धन्यवाद—

अगर मै गिरफ्तार हो गया तो महात्मा गाधी को मेरा ये सन्देश पहुँचा दिया जाये—

"मै आपको आपकी जीतपर सबसे पहले बधाई देता हूँ । इस बधाईके लिये आप मुझे जल्दबाज़ न समझे । मै उस आनेवाले समयको अपनी आँखोके सामने देख रहा हूँ और चाहता हूँ कि इसकी बधाई देनेमें मुझ पर और कुछ न किया जाये । आपके साथ व्यक्तिगत सत्सग दिन-प्रति-दिन घट रहा है, परन्तु खुदाकी सहायता बढती जाती है । बम्बईकी घटनाने आपके दिल-को बहुत सदमा पहुँचाया । मै आपको चिन्तित और दुखित देखकर अत्यन्त दु:खी हुआ था, परन्तु अब कलकत्ता उठा है ताकि दु:खके स्थानपर खुशी और सफलताका तोहफा आपके समक्ष पेश करे । आपने २५ नवम्बरकी शामको मुझसे कलकत्ताके विषयमे वार्ताकी, तो मैने आपको विश्वास दिलाया था । मै प्रसन्न हूँ कि मेरा विश्वास बिल्कुल ठीक निकला । कलकत्तामें मै पन्द्रह सालसे कार्य

कर रहा हूँ। आधी शताब्दीका खान्दानी जीवन रखता हूँ, इसलिये मेरा भरोसा इसी विश्वासपर पूरा था। बीते हुए तीन सालके अन्दर खिलाफत-आन्दोलनके सबसे जरूरी कार्य कलकत्ता ही के मुसलमानोंने पूरे किये हैं। अब अन्तिम मंजिलमें भी पहला कदम यही उठायेगा। इसने शान्तिपूर्वक बलिदानका भेद पा लिया है। यह न तो भड़केगा और न बुझेगा ही। परन्तु उसकी आग बराबर सुलगती रहेगी। शान्तिसे असहयोगका रास्ता (मंजिल) पार करना उसके हिस्सेमें आया है और वह उसका हक़दार था।"

आखिरी सन्देश—

मेरा आखिरी सन्देश वही है, जो आज से दस साल पहले प्रथम सन्देश था—

"लानहनू वला तहजनु व अंतुमुल अय लऊना इन कुन्तुम मोमनीन," अर्थात् —न तो हर एक आसानी हो, न शोकित हो, तुम सब पर छाये रहोगे, अगर सच्चा ईमान अपने भीतर पैदा कर लो।

हमारी समस्त जीतोंकी बुनियाद चार सच्चाइयोंपर है और मैं इस समय भी देशके हर वासी को उन्हींकी दावत देता हूँ—

१—हिन्दु-मुसलमानोंका आपसी मेल।

२—शान्ति।

३—प्रबन्ध और अनुशासन।

४—बलिदान और उसकी तैयारी तथा जागृति।

मुसलमानोंसे मैं विशेष तौर से प्रार्थना करूँगा कि अपने इस्लामी गौरव-को याद रखें और परीक्षाकी इस निर्णयकी घड़ीमें अपने सम्पूर्ण हिन्दुस्तानी भाइयोंसे आगे निकल जाएँ। यदि वे पीछे रहे तो उनका अस्तित्व दुनियाके चालीस करोड़ मुसलमानोंके लिये शरम व अपमानका एक काला धब्बा होगा।

मैं मुसलमानोंसे विशेष तौर पर दो बातें कहूँगा। एक यह कि अपने हिन्दु भाइयों के साथ पूरी तरह एक होकर रहें। अगर उनमें से किसी एक भाई या किसी

एक पार्टी से कोई बात नादानीकी हो भी जाये, तो उसे क्षमा कर दें और अपनी ओर से कोई ऐसी बात न करे, जिससे इस पवित्र प्रेम को नुकसान पहुँचे। दूसरी बात यह है कि महात्मा गांधीपर पूरी तरह विश्वास रखें और जब तक वे कोई ऐसी बात न चाहें (क्योंकि वे कभी न चाहेंगे जो इस्लामके विरुद्ध हो) उस समय तक पूरी सच्चाई और मजबूती के साथ उनके आदेश पर चलते रहें।

केंद्रीय खिलाफत-कमेटी—

खिलाफत-कमेटीके कामोंकी तरफसे मैं खुश हूँ। उसके साहसी और जोशीले अध्यक्ष सेठ छोटानी साहबकी उपस्थिति हर तरह किफायत करती है। मेरे अजीज डाक्टर सैयद महमूद सेक्रेटरी मुकर्रर हो चुके हैं और अत्यन्त जोशसे कार्यकर रहे हैं। उनकी सहायताके लिये मिस्टर अहमद सिद्दीक खत्री पहलेसे कामकर रहे हैं। मुझे आशा है कि दफ्तर के समस्त कर्मचारी उन बातों-को न छोड़ेंगे जो बीते हुए बम्बईके दौराके अवसर पर मैंने उनसे कही थी। उनकी संगठित जिन्दगी और आदर्श हमारी अनुपस्थितिकी पूरी तरह पूर्ति कर देंगे।

हकीम मुहम्मद अजमलखाँ साहब—

हकीमसाहबको मेरा सदेश पहुँचा दिया जाये कि अब आपके कन्धेपर केवल आप हीके कर्त्तव्यका नही वरन् हम सबका बोझ आ पड़ा है। ईश्वरीय आज्ञा ऐसी मालूम होती है कि बाहरके समस्त कार्य अन्त तक आप ही पूरे करें। अच्छा यह है कि अब आप बम्बई पधारें और देहलीकी चिन्ता छोड दे।

अँगोरा-फण्ड—

दुःख है कि अँगोरा-फण्डकी वसूलीका मुझे अवसर नही मिला। लगभग इस समय तक दस लाख रुपया वसूल हो गया है। पहले आखिरी दिसम्बर तक-का समय निश्चित था। अब ठीक होगा कि एक माहकी अवधि और बढ़ा दी जाये और जनवरीके आखीरतक वसूलीका सिलसिला जारी रहे।

मेरा विचार है कि दिसम्बरके बीचमे एक खास तारीख आम वसूलीके

लिये पक्की की जाये और जिस तरह मर्दुमशुमारीके लिये प्रवन्ध होता है, उसी तरह हर जगह प्रवन्ध किया जाए। पहलेसे एलानकर दिया जाये कि उस वक्त चन्दा करनेवाले निकलेंगे। हर व्यक्ति समयानुसार अपने मकानमे रहे। फिर वसूल करनेवाले शहर भरमें फैल जाएँ और हर मुसलमानके आगे इस विषयको जाहिर करें। कमसे कम एक वार तो ऐसा हो जाना चाहिए कि हिन्दुस्तानका हर मुसलमान अपने इस्लाम व खिलाफतके लिये कुछ न कुछ धन वलिदान कर दे!

परन्तु कलकत्ता पहुँचकर जव देशकी आम हालतपर नजर डाली, तो यह समय इसके लिये ठीक मालूम न हुआ। मै चाहता हूँ कि अहमदावाद-खिलाफत-कान्फ्रेन्स में इसका एलान हो जाये और जनवरीके पहले हफ्तेकी कोई तारीख पक्की कर दी जाये।

जमीयतुल-उल्मा—

इस समय सवसे अधिक जरूरी और सवसे अधिक जिम्मेदार जमात यही है। यह उल्मा (आचार्य) का समुह है और उल्माके अतिरिक्त कोई नही, जिसे मुसलमानोकी धार्मिक नेतागिरीका मुख्य पद हासिल हो।

जमीयतके सामने इस समय एक अत्यधिक आवश्यक इस्लामी मामला है। अल्लाहताला और सारे काम करनेवाले जमीयतको साहस दें कि वे सव वुदायूँकी सभामें पूरे मेल-जोलसे किसी अच्छे फैसलेपर पहुँचे। मै सम्मानके साथ जमीयतवालों से अर्ज़ करूँगा कि—

१—आप सवकी एकता हर हालतमें आवश्यक और समस्त उद्देश्यके लिये जड़ जमानेवाली है।

२—हिन्दु-मुसलमानोंके मेलकी आवश्यकता तथा विशेपतः धार्मिक उक्तियों से भरपूर आपकी दृष्टिसे गुप्त नही। इसकी पूरी तरह रक्षा करनी चाहिये और इसकी रक्षा आप हीके हाथमें है।

३—अहमदाबाद-कांग्रेसमें इस्लामके समस्त धर्माचार्यों और खास काम करनेवाली जमीयतको अवश्य शामिल होना चाहिये तथा जमीयतुल-उल्माकी ओरसे इसका प्रबन्ध होना चाहिये।

लाहौरमें सभी काम करनेवालोंकी जो सलाह स्वीकार हुई है, उसपर फौरन अमल हो जाये और जहाँ तक जल्द सम्भव हो अधिकसे अधिक मेम्बरोंकी भरती की जाये।

गवर्नमेण्ट बंगाल—

आखिरमें मुझे गवर्नमेण्ट बङ्गालके लिये भी एक सन्देश लिखना है। २४ तारीख की हड़ताल अवश्य हो गई और खिलाफत तथा कांग्रेसके स्वयंसेवकोंका का सिलसिला हमारी गिरफ्तारीके बाद दुगनी शक्ति व हिम्मतके साथ जारी रहेगा।

प्रिय देशवासियो—

मैं चार साल नजरबन्द रहनेके बाद दिसम्बर १९१९में छूटा हूँ और दो वर्षके बाद फिर जेल जा रहा हूँ। अल्लाह आप सबका सहायक हो और राहे खिदमते-हक़में प्रेरित रखे।

"**व उफ़विदो अमरी इलल्लाहे इनलल्लाहो बसीरुम बिल इबाद,** अर्थात्—मेरा आदेश अल्लाहकी तरफ है, वह अवश्य अपने भक्तोंको देखनेवाला है।

२१ दिसम्बर कलकत्ता,

—आजाद

—:०:—

४

गिरफ्तारी !

शुक्रवार १० दिसम्बर १९२१

दो दिसम्बरसे मौलाना और श्री सी० आर० दासकी गिरफ्तारीकी खबर गर्म थी। परन्तु सातको काबिल व अच्छी तरहसे इसकी तस्दीक हो गई। इसलिये दस तक गिरफ्तारी अमलमें नही आई। आठ और नौको केवल यह नज़र आया कि बडी खोजके साथ दरयाफ्त किया जा रहा है कि मौलाना बुदायूँके जमीयतुल-उल्माके जलसाके लिये जा रहे हैं या नही ? यद्यपि कई दिन पहलेसे इसका एलान हो चुका था कि अब वे कलकत्तासे बाहर न जायँगे और सफरका पूरा प्रोग्राम बदल दिया गया है। कई सम्बन्धित व्यक्तियोसे भी उन्होंने इस बारेमें जबानी साफ-साफ कह दिया था। इसलिये मालूम होता है कि अन्त तक उनके दौरेकी आशा शेष थी। अतः छान-बीन जारी रही।

बुदायूँका जलसा १०, ११ तारीखको था। उसके लिये कलकत्तासे विदाई की अन्तिम तारीख ८ थी, या हद दर्जा ९। बस मानों ९ की शाम तक उसका इन्तज़ार किया गया।

इस दौरानमें स्वयसेवकोंका संगठन और प्रचारका काम दिन-प्रति-दिन उन्नति करता जाता था। प्रतिदिन गिरफ्तारियोकी गिनती भी बढ़ती जा रही थी। १० की सुबह तक हज़ारसे अधिक स्वयंसेवक गिरफ्तार हो चुके थे।

९ को मौलाना और श्री सी० आर० दासने आगामी कार्यक्रमपर विचार किया और यह बात भी तै कर दी गई कि यदि वे दोनो एकदम गिरफ्तारकर लिये गये तो श्री श्यामसुन्दर चक्रवर्ती उनकी जगह काम करेंगे। वे भी

गिरफ्तार हो गये, तो उसके बाद दूसरे फलाँ-फलाँ व्यक्ति काम हाथमें लेते रहेंगे।

१० को साढ़े चार वजे मिस्टर गोलडी डिप्टी कमिश्नर स्पेशल ब्राञ्च (Special Branch) एक यूरोपियन इन्सपेक्टर पुलिसके साथ आये और मौलानाको पूछा। मौलाना ऊपरकी मंजिलमें अपने आराम-कमरेमें थे और मिस्टर फजलुद्दीन अहमदसे पत्रोंका जवाब लिखवा रहे थे। उन्होंने मिस्टर गोल्डीको वहाँ बुलवा लिया। मिस्टर गोल्डीने सलामके वाद कहा—"क्या वह उनके साथ चलेंगे ? वे उन्हे लेनेके लिये आये हैं।" मिस्टर अहमद ने पूछा—"क्या आपके साथ वारंट है ?" जवाबमें उसने इन्कार किया, पर मौलाना ने कहा कि वे विना वारटके भी जानेके लिये तय्यार हैं। इसके बाद वे अन्दर मकानमें गये और पाँच-छ मिनटके बाद वापिस आकर जानेके लिये तय्यारी प्रगट की। इन्सपेक्टरने कहा—"इस प्रकार जल्दी न कीजिये। यदि कोई चीज अपने आरामके लिये साथ लेना चाहते हैं तो ले लीजिये।" पर उन्होंने केवल एक गर्म चादर ओढ ली और कोई चीज साथ न ली।

जाते समय उन्होंने केवल यह कहा—"कलकत्ता और बाहरके समस्त साथियो व कौमी कारकुनोंको मेरा सन्देश पहुँचा दिया जाए कि सब लोग अपने-अपने कार्योंमें पूरी तरहसे मशगूल रहें। मुझसे मिलनेके लिये कोई व्यक्ति न आए। न अपनी जगह और न अपने कार्यको ही छोड़ें। गिरफ्तारियोंको एक मामूली और साधारण बातकी तरह समझना चाहिए। किसी तरहकी विरोधी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मुझे बड़ा ही दुःख होगा यदि किसी कार्यकर्त्ता (कारकुन) ने मेरी मुलाकातके लिए अपना एक घण्टा भी व्यर्थ गंवाया।"

इसके बाद वे चले गए। मिस्टर गोल्डी मोटर-कार तक साथ गए जो मकानसे कुछ दूरी पर खडी की गई थी। परन्तु मौलानाके साथ केवल इन्सपेक्टर बैठा। वे खुद दूसरी कार पर चले गए।

इस प्रकार अधिकसे अधिक दस मिनटके अन्दर शान्ति और धीरताके साथ

यह मामला खत्म हो गया। किसी व्यक्तिने महसूस भी नही किया कि कोई नई बात हो गई है। ऐसा मालूम होता था मानो यह प्रतिदिनकी एक मामूली घटना है। जिसमें दोनो पक्षोके लिये कोई विरुद्ध बात न थी। जो लोग आए, वे भी बिल्कुल शान्त और मामूली वेशमें थे; और जो गया, वह भी अपनी मामूली दशामें था। दफ्तरके सब लोगोको ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे अपनी दिनचर्य्याके अनुसार कांग्रेस-आफिस (Office) मे जा रहे हैं।

ठीक उसी समय मिस्टर कुड डिप्टी कमिश्नर पुलिस मय दो-तीन बंगाली इन्सपेक्टरोंके श्री आर० सी० दासके यहां गए और उन्हे साथ ले आए।

जो सादा तरीका गिरफ्तारीके लिये पेश किया गया वह बिल्कुल नया था। इससे पहले कभी यह रीति अख्तियार नहीं की गई थी। कोई गिरफ्तारी भी हमें याद नही जो बिना पुलिस और फौजके हुई हो। स्वय मौलानाको १९१६ मे जब नजरबन्द किया गया तो रातके पिछले पहर का खास समय उसके लिये पक्का किया गया था और सब तैयारी एक फौजी हमलेकी शानके साथ तडक-भड़कसे हुई थी। तीन बजे पुलिस अफसरो और सिपाहियोंकी पार्टी डिप्टी कमिश्नरके अधिकारमे पहुँची, जिसमे सुपरिन्टेन्डेण्ट सी० आई० डी० के अतिरिक्त सुपरिन्टेन्डेण्ट पुलिस, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेण्ट, दो इन्सपेक्टर और पाच सब-इन्सपेक्टर भी थे। सब-इन्सपेक्टरके सिवा सबके हाथोमें रिवाल्वर थे। सिपाहियोने पहले दूर तक सड़ककी नाकाबन्दीकी, फिर मकानको चारो तरफसे घेर लिया। उसके बाद दरवाज़ेपर आवाज दी गई। इसके बदले इस बार मामूली-सा प्रबन्ध भी नही किया गया। केवल दो आदमी सादे ड्रेसमें साधारण मुलाकातियोके समान आ गये, और चुपचाप अपने साथ ले गये। पुलिसकी वर्दी और फौजके किसी आदमीका नाम व निशान भी न था।

मौलाना जिस मकानमें रहते है, वह मोहल्लेके थानेसे बिल्कुल मिला

हुआ है। केवल एक दीवार बीचमें पडी हुई है। परन्तु थानेमें कोई तैयारी भी नही की गई थी।

इससे प्रत्यक्ष होता है कि गवर्नमेंटने कमसे कम दो बातें अवश्य समझ ली हैं, जिनके समझनेसे अब तक उसे इन्कार था। सर्वप्रथम यह कि देशके लीडर जब कहते हैं कि गिरफ्तार होनेके लिये बिल्कुल तैयार है, तो ये कोई बहाना नही है वरन् सचमुचमें उनके दिलकी सच्ची आवाज है। उनको गिरफ्तार करनेके लिये किसी प्रबन्धकी आवश्यकता नहीं। केवल खबर दे देना ही काफी है। दूसरे यह कि ऐसे अवसरो पर शक्तिके दिखाने ही से गिरफ्तारी का काम कठिन हो जाता है। असाधारण भीड़ और पुलिस का जुट देखकर फौरन पब्लिक मालूम कर लेती है कि गिरफ्तारीके लिये लोग आए है और एकाएक जनता मे भी जोश और सरगर्मी पैदा हो जाती है। यदि ऐसा न किया जाए और गिरफ्तारी का समय किसी को भी मालूम न हो, तो अत्यन्त सरलता और शान्तिसे कार्य पूरा हो जाए।

इसलिये मौलानाकी गिरफ्तारीकी बातें उस समय मालूम हुई, जब शहरमें आफिसने इसका एलान किया। जाते समय बहुतसे लोगोंने उन्हे मोटर कारमे एक यूरोपियनके साथ बैठे देखा था, परन्तु किसीको भी ये ख्याल न आया कि वह जेल जा रहे है। जब वे मोटर-कारमे बैठ रहे थे तो साधारणत कुछ दूकानदार और कुछ राहगीर सलाम करनेके लिये एकत्र हो गए, जैसा कि वे प्रतिदिन आते-जाते किया करते थे। पर उन्होने भी कोई आश्चर्यजनक बात महसूस नही की। ये उपाय दोनो पक्षोके लिये हर तरहसे सुविधाजनक और ठीक है। काश ! गवर्नमेंट आगेसे इसीका अनुसरण करती तो बहुत-सी कठिनाइयाँ और परेशानिया न उसे पेश आती, न देश को।

मौलानाको पहले पुलिस कमिश्नरके आफिसमे पहुँचाया गया। लगभग बीस मिनट वहाँ बैठे होगे कि श्री सी० आर० दास भी वही पहुँचा दिये गये। फिर एक मोटर-कार लाई गई, उसमें दोनो बैठाये गये। एक यूरोपियन पुलिस

अफसर मोटर ड्राइवरके साथ बैठ गया और मोटर प्रेसीडेन्सी जेल अलीपुरकी ओर चली गई। मोटर-कार उस समय भी बिल्कुल खुली थी। प्रेसीडेन्सी जेल-में पहलेसे खबर दे दी गई थी और सब प्रबंध ठीक थे। पुलिस अफसरने दोनोंको जेलरसे मिलाया और उसके सुपुर्द करके वापिस चला आया।

मौलानाने जेलके आफिसमे सन्ध्याकी नमाज पढ़ी। नमाजके बाद सुपरिन्टेन्डेण्टसे उन्हें मिलाया गया। यह वास्तवमें सुपरिन्टेन्डेण्टके समक्ष कैदियोंके समान हाजिर करना था। सुपरिन्टेन्डेण्टने कहा—"मैंने खानेके लिये आज्ञा दे दी है।" नहीं मालूम इस आज्ञाका मतलब क्या था? क्योकि इसका कोई नतीजा देखनेमे नही आया। यदि विचार यह था कि तुम्हारे मकानसे खाना तैयार-कर लेनेकी आज्ञा दे दी है, तो इन दोनों व्यक्तियोंके यहा टेलीफोन थे। परन्तु कोई सूचना उनके यहा नही दी गई। यदि मतलब जेलके भोजनसे था, तो जिस वार्डमें वे रखे गये थे वहा कोई प्रबन्ध इसका न था।

उसके बाद वह यूरोपियन-वार्डमें पहुँचा दिये गये, जहा अलग-अलग कमरो मे फौरन उन्हें कर दिया गया। कमरोंपर गोरखा सिपाहियोंका पहरा था। ये वार्ड जेलके अच्छे भाग समझे जाते हैं और यहाँ केवल अंडर-ट्रायल यूरोपियन कैदी ही रखे जाते है। यह दो मंजिला इमारत है। ऊपर नीचे पांच-पाच कमरे है। हर कमरा दस फीटका होगा। हर कमरेमे एक सुराही, ताम चीनीका कटोरा, स्टूल और एक टेबिल थी। सोनेके लिये टाटकी गदेली और दो काले कम्बल होते है जो जेलमे मिलते है। तकियाकी जगह टाटकी एक पतली और छोटी-सी गदेली सिरहाने लगी होती है।

मौलानाने बादको बताया—"हम लोग लगभग सात बजे अपने-अपने कमरों-मे बन्द किये गए। साढ़े सात बजे मैंने दरवाजेकी सलाखोंसे आस्मानको देखा तो इशाकी नमाजका समय हो चुका था। मैंने इशाकी नमाज पढ़ी। दो-चार घूंट पानीके पिये और लेट गया। दो वर्षके बाद ये पहला अवसर है कि मुझे

इस प्रकार जल्दी और गहरी नीद आ गई । बरसोंसे मेरी नींद बहुत कमजोर हो गई थी । उन दिनों यह हाल था कि ग्यारह बजे लेटता था, एक-दो घण्टेके कठिन इन्तज़ारके बाद कहीं नींद आती थी । वह भी इतनी कमज़ोर कि जरा-सी खटखड़ाहट भी विघ्न डाल देती थी । पर उस रात साढे आठ बजे लेटा और लेटते ही सो गया । तीन बजेसे पहले आंख न खुली । संतरीके फौजी बूटोकी आवाज सिमेन्टके बरामदेमें बड़े ज़ोरसे हो रही थी परन्तु नींदमें जरा भी अन्तर न पड़ा ।

यह इतमीनान और बेफिकरी केवल इसलिये न थी कि जेलमें आ गया, वरन् इसलिये थी कि आन्दोलनके बढ़नेके लिये अपनी गिरफ्तारीका प्रभाव पड़नेकी पूरी आशा थी । गिरफ्तार होनेके बाद ऐसा प्रतीत होने लगा मानो मैं एक बड़े परेशानीके बोझसे हल्का हो गया हूँ ।

पहले इसी वार्डमें मौलवी अब्दुर्रज़ाक एडीटर 'पैगाम' व बाबू पद्मराज जैन, मिस्टर दासके लड़के और कई राजनैतिक कैदी रखे गये थे । पर जब हम दोनों यहां लाये गए तो दूसरे दिन सुबह ही सबको दूसरे वार्डमें भेज दिया गया ।

सुबहको कर्नल हिमाल्टन सुपरिन्टेन्डेण्ट और जेलर वार्डमें आये । कर्नल हिमाल्टन अपनी जातिके एक शरीफ नागरिक है । मालूम होता था कि वे आन्दोलनसे परिचित हैं और एक तरहकी लज्जा महसूस कर रहे हैं । यद्यपि यह बात बिल्कुल ठीक थी पर फिर भी वे बारबार कहते—"मुझे इस मामलेमें कोई सम्बन्ध नहीं, मैं केवल आज्ञाकी पाबन्दी कर रहा हूँ । हम लोगोको जेलमें आप जैसे लोगोंसे कभी सम्बन्ध नहीं पड़ा । मैं परेशान हूँ कि क्या करूँ ? आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये ।"

उत्तरमें उनसे कहा गया कि —"प्रार्थना, इच्छा, शिकायत इन बातोंसे हमारे दिल बिल्कुल खाली हो चुके हैं ।'

सुपरिन्टेन्डेण्टने यह भी कहा—"मैं केवल यही एक उपाय अपने भरोसेका देखता हूँ कि आपको अपनी जगह दे दूँ और स्वयं आपके कमरों में चला जाऊँ ।"

मिस्टर दास ने कहा—"लेकिन अगर मैं सुपरिन्टेन्डेण्ट बना दिया गया तो फौरन त्याग-पत्र दे दूंगा।"

पीछे मालूम हुआ कि इनके विषयमें जेलके अधिकारी चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेण्ट बङ्गालके आदेशके वग़ैर स्वयं कुछ नही कर सकते। यह आज्ञा आ चुकी है कि इन लोगोको किसी व्यक्तिसे मिलने न दिया जाये, यहाँ तक कि अज़ीज रिश्तेदारोंसे भी। अखवारोके देनेकी भी बिल्कुल मनाही है। यूरोपियन वार्डको 'इंङ्गलिश मैंन' अखवार दिया जाता है, परन्तु इनके लिये वह भी मना किया गया; क्योकि इसमें वाहर की खवरे भी दर्ज होती है। केवल बिस्तर और खाना ले लिया गया और सुपरिन्टेन्डेण्टने थोड़ी देरके वाद अपने आफिससे दो कुर्सियाँ भेज दी।

कानून और हुक्म—(Law and Order)

'ला एण्ड आर्डर' की जैसी पावन्दी आजकल की जा रही है, वह हर जगह देखी जा सकती है। इनके मामलेमें भी प्रारम्भसे इसकी कारंवाई शुरू हो गई थी। गिरफ्तारी शुक्रवारके दिन दोपहरको हुई। उस दिन कोर्ट वन्द न थी तथा वारण्ट लिया जा सकता था, पर कोई वारण्ट प्राप्त नही किया गया। गिरफ्तारीके वाद नियमानुकूल मजिस्ट्रेटके समक्ष पेश करना चाहिये और जव तक पेश न हों, पुलिसके चार्जमें रहना चाहिए न कि जेलमें। पर हमें फौरन जेलमें भेज दिया गया। जेलमें प्रगट किया गया कि—'आप लोग इस समय तक यही समझिये कि आप जेलमें नही है, पुलिसके चार्जमें है।'

परन्तु हमको हर हालतमें मजिस्ट्रेटके सामने पेश करना ही चाहिए था। लेकिन पेश करनेके लिये कोर्टमें ले जाना पड़ता और इसमें पब्लिकका जोश उभड़नेका सन्देह था। ये उपाय लाचारीसे काममें लाना पड़ा कि चौथे दिन मिस्टर कुड डिप्टी कमिश्नर पुलिसको भेजा गया और कहा गया कि उसकी उपस्थिति अस्थायी मैंजिस्ट्रेटकी हैसियत रखती है। विचार यह था कि असहयोग

(Non Co-operation) के कारणसे किसी तरहकी कानूनी बाधा तो की नहीं जायेगी तथा मैजिस्ट्रेटके सामने पेश करने और मुकद्दमेकी तारीख पेश करनेकी कठिनाईसे भी छुट्टी मिल जायेगी। पर श्री सी० आर० दासने मजाक करते हुए कह दिया—'शायद मेरे प्रैक्टिस (Practice) छोड़नेके बादसे कानून बदल गया है।' इससे एक तरह की परेशानी हुई और डर पैदा हुआ कि कहीं कार्रवाई बिल्कुल बेज़ाब्ता मशहूर न हो जाये; इसलिये मजबूरन तीन बजे मिस्टर ए० जेड० खाँ फोर्थ प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेटको एक पेशकारके साथ जेलमें भेज दिया गया और दफा २/१७ क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्टके वारंट भी तैय्यार कर लिए गये।"

पहली पेशी २१ दिसम्बर—

यह समझिये आज पहली पेशी थी। मुल्ज़िमोंको अदालतके सामने न जाना पड़ा। खुद अदालत मुल्ज़िमोंके दरवाजेपर आ गई। इनके कमरो के सामने जो बरामदा है, उसीमें वार्ड-अधिकारीका टूटा हुआ मेज बिछाया गया। उसी की टूटी हुई कुर्सी मैजिस्ट्रेटके लिये रखी गई। सामने मुल्ज़िमो के लिये स्टूल थे। इस साज व सामानके साथ अदालतका इजलास शुरू हुआ।

परन्तु कार्रवाई काफी सारांशमें थी और मैजिस्ट्रेटकी स्पष्ट घोषणा और कानूनी आलोचना प्रारम्भ हुई। उन्होंने कहा—"दफा २।१७ के मातहत आप लोग गिरफ्तार किये गये हैं। मुकद्दमेकी तारीख २३ दिसम्बर मुकर्ररकी जाती है।" यह कहकर जल्दीसे उन्होंने वारण्टपर मुहर लगानेके लिये कहा और उठने लगे; परन्तु रीडर कुछ सावधान था। उसने कहा कि ज़मानतके लिये तो कायदेके अनुसार पूछ लीजिये। मजिस्ट्रेट साहबको भी याद आ गया कि वास्तवमें मुल्ज़िमोंको ज़मानतका हक देनेका कायदा भी हुआ करता है। परन्तु उन्होंने कहा—"ये सज्जन ज़मानत नहीं देंगे, इसलिये मैंने पूछना जरूरी नहीं समझा।"

अन्तमें मिस्टर खाँने क्षमाकी आवाजमे कहा कि वे इस बारेमें कुछ नहीं जानते। उनसे यहाँ आनेके लिये कहा गया था, वह चले आये।

२३ तारीखकी पेशीमें एक सुविधा यह थी कि २४ से क्रिसमसकी छुट्टियाँ थी। २३ को जब मुकद्दमा मुल्तवी कर दिया जायेगा, तो क्रिसमस की वजह-से एक हफ्ताकी मोहलत खुदही निकल आएगी।

दूसरी पेशी २३ डिसम्बर—

२३ दिसम्बरको चार बजे फिर मिस्टर ए० जेड० खाँ भेजे गये। परन्तु इस बार सुपरिन्टेन्डेण्टके आफिसमें अदालतका इजलास हुआ। मेजके सामने मुल्जिमोके लिये भी कुर्सियाँ रखी गई थीं। परन्तु कार्रवाईके न होनेके कारण बैठनेकी जरूरत ही नहीं हुई। कार्रवाई केवल इस प्रकार हुई कि मुकद्दमा ५ जनवरी पर मुल्तवी कर दिया गया। मजिस्ट्रेटने अपनी अपरिचित और अधिक सम्बन्ध न होनेकी स्थितिका बार-बार इजहार किया।

५ जनवरी—

५ जनवरी की पेशीकी कार्रवाई यह है कि इसमें भी कोई खास बात न हुई। दस बजे श्री सी० आर० दासको प्रेसीडेन्सी-कोर्ट जानेके लिये कहा गया, परन्तु मौलाना की पुकार नहीं हुई।

बादको मालूम हुआ कि शुरूमें श्री सी० आर०दास और उनकी पेशीके लिये एक ही तारीख मुकर्रर कर दी गई थी; परन्तु फिर किसी कारणसे मौलानाका मुकद्दमा एक दिन पीछे टाल दिया गया। अदालतके कानूनकी धारासे आवश्यक था कि यह सब कुछ अदालतकी आज्ञा व कानूनसे होता अर्थात् मैजिस्ट्रेटके सामने पेश किया जाता और फिर कार्रवाई दूसरे दिनके लिये मुल्तवी कर दी जाती। परन्तु उस समयके कानून व हुक्म (लॉ एण्ड आर्डर) में इन बन्धनोंके सरदर्दसे भी अदालतोंको छुट्टी मिल गई थी। न असहयोगी पैरवी करेंगे न बचना चाहेंगे, फिर नियम व कानूनके बन्धनसे सम्बन्ध ही क्या था? ता० ६ की कार्रवाईमें

मालूम हुआ कि गवर्नमेण्टने दफा २/१७ क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट वापिस ले लिया है और कार्रवाई फिरसे नई दफा १२४ ए पिनल-कोडके मातहत शुरू है। गिरफ्तारीके बाद जो वारण्ट हासिल किया गया था, वह दफा २।१७ का था, इस-लिये १२४ ए का मुकदमा तब तक शुरू नहीं हो सकता था; जब तक फिरसे नई दफा १२४ ए के मातहत वारण्ट न लिया जाये और उसकी गिरफ्तारीका अमल न हो। परन्तु पिछले आश्चर्यसे भी बढ़कर नया आश्चर्य यह है कि १२४ ए के मातहत कोई गिरफ्तारीकी कार्रवाई अमलमे नही आई। न तो उसका वारण्ट पूरा किया गया, न कायदेकी गिरफ्तारी ही का कुछ कार्य हुआ। इसलिये ६ को मिस्टर गोल्डी डिप्टी कमिश्नर सी० आई० डी० ने अपने हलफिया व्यानमें कहा—"मैंने प्रेसीडेन्सी जेलमें वारण्ट पूरा किया।" मौलाना अपने व्यानमें लिखते है—"ये मामला बेकायदगी और दिखावटीपन का विचित्र नमूना है। ६ तारीख तक तो मुझे इस बातका ज्ञान भी न था कि १२४ ए के मातहत दावा किया जायेगा! वारण्टके पूरा होनेसे क्या सम्बन्ध? न तो जेलमे कोई व्यक्ति उस गर्ज़से आया, और न मुझपर वारण्ट ही पूरा किया गया।"

बस ५ जनवरीसे मौलाना नियम व कानूनसे बिल्कुल आज़ाद थे। उनकी गिरफ्तारी शामके बाद कोई सम्बन्ध न रखती थी। यदि वे जेलके अफसरों-पर मान-हानिकी नालिश कर दें—क्योंकि उन्हे ५ के बाद जेलमे बिना वारट व कानून के रखा गया है तो वे क्या जवाब देंगे? हाँ, ये सब कुछ उसी समय में है जब कि 'नियम-कानून' का कोई अर्थ हो, परन्तु वास्तवमें इनका कोई अर्थ ही नहीं है।

अर्थात् ता० ५ के बदले ६ जनवरीको साढ़े ग्यारह बजे मौलाना प्रेसीडेन्सी-कोर्टमें लाये गये और इसी पेशीमें कार्रवाई शुरू हुई। मौलाना जेलकी बन्द मोटर-लारीमें लाये गये थे। देख-रेखके लिये फौजी पुलिसका कप्तान साथमें था।

तीसरी पेशी—

६ तारीखको साढ़े वारह वजे मौलानाका मुकद्दमा मिस्टर सोनियो चीफ प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेटकी अदालतमें पेश हुआ। कार्रवाई शुरू होनेसे पहले ही अदालतका कमरा दर्शनार्थियोंसे भर चुका था। जिसमें हर कौमके व्यक्ति हिन्दु, मुसलमान, वंगाली, मारवाड़ी आदि हाजिर थे।

अदालतके अहाते और सड़कपर भी खासी भीड इकट्ठी थी और लोग प्रेम-से चले आ रहे थे। जिस समय मौलाना कटघरेमे लाये गये, उपस्थित भीड़, वकील और नागरिकोंने खड़े होकर उनका स्वागत किया। मौलानाने सवकी सलामका जवाव अत्यन्त नम्रताके साथ दिया। इसके वाद मौलाना कटघरे-मे इस अन्दाज़से खड़े हुये कि आपका एक हाथ कटघरेपर था और हथेली पर सिर था; चेहरेपर एक हल्की-सी मुस्कुराहट थी और अत्यन्त ही लापरवाही-के साथ अपने आस-पासका तमाशा देख रहे थे। कार्रवाई शुरू करते हुए राय-वहादुर तारकनाथ साधु सरकारी वकीलने वयान किया—

"मौलाना अवुलकलाम आजादके विरुद्ध दो मुकद्दमे हैं—एक दफा २।१७ जाव्ता फौजदारी और दूसरा दफा १२४ ए ताज़ीरात हिन्द (वगावत) के मातहत। चूँकि यह जुर्म अत्यधिक संगीन है, इसलिये इनके विरुद्ध कानून नियमानुकूल फौजदारीके मातहत कोई कार्रवाई करना नही चाहता और मै अपने इस दावे-को वापस लेता हूँ। मौलाना इस दफाके मातहत आजाद है।"

मजिस्ट्रेट (मौलानाकी ओर मुख करके)—"आप रिहाकर दिये गये।"

कोर्ट-इन्सपेक्टरने मैजिस्ट्रेटको वताया कि मौलाना अग्रेजी नही जानते।

मौलाना—"मै कुछ नही समझता और मुझे किसी चीजकी आवश्यकता नही है।"

लेकिन मैजिस्ट्रेटने एक उर्दू वोलनेवालेको वुलवाया। वावू वी० सी० चटर्जीके सुपुर्द ये खिदमत हुई। सरकारी वकीलने अपने व्यानको जारी रखते

हुए कहा—"मुल्ज़िमके विरुद्ध यह मुकदमा दफा १२४ ए ताज़ीरात हिन्द है। यह उन दो लेक्चरोंकी बुनियादपर है, जो उन्होंने पहली और १५ जुलाई १९२१ को मिर्ज़ा-पार्क कलकत्तामें दिये थे। पहले जलसेका सम्बन्ध तीन व्यक्तियों हकीम सैयदुर्रहमान, जगदम्बाप्रसाद और अयोध्याप्रसादकी गिरफ्तारीके विरुद्ध आन्दोलन करना था। इसके बाद १५ जुलाईको मुल्ज़िमने उसी जगह एक दूसरी तकरीरकी। इसमें उन्हीं व्यक्तियोंकी सजा आदिके विरुद्ध उभाड़ते हुये तथा विरोध करते हुये वर्तमान समयमें खिलाफतके विषयमें लोगोंको उनका कर्त्तव्य बताया। ये तकरीरें उर्दू शार्टहैण्ड (Shorthand) में ली गई थी। इसके बाद उन्हें साफ करके अंग्रेजीमें अनुवाद कराया गया। ये अनुवाद (Translation) अभी आपके सामने पेश किये जाएँगे। मैंने खुद ये तकरीरें पढ़ी हैं और इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि ये तकरीरें दफा १२४ए के मातहत आती हैं, परन्तु ये तो मेरी राय है।

अब मैं उन तकरीरोंका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ता हूँ। फैसला युअर ऑनरपर अवलम्बित है कि इस दफाके मातहत यह जुर्म आता है या नहीं? परन्तु मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि गवर्नमेण्टने दफा १९६ (ताजीरात हिन्द) इस मुकदमाके लिये मजूरी दे दी है और इसके लिए मैं सबसे पहले मिस्टर गोल्डी को पेश करता हूँ।"

मिस्टर गोल्डी—

इसके बाद मिस्टर गोल्डी डिप्टी कमिश्नर स्पेशल ब्राञ्च गवाहीके लिये बुलाये गये।

सरकारी वकीलने दरयाफ्त किया—"क्या मुल्ज़िमको गिरफ्तार करनेके लिए तुम्हें गवर्नमेण्ट बङ्गालने कोई इख्तियार दिया गया था?"

जवाब—"हाँ।"

सवाल—"क्या इन्हीं तकरीरोंके लिये था? और ये किन तारीखोंमेंकी गई थी?"

जवाव—"हाँ, पहली और १५ जुलाई १९२१ को।"

सवाल—"क्या यही सैंक्शन तुम्हें मिला था?"

जवाव—"हाँ।"

सवाल—"क्या इसीकी सहायतासे तुम्हें मौलाना अवुलकलाम आज़ाद-को गिरफ्तार करनेके लिये आज्ञा दी गई है?"

जवाव—"हाँ।"

सवाल—"क्या इसपर गवर्नमेण्ट आफ वङ्गालके चीफ सेक्रेटरीने दस्तखत किये हैं?"

जवाव—"हाँ, मैं उनके दस्तखतोंको पहचानता हूँ।"

सवाल—"सैंक्शन किस तारीखको दिया गया था?"

जवाव—"२२ दिसम्बर १९२१ को।"

सवाल—"क्या सेन्क्शन मिलनेके वाद तुमने चीफ प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेट की सेवामें कोई दरख्वास्त पेशकी थी?"

जवाव—"हाँ।"

सवाल—"तो फिर क्या तुम्हें कोई वारण्ट मिला है?"

उत्तर—"हाँ, मैंने प्रेसीडेन्सी जेलमें उसे पूरा किया है।"

सवाल—"आम तौरपर जव तुम्हें किसी जलसेकी इत्तला मिलती है, तो क्या तुम कोई रिपोर्टर (Reporter) वहाँ भेजते हो?"

जवाव—"हाँ।"

सवाल—"क्या यही वही रिपोर्ट और उसकी नकल है, जो तुम्हें दिखाई गई थी?"

जवाव—"हाँ"

अवुइल्लेश मुहम्मद—

इसके वाद सरकारी शार्टहेंड-रिपोर्टर अवुइल्लेश मुहम्मद पेश हुआ। उसने व्यान दिया—"मैं गवर्नमेण्ट आफ वङ्गालका शार्टहैण्ड-रिपोर्टर हूँ।"

यहाँ मैजिस्ट्रेटने मौलानासे कहा—"क्या आप चाहते हैं कि आपके लिये गवाहीका अनुवाद कराया जाये ?" उत्तरमें मौलानाने कहा—"मुझे किसी अनुवादकी आवश्यकता नहीं, हाँ यदि अदालतको आवश्यकता हो तो वह स्वयं ऐसा कर सकती है ।"

मैजिस्ट्रेट—"तो क्या आप अंग्रेजी समझते हैं ?"

मौलाना—"नहीं ।"

गवाहने अपना ब्यान जारी रखते हुए कहा—"मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी-का विद्यार्थी हूँ । लगभग १८ माह तक लखनऊ क्रिश्चियन कालेजमें रह चुका हूँ । वहाँ मैंने उर्दू शार्टहैण्ड-नवीसीमें एक ऑनर सार्टीफिकेट और सनद प्राप्त-की है । १६० शब्द प्रति मिनट मेरी रफ्तार है । मैं उर्दू समझता हूँ । पहली जुलाई मुझे याद है, उस दिन मैं मिर्जापुर-पार्कके एक जलसेमें मुकर्रर हुआ था । उर्दूमें वहाँ जो-जो तकरीरें हुईं उनके मैंने नोट लिये थे । मुल्जिमने वहाँ उर्दूमें तकरीरकी थी और वही उस जलसेके अध्यक्ष थे ।

जिस प्रकार हो सका मैंने ठीक नोट लिये और नियमानुसार मिस्टर गोल्डी कमिश्नरके पास भेज दिये । मिस्टर गोल्डीने उनपर २५ तारीखको दस्तखत किये । इसके बाद मैंने इसी भाषणकी नकल उर्दू-लांगहैण्ड (विस्तारपूर्वक) में ली और मिस्टर गोल्डीके सामने पेश किया । इसपर मिस्टर गोल्डीके १४ दिसम्बरके दस्तखत मौजूद हैं ।"

इसके बाद वामाचरन चटर्जी सरकारी अनुवादक पेश हुआ । उसने ब्यान किया—"यह उर्दू और हिन्दीका अनुवादक है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी-से शिक्षाप्राप्त विद्यार्थी है ।"

सरकारी वकील—"पहली जुलाईकी उर्दू तकरीरको जरा देखो ।"

गवाह—"मैंने ही इसका अनुवाद किया था । इसपर मेरे दस्तखत हैं । मैंने भलीभांति इसका ठीक अनुवाद किया है ।"

सरकारी वकील—"दूसरी तकरीरको देखो जो १५ जुलाईकी है।"

गवाह—"मैंने इसका भी ठीक अनुवाद किया है।"

इसके वाद मुहम्मद इस्माईल इंस्पेक्टर स्पेशल ब्राञ्चको वुलाया गया। उसने व्यान किया—"मै मिर्जापुर-पार्कमें नियुक्त किया गया था। वहाँ मैंने मुल्जिमको देखा। उन्होंने वहाँ एक तकरीरकी थी। उर्दु-लाँगहैण्ड (विस्तार-पूर्वक) मे पहली जुलाईको तकरीरका नोट लिया था। मुल्जिम इस जलसा-अध्यक्ष थे और इसी हैसियतसे तकरीरकी थी।"

सरकारी वकील—"जलसा किस कारण हुआ था ?"

गवाह—"कार्यकर्त्ता-खिलाफत हकीम सैयदुर्रहमान, जगदम्वाप्रसाद और अयोध्याप्रसादकी गिरफ्तारीके विषयमें।

जलसेमें लगभग १२ हजार आदमियोंका जमाव था। हर किस्मके लोग जलसेमे हाजिर थे, परन्तु ५० प्रतिशत मुसलमान थे। मैंने ठीक नोट लिये थे। इन्सपेक्टर के० एस० घोषाल और दूसरे अफसर मेरे साथ थे और यह मौलाना अवुल कलाम आजाद जलसेके अध्यक्षकी तकरीरका नोट है। इसके वाद वावू पचकौड़ी वनर्जीने तकरीरकी थी।

वावू पंचकौड़ी वनर्जीकी तकरीर जलसाके अध्यक्षकी तकरीरके साथ शामिल है।

१५ जुलाईको भी मैं मिर्जापुर-पार्कमे नियुक्त किया गया था। मै वहाँ गया था। मैंने वहाँकी तकरीरोके नोट लिये। इंस्पेक्टर मुकर्जी और मिस्टर करमी मेरे साथ थे। मौलवी नजमुद्दीन और मुल्जिमने इस जलसामे तकरीरेंकी थीं। मैंने उन तकरीरो का नोट लाँगहैण्ड (विस्तारपूर्वक) मे लिया। मैंने तकरीरके केवल उन हिस्सोका नही नोट लिया जिन्हें मैंने आवश्यक समझा था।

मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटीका विद्यार्थी और वी० एन० सी० हूँ। मै उर्दु समझता हूँ। जलसेमें लगभग १० और १२ हजारके वीच लोगोंका जमाव था।"

यहा सरकारी वकीलने कहा—"नोट देखकर ज़रा अपनी याददास्तको
क करो।"

गवाहने देखकर बताया—"१० हज़ारका जमाव था और हमने एक
।नला-जुला नोट पेश किया था।

इसके बाद के० एस० घोपाल इन्स्पेक्टर स्पेशल ब्रान्च (Special Branch) की गवाही ली गई। उसने ब्यान किया—"मैं कलकत्ता युनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ। पहली जुलाई १९२१ को मिर्जापुर-पार्कके जलसामें गया था। मुल्ज़िम इस जलसाके अध्यक्ष थे। मैंने तकरीरोंके नोट लॉग-हैण्डमें लिये थे। मैं तकरीरके केवल उन हिस्सोंका नोट लिया करता हूँ जिन्हें मैं आवश्यक समझता हूँ। मैंने उनके सही नोट लिये थे। (नोट देते हुए) यह पहली जुलाईकी कुल रिपोर्ट है। इसमें अध्यक्ष (सभापति) की तकरीर भी शामिल है। ये नोट मिस्टर गोल्डीकी सेवामें पेशकर दिये थे, जिनपर उन्होंने अपने दस्तखत कर दिये थे।

सरकारी वकील—"जलसा किस कारणसे हुआ था?"

जवाब—"सैयदुर्रहमान, जगदम्बाप्रसाद और अयोध्याप्रसादकी गिरफ्तारीके विरुद्ध उभाडने और आन्दोलन करनेके कारण लगभग १२ हज़ार व्यक्तियोंका जमाव था। हर किस्मके व्यक्ति उनमे शामिल थे, परन्तु आधे के लगभग हिन्दुस्तानी मुसलमान थे। शेष आदमी हिन्दुस्तानी हिन्दू और बंगाली थे।"

इसके बाद पी० सी० मुकर्जी इन्स्पेक्टर सी० आई० डी० हाज़िर हुआ। उसने ब्यान किया—"मिर्जापुर-पार्कके एक जलसेमें नोट लेनेके लिये मैं नियुक्त हुआ था। मैंने नोट लिये और १५ जुलाई १९२१ को डिप्टी कमिश्नरकी सेवामें हाज़िर किये।

मुल्ज़िम इस जलसेके सभापति थे। उन्होंने वहाँ एक तकरीरकी थी।

मैंने उसके सही नोट लिये थे। ये नोट उसी दिन शामको मिस्टर गोल्डीके समक्ष हाजिर कर दिये थे। इसपर उनके दस्तखत किये हुये है। मुहम्मद इस्माईल और मैं दोनोने एक साथ ही नोट लिये थे। मुल्जिमने उर्दुमे तकरीर की थी। मै कुछ-कुछ इस भाषाको समझता हूँ।

ये जलसा तीन कार्यकर्ता-खिलाफत हकीम सैयदुर्रहमान, जगदम्वा-प्रसाद और अयोध्याप्रसाद की गिरफ्तारीके विरुद्ध अपनी आवाज उठाने और लोगोको जेल जानेकी प्रेरणा देने और शौक पैदा करनेके कारणसे हुआ था।

लगभग १० हजार का जमाव था। मुसलमान, हिन्दु और हवड़ा तथा लिलुआकी मिलोके वहुतसे मजदूर इसमें शामिल हुए थे। लगभग ५० वाल-ण्टियर वैज लगाये हुए थे जिनपर यह लिखा था—'जेल जानेके लिये तय्यार हैं।'

मिस्टर गोल्डी फिर वुलवाये गये। उन्होने रिपोर्ट और नोटपर, जो वहाँ पेश किये गये थे, अपने दस्तखत होने की तस्दीक की।

इसके वाद सरकारी वकीलने पहली जुलाईकी तकरीरका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ कर सुनाया और कहा—"१५ जुलाईको भी इसी प्रकारकी तकरीर हुई थी।" फिर उसने चार्ज-शीट मजिस्ट्रेटको दे दिया। इसके वाद लंचके लिये कार्रवाई मुल्तवी की गई।

लंचके वादकी कार्रवाई—

३ वजकर २० मिनटपर मैजिस्ट्रेटने अदालतमें प्रवेश किया। मौलानाको वुलवाया गया। जिस समय मौलाना सेहन (आँगन) से होकर अदालतके कमरेमें लाये जा रहे थे, वहाँ वाहरके लोग एकत्र थे। यह वड़ा जमाव जो सड़कपर खड़ा था, मौलानाकी एक जरा-सी झलक ही देख पाया और "अल्लाहो अकवर" के नारे लगते रहे।

जब मौलानाने कमरेमे प्रवेश किया तो लोग उठकर खड़े हो गये और अन्जाने ही उनके मुखसे 'अल्लाहो अकबर' का नारा निकल गया, यद्यपि स्वय मौलाना हाथके इशारेसे रोकते रहे। मैजिस्ट्रेटने घबड़ाकर उसी क्षण सार्जेण्टको कमरा खाली करा देनेकी आज्ञा दी, जिसका उसी क्षण पालन किया गया। केवल कुछ व्यक्ति जो कुर्सियोपर बैठे हुये थे, अन्दर रह गये।

शार्टहैण्ड (Short Hand) के उर्दु-रिपोर्टरने उन दोनो तकरीरोंको, जिनकी बुनियाद पर दावा किया गया था, पढ़कर सुनाया। इसके पश्चात् १२४ ए धाराके मातहत जुर्म लगा दिया गया।

मैजिस्ट्रेट (मौलानासे)—"क्या आप कुछ कहना चाहते है?"

मौलाना—"नही।"

मैजिस्ट्रेट—"क्या आप कोई गवाह पेश करना चाहते है?"

मौलाना—"नही, यदि मैने आवश्यकता देखी तो अन्तमे अपना लिखा हुआ ब्यान पेश कर दूंगा।"

मैजिस्ट्रेट—"क्या आपको कागजकी आवश्यकता है?"

मौलाना—नही।"

मैजिस्ट्रेट—"क्या आप को किसी और चीज की जरूरत है?"

मौलाना—"मै अपनी तकरीरोंकी नकल चाहता हूँ। (जो उन्हें दे दी गई)

यहाँ सरकारी वकीलने मैजिस्ट्रेटसे दरख्वास्त कि अर्जी-दावाकी भी एक नकल मुल्जिमको दे दी जाये। इसके बाद मुकद्दमा ११ जनवरी तकके लिये मुल्तवी कर दिया गया। मुकद्दमेके दौरानमें अदालतके अहाता और सड़क पर काफी भीड़ मौजूद थी। कौमी नारे बराबर लगाये जा रहे थे। ज्योंही मौलाना जेल की गाड़ीमें सवार होने लगे—अबुल कलाम आजाद की जय, वन्दे मातरम्, महात्मा गांधीकी जै, हिन्दु-मुसलमानोंकी जय और अल्ला

हो अकबर के भरपूर नारोसे चारों दिशाएँ गूँज उठीं। लोगोंकी इस कदर भीड़ थी कि कुछ समय तक गाड़ियों का आना-जाना रुक गया।

मिसिल की नकल—

मुद्दालेह—मौलाना अबुलकलाम आजाद।

अदालत—चीफ प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेट कलकत्ता।

गिरफ्तारी—दफा १२४ ए ताजीरात हिन्द।

मुद्दई—जे० एम० गोल्डी कमिश्नर आफ पुलिस स्पेशल ब्रान्च कलकत्ता।

यह ब्यान मुद्दई का इस प्रकार है—

१. पहली जुलाई १९२१ को मुद्दालेहने मिर्जापुर-पार्कमें असहयोग और बायकाटके विषयों पर उर्दूमें एक तकरीर की थी।

एक उर्दु शार्टहैंड-रिपोर्टरने उनकी पूरी तकरीरके नोट उर्दुमें लिये। उनके असली नोटकी नकल की एक उर्दु कापी जिसपर अंग्रेजी शब्द 'ए' का निशान बना है, मिसिलमें शामिल है। जिसमे शार्टहैण्ड नोटका अंग्रेजी अनुवाद भी शामिल है, जिसे गवर्नमेण्ट आफ बङ्गालके एक बङ्गाली अनुवादकने किया है। इस पर अंग्रेजी शब्द 'बी' का निशान है।

२. फिर १५ जुलाई १९२१ को मुल्जिमने उर्दुमे एक दूसरी तकरीर उसी जगह और उसी विषयपर की और एक उर्दू रिपोर्टरने उनकी पूरी तकरीरका उर्दु शार्टहैण्डमें नोट लिया। इस नोटकी एक नकल जिसपर शब्द 'सी' का निशान है, शामिल है और दूसरा कागज जिसपर शब्द 'डी' का निशान है, में भी शार्टहैण्ड का अंग्रेजी अनुवाद है, जिसे गवर्नमेण्ट बङ्गालके एक बङ्गाली अनुवादक ने किया है।

३. दोनों मौको पर स्पेशल ब्रान्चके तीन दूसरे अफसरोने भी लांगहैण्डमें नोट लिये थे और वह उस शार्टहैण्ड रिपोर्टकी तस्दीक करते हे।

४. तकरीरोंके देखनेसे अन्दाजा हो सकता है कि भाषणकर्ताने अपनी

इन तकरीरोंसे गवर्नमेण्टके विरुद्ध लोगोंमें घृणा व नफ़रत फैलानेकी कोशिश की और इस तरह एक ऐसे जुर्मका साहस किया, जिसके कारण वह १२४ ए-ताज़ीरात हिन्दके मातहत सज़ाका भागीदार हो सकता है।

५. गवर्नर-इन-कौन्सिलने मुद्दईको ये आज्ञा और अधिकार दिया है कि वह मौलाना अबुलकलाम आजादको जुर्मकी बुनियादपर उन्हें दफ़ा १२४ ए ताज़ीरात हिन्द गिरफ्तार करे और इनके विरुद्ध कार्रवाई करे। सेक्शनकी असल कापी नत्थी है और उसपर शब्द 'ए' का निशान है। मतलब यह कि मुद्दई दरख्वास्त करता है कि मुलज़िमके विरुद्ध हुक्मनामा जारी किया जाये कि वह अपने उन इल्ज़ामोंकी जवाबदेही करे और उसके हाज़िर होने पर मुकद्दमा चलाया जाये। तात्पर्य यह है कि कानूनके अनुसार कार्रवाई अमलमें लाई जाये।

चौथी पेशी—

११ तारीख़को मिस्टर सोनियो चीफ प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेटकी अदालतमें चौथी पेशी हुई। कमरा और अहाता-अदालत काफी लोगोंसे भरा हुआ था, परन्तु इसके पहले कि कार्रवाई शुरू हो, सार्जेण्ट ने कमरा लोगोंसे खाली करा लिया। यहां तक कि उन लोगों को भी न रहने दिया जो कुर्सियों पर बैठे थे। इसके बाद मौलाना लाये गये। ज्यों ही उन्होंने कठघरेमें कदम रखा, सब लोग जो वहाँ हाजिर थे स्वागतके लिये उठ खड़े हुए। मैजिस्ट्रेटने मौलानासे पूछा—
"क्या आप कोई बयान देना चाहते हैं?"

मौलाना—"हाँ, अगर अदालतको कोई एतराज़ न हो, तो मैं एक लिखा हुआ बयान पेश करूँगा।"

मैजिस्ट्रेट—"क्या वह आप के साथ है?"

मौलाना—"हाँ, वह उर्दूमें है। पर मैं चाहता हूँ उसका अंग्रेजी अनुवाद अदालतमें पेश करूँ।"

मैजिस्ट्रेट—"तो क्या आप स्वयं उसका अनुवाद करा लेंगे?"

मौलाना—"हाँ, यदि अदालत को इस पर कोई एतराज़ न हो तो।"

मैजिस्ट्रेट—"क्या आपको और किसी चीज़ की आवश्यकता है?"

मौलाना—"यदि कोई नुकसान न हो तो मैं अपनी उस तकरीरका, जिसे न जाने क्या-क्या बताया गया है, अंग्रेजी अनुवाद देखना चाहता हूं।"

मजिस्ट्रेट—"क्या ब्यानके लिये उसकी आवश्यकता है?"

मौलाना—"मैं उसे देखना चाहता हूँ।"

मैजिस्ट्रेटने अदालतमें पूछा कि अंग्रेजी अनुवादको पहले ही क्यो न दिया गया? अब उन्हे तत्क्षण दे दिया जाये। सरकारी वकीलने एक पुलिस अफसर से कहा। उसने ब्यान किया कि इस समय वह यहाँ हाज़िर नही है। जेलमे भेज दिया जायेगा।

इसके बाद मुकद्दमा १७ जनवरी १९२२ तक बढ़ा दिया गया। सदा की तरह आज भी एक बहुत बड़ा जमाव लोगोंका सड़क पर था और बराबर कौमी नारे लगा रहा था।

पाँचवी पेशी—

१७ जनवरीको मौलानाके मुकद्दमाकी सुनवाई प्रेसीडेन्सी सिविल- जेलमें हुई। हज़ारो व्यक्ति समयपर प्रेसीडेन्सी कोर्ट पहुंच गये थे, परन्तु जब उन्हें मालूम हुआ कि मुकद्दमा कोर्टके बदले जेलमें होगा तो अपने-अपने घरोको निराश वापिस हो गये। फिर भी एक भीड हिन्दु-मुसलमानोकी फौरन टैक्सियोमे सवार होकर जेल पहुँच गई। पर वहाँ इन्हें अहातेके जेलके अन्दर जाने की आज्ञा न दी गई। बादको मालूम हुआ कि मौलानाके साथियो और अख़-बारोंके प्रतिनिधियोंको भी अन्दर जानेकी आज्ञा नही मिलेगी। अदालतके अन्दर केवल मिस्टर गोल्डी डिप्टी कमिश्नर स्पैशल ब्राञ्च और कुछ सी० आई० डी० पुलिस अफसर हाज़िर थे। १२ बजे मिस्टर सोनियों चीफ प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेट और रायबहादुर तारकनाथ साधू सरकारी वकील आये।

अखबारोंके प्रतिनिधियोंने अन्दर जानेकी फिर कोशिशकी, पर अदालतके पेशकारने कहा—"जेलरसे इसकी दरख्वास्त करनी चाहिये, वे ही इसकी आज्ञा दे सकते हैं।" इसलिये यह बात जेलरसे कही गई, उसने कहा—"वह कमरा अब अदालतको दे दिया गया है। उनका इसमें कोई अधिकार अवशेष नहीं।" इसलिये मैजिस्ट्रेटको इसकी खबर दी गई, परन्तु जवाब मिला कि सुपरिन्टेन्डेण्ट जेलके पास दरख्वास्त दी जाये। सुपरिन्टेन्डेण्ट भी उस समय न था, इसलिये मुलाकात न हो सकी। पर बादमें सुपरिन्टेन्डेण्टने मौलानासे कहा कि न तो उसकी तरफसे कोई रोक थी और न वह रोकनेका अधिकार ही रखता है। इसका अधिकार तो केवल मैजिस्ट्रेट को है।

ठीक पौने बारह बजे जेलरके साथ मौलाना आये। मौलानाने अदालतके कमरेमें भीतर कदम रखते ही कहा—"ये कार्रवाई पब्लिक है या प्राइवेट (Private)?

मैजिस्ट्रेट—"प्राइवेट (Private), आप पधारिये।"

मौलाना—"क्या आपने यह मुझसे कहा है? शायद आपको याद नहीं रहा कि पहले भी मैं दो बार आपके सामने हाज़िर हो चुका हूँ।"

मैजिस्ट्रेट—"मुझे याद है।"

मौलाना—"बीते हुए अवसरोंपर जब मैं दो-तीन घण्टे लगातार खड़ा रह सका, तो अब भी खड़े रहनेमें मुझे कोई तकलीफ नहीं हो सकती।"

मैजिस्ट्रेट—"अफसोस है कि मुझे उन अवसरों पर याद न रहा।"

मौलाना—"आपके इस व्यवहार का शुक्रिया!"

मैजिस्ट्रेट—"क्या आप अपना बयान लाये हैं?"

मौलाना ने अपना उर्दू बयान हाज़िर कर दिया और कहा कि उनके सेक्रेटरीकी गैरहाज़िरीके कारण अंग्रेजी अनुवाद पूरा न हो सका।

मैजिस्ट्रेट—"तो क्या इसके अनुवादके लिये आप और समय चाहते हैं?"

४

मौलाना—"नहीं, मै नही चाहता कि व्यर्थ अनुवादके लिये मुकद्दमेमें विघ्न हो।"

मैजिस्ट्रेट—"परन्तु यदि इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाता, तो अदालतके लिये वड़ी सुविधा हो जाती।"

इसके वाद मुकद्दमा १६ तारीख तकके लिये वढ़ा दिया गया, परन्तु वादको स्वयं ही १६ के वदले २४ तारीख कर दी गई।

छठवीं पेशी—

२४ जनवरीको मौलानाका मुकद्दमा सिविल जेलमें चीफ प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेटके समक्ष पेश हुआ। आज कुछ लोगोंको भीतर जानेकी आज्ञा मिल गई थी।

एक वजेके करीव मौलाना पधारे। उस दिन केवल यही कारंवाई हुई कि मौलाना का व्यान अदालतने ले लिया और ३१ जनवरीको फिरसे पेशीके लिये कहा गया।

सातवीं पेशी—

मौलाना की तवीयत कई दिन से वहुत उदास थी। जिगरकी खरावीके कारण ज्वरका कुछ प्रकोप भी हुआ था। २१ को एक वार शदीद दौरा भी हुआ। जेलके डाक्टरने कहा—ऐसी हालतमें इनका अदालतमें जाना अत्यन्त हानिकारक होगा। सुपरिन्टेन्डेण्ट तैयार था कि अदालतको खवर देकर पेशी वढ़ा दी जाये, परन्तु मौलानाने पसन्द न किया कि उनकी वजहसे कारंवाईमें किसी प्रकारकी ढील-ढाल हो। उन्होने कहा—"जव कारंवाई जेल ही के अहातामें हो रही है तो थोड़ी देरके लिये कुछ कदम चलना मेरे लिये कठिन न होगा। जेलसे कोई खवर अदालतको न दी जाये।" परन्तु थोड़ी देरके वाद सुपरिन्टेन्डेण्ट जेल मिस्टर सोनियो प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेटकी चिट्ठी लेकर आये, जो ३० तारीखकी लिखी हुई थी और उनमें लिखा था कि मौलानाका मुकद्दमा ८ फरवरी तक वढ़ा दिया गया।

५ जनवरीकी कार्रवाईके मुकाबलेमें ये कार्रवाई कुछ ठीक थी। कमसे कम खबर तो दे दी गई। पर सवाल ये है कि क्या इस प्रकारकी चिट्ठी मैजिस्ट्रेट और मुल्जिम की हाजिरीमें मुनासिब हो सकती है? यदि उत्तर 'हाँ' मे हो, तो यह कानूनी पाबन्दी अदालतमें एक नये ढगका नियम होगा। हम इसे परिवर्तन भी कह सकते हैं; परन्तु जहाँतक मालूम है १९०८ मे केवल जाब्ता फौजदारी ही का परिवर्तन हुआ था, अदालतका नही।

अब हम पहले मौलानाका ब्यान पेश करते है। उसके पश्चात् अन्तिम पेशी-की कार्रवाई और अदालतके फैसलाकी नकल लिखेगे।

५

मौलाना अबुलकलाम आज़ादका लिखा हुआ ब्यान

व बदमस्ती सजद गर मुत्तहम साजोमरा साकी—हनूज अज बादह पारीना अम पैमाना जब्रोवार, अर्थात्—मैं उस बुरी वासनाका फल भोगूँगा—अगर मेरा प्रेमी मुझपर यह प्रमाणित करे। परन्तु मैं उस पुराने प्यालेके स्वादसे भलीभाँति परिचित हूँ।

अलहम्दो लिल्लाहे वहदहु, अर्थात्—सारी तारीफें उस सर्वशक्तिमान्के लिये हैं, जो निराकार है।

मेरा विचार न था कि कोई मौखिक या लिखित ब्यान यहाँ पेश करूँ। यह एक ऐसी जगह है जहाँ हमारे लिये न तो किसी प्रकारकी आशा है, न इच्छा है और न शिकायत ही। ये एक मोड है जिससे गुजरे विना पूरा मार्ग तय नही कर सकते। इसलिये थोड़ी देरके लिये अपनी इच्छाके विरुद्ध सांस ले लेनी पडती है। यह न होती तो हम सीधे जेल चले जाते।

यही कारण है कि पिछले दो सालके अन्दर मैंने सदैव इसका विरोध किया कि कोई असहयोगी (Non Co-operator) किसी प्रकारका भी भाग अदालत की कार्रवाईमे ले। आल-इण्डिया कांग्रेस-कमेटी, सेन्ट्रल खिलाफत-कमेटी और जमीयतुल उलमा हिन्दने यद्यपि इसकी आज्ञा दे दी है कि जनताकी पहचानके लिये तहरीरी ब्यान दिया जा सकता है, परन्तु मैं लोगोको यही सलाह देता रहा कि धीरज ही अच्छा है। मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति इसलिये ब्यान देता है कि वह दोषी नही, यद्यपि उसका उद्देश्य जनता (Public) को परिचित कराना ही है; फिर भी सुरक्षित नही है। हो सकता है कि अपने

बचावकी एक हल्की-सी इच्छा और बचावकी एक कमजोर-सी आशा उसके अन्दर काम कर रही हो। यद्यपि असहयोगका मार्ग बिल्कुल स्पष्ट है और वह इस विषयमें कोई भी सफाई पसन्द नही करता।

पूरी उदासीनतासे पूरे परिवर्तनका विचार—

असहयोग वर्तमान परिस्थितिसे पूर्ण निराशा का प्रमाण है, और इसी उदासीनतासे पूर्ण परिवर्तनका विचार पैदा हुआ है। एक व्यक्ति जब गवर्नमेंटसे असहयोग करता है तो वह एलान करता है कि वह गवर्नमेंटके न्याय और यथार्थवादसे निराश हो चुका है। वह उसकी पक्षपात-शक्तिके विकाससे परिचित है, इसलिये परिवर्तनका इच्छुक है। जिस वस्तुसे वह इस हद तक निराश हो चुका कि परिवर्तनके सिवा कोई उपाय नही देखता, वह क्योंकर आशा रख सकता है कि गवर्नमेंट एक न्यायशील शक्तिके समान उसके साथ भी न्याय करेगी ?

इस सिद्धान्तको भी छोड दिया जाय। वर्तमान परिस्थितिमें किसी तरहकी आशा रखना एक व्यर्थका विवाद है। यह अपने ज्ञात किये हुये से विरुद्ध होगा कि गवर्नमेंटके अतिरिक्त कोई समझदार व्यक्ति इससे इन्कार नही कर सकता कि वर्तमान अदालतोंसे किसी न्यायकी किसी तरह की भी आशा नही है। इसलिये नही कि वह ऐसे व्यक्तियोंसे बनी है जो न्याय करना पसन्द नही करते वरन् इसलिये कि ऐसे शासनके सिस्टम (System) पर अवलम्बित है जिससे रहकर कोई मैजिस्ट्रेट उन मुल्जिमोंके साथ न्याय नही कर सकता, जिनके साथ स्वयं गवर्नमेंट न्याय करना पसन्द न करती हो।

मैं यहा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 'असहयोग' का सम्बन्ध केवल गवर्नमेंट, गवर्नमेंटके सिस्टम, और वर्तमान नौकरशाही तथा राष्ट्रीय विचारोंसे है। शासन व्यक्तियोंसे नही है। अदालतें अन्यायका पुराना हार है।

हमारे इस समयके सम्पूर्ण हालातकी तरह यह हालत भी नयी नही है। इतिहास साक्षी है कि जब कभी भी शासनाधिकारी शक्तियोंने स्वतन्त्रता और अधिकार

के मुकाबलेमें हथियार उठाये है, तो अदालतोने सबसे अधिक सरल और बेकसूर हथियारका काम दिया है। अदालतका अधिकार एक शक्ति है, तथा वह न्याय और अन्याय दोनोंके लिये काममे लाई जा सकती है। न्यायी गवर्नमेंटके हाथमे वह न्याय और अधिकारका सबसे बढ़िया उपाय है। परन्तु शक्तिशाली और असंदिग्ध सरकारके लिये इससे बढ़कर बदला और अन्यायका कोई यन्त्र भी नहीं है।

इतिहास जगतका सबसे बड़ा अन्याय युद्धके मैदानके बाद अदालतके कटघरे मे ही है। संसारके पवित्र आचार्यो, धर्मसे लेकर विज्ञानके विद्वानों और दर्शन-शास्त्रियों तक सीमित कोई पवित्र और सत्य-पारखी संस्था नहीं जो अपराधियोंके समान अदालतके समक्ष खड़ी न की गई हो। समयकी क्रान्तिके साथ प्राचीन सत्ताकी बहुतसी बुराइयाँ मिट गई है। मै विश्वास करता हूँ कि अब ससारमें दूसरी सदी ईसवीकी भयानक रूमी अदालतोका अस्तित्व नही हैं।

परन्तु मै ये माननेके लिये तैयार नही कि जो जोश इन अदालतोमे काम करते थे, उनसे भी हमारे जमानेको मुक्ति मिल गई है। वे इमारते जरूर गिरा दी गई जिनके अन्दर भयानक प्राणी बन्द थे, परन्तु उन दिलोंको कौन बदल सकता है जो मानवी स्वार्थपरता और अन्यायके भयानक भेदोका खजाना है ?

एक आश्चर्यजनक, पर उच्च स्थान—

अदालतके अन्यायोकी सूची बड़ी ही लम्बी है। इतिहास आज तक इसके शोकसे अलग न हो सका। हम इसमे हजरत ईसा जैसे पवित्र मानवको देखते है, जो अपने समयकी अद्‌भुत अदालतके सामने चोरोंके साथ खड़े किये गये। हमको उसमें सुकरात दृष्टिगोचर होता है, जिसको केवल इसलिये जहरका प्याला पीना पड़ा क्योंकि वह अपने देशका सबसे अधिक सच्चा व्यक्ति था। हमको इसमें फ्लारेन्सके महान् भक्त गलीलियोका नाम भी मिलता है, जो अपनी दिव्यता और सच्चाईको इसलिये झुठला न सका कि समयकी अदालतके पास उसका

स्वीकृत दोष था। मैंने हजरत ईसाको मनुष्य कहा, क्योंकि मेरे विश्वासमें वह पवित्र मनुष्य थे जो भलाई और प्रेमका आस्मानी संदेश लेकर आये थे, परन्तु करोड़ों इन्सानोंके विश्वासोंमें तो वे इससे भी बढ़ कर हैं। लेकिन ये अपराधियों का कटघरा कैसा आश्चर्यजनक परन्तु उच्च स्थान है, जहाँ सबसे अच्छे और सबसे बुरे दोनों प्रकारके आदमी खड़े किये जाते हैं! इतनी बड़ी विभूतिके लिये भी यह स्थान अयोग्य स्थान नहीं।

प्रभुका धन्यवाद—

इस स्थानके उच्च और वैभवशाली विचारोंके इतिहासपर जब मैं ध्यान देता हूँ कि इसी जगह खड़े होनेका गौरव आज मुझे मिल रहा है, तो निर्भीक हो मेरी आत्मा प्रभुके धन्यवादमें डूब जाती है और केवल वही जान सकता है कि इस समय मेरे दिलकी भावना क्या है? मैं अपराधियोंके इस कटघरेमें विचार करता हूँ कि मैं बादशाहोंके सामने ईर्षा-योग्य हूँ। इनको अपने भोग-विलासमें वह सुखी और चैन कहाँ नसीब है, जिससे मेरे दिलका एक-एक तार गद्गद् हो रहा है? काश! असावधान और विलासी मनुष्य इसकी एक झलक ही देख पायें? यदि ऐसा होता तो मैं सच कहता हूँ कि लोग इस जगहके लिये प्रार्थनायें किया करते।

मैं ब्यान क्यों देता हूँ?—

मेरी धारणा न थी कि ब्यान दूँ; परन्तु ६ जनवरीको जब मेरा मुकद्दमा पेश हुआ तो मैंने देखा कि गवर्नमेंट मुझे सजा दिलानेके मामलेमें अत्यन्त खिन्न और चिन्तित हो रही है। यद्यपि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको उसकी इच्छा और विचारके अनुसार सबसे पहले और सबसे अधिक सजा मिलनी चाहिये।

पहले मेरे विरुद्ध दफा २।१७ तरमीम जाब्ता फौजदारीका दावा किया गया था, परन्तु जब इसका ऐसा प्रमाण न मिल सका, जैसा आजकल जुर्मके लिये काफी सन्तोषजनक होता है, तो लाचार होकर वह धारा वापिस ले ली गई। अब

१२४ ए का मुकद्दमा चलाया गया है परन्तु दुर्भाग्यसे ये भी प्रमाण आदिके लिये काफी नही, क्योंकि जो तहरीरें प्रमाणोमें पेशकी गई हैं वह उन वहुत-सी वातोंसे खाली है, जो मैं अपनी अत्यधिक तकरीरों और तहरीरोमें सदैव कहता रहा हूँ और वे शायद गवर्नमेंटके लिये अधिक उपयोगी होती।

यह देखकर मेरी सलाह वदल गई। मैंने विचार किया कि जो कारण व्यान न देनेका था, वही अव सोच रहा हूँ कि शान्त न रहूँ और जिस वातको गवर्नमेण्ट सप्रमाण जाननेके लिये कुछ न कर सकी, उसे स्वयं पूरे प्रमाणके साथ अपनी कलमसे लिख दूं। मैं जानता हूँ कि अदालती कानूनके लिहाजसे यह मेरे कर्त्तव्यमें नहीं शामिल है। मेरी ओरसे प्रासिक्यूशनके लिये भी यह वहुत वड़ी मदद है कि मैंने डिफेन्स (Defence) पेश नही किया। परन्तु सत्यताका कानून अदालती ढङ्गके हीले-हवालोका रास्ता नही रोकता। यथार्थमें यह सच्चाईके विरुद्ध होगा कि एक वात केवल इसलिये गुप्त रहने दी जाये कि विरोधी अपनी अयोग्यताके कारण उसे प्रमाणित न कर सका।

अपराध स्वीकार—

हिन्दुस्तानकी वर्तमान व्यूरोक्रेसी एक ऐसा ही शासनाधिकार है, जैसा अधिकार देश व जातिकी हीनताके कारण शक्तिवान् मनुष्य प्राप्त करते रहते हैं। प्राय: यह अधिकार जाति-जागरणके प्रयत्नोंसे आजादी व न्यायकी हलचलोको दवाता रहा है, क्योकि उसका आवश्यक प्रभाव हमेशा अन्यायी असुर-शक्तिका पतन है और कोई भी शक्ति अपना पतन नही चाहती, चाहे वह कितनी ही कमजोर क्यों न हो! जव युद्ध होता है तो दोनों दल अपने-अपने लाभके लिये सव कुछ करते हैं। राष्ट्रीय जागरण अपने अधिकार-की उपासना करता है, सत्ता और भी मजवूतीसे चिपकती है। सभी अपने वचाव तथा रक्षाके लिये हाथ पैर हिलाते हैं। सम्भव है कि न्यायके विरुद्ध भी कोई पहुँच जाये, इच्छाके विरुद्ध तो सम्भव नही है। यह भी खुलासा है कि भलाईके अनुसार

बुराई भी जिन्दा रहना चाहती है। वह खुद चाहे कितनी ही निन्दनीय हो, किन्तु जीवनकी इच्छा निन्दनीय नहीं होती।

हिन्दुस्तानमें भी यह मुकाबला शुरू हो गया है। इसलिये यह कोई साधारण बात नहीं है, अगर ब्योरोक्रेसीके लिये स्वतन्त्रता और अधिकारके प्रयत्न जुर्म हों और वह उन लोगोको कठोर सजाओंका भागी समझे, जो न्यायके नामसे उसके अन्यायी वैभवके विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं न सिर्फ उसका दोषी हूँ, बल्कि उन लोगोंमें हूँ जिन्होंने इस जुर्मको अपनी जातिके दिलोंमें सगठित रूपसे भरा है और इसकी सफलताके लिये अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया है। मैं हिन्दके मुसलमानमें पहला व्यक्ति हूँ जिसने सन् १९१२ में अपनी जातिमें इस जुर्मको प्रचारित किया और तीन सालके अन्दर इस प्रकारसे उनका परिवर्तन कर दिया कि जिसमें गवर्नमेण्टके सारे छिपे भेद भी बतला कर रख दिये। यदि गवर्नमेण्ट मुझे अपने विचारमें सजावार समझती है और इसलिये सजा भी दिलाना चाहती है, तो मैं पूरी साफदिलीके साथ स्वीकार करता हूँ कि यह कोई विरोधी बात नही है जिसके लिये मुझे शिकायत हो।

मै जानता हूँ कि गवर्नमेण्ट फरिश्तो की तरह मासूम होनेका दावा रखती है, क्योंकि उसने गलतियोंको माननेसे सदैव इनकार किया है; परन्तु मुझे यह भी मालूम है कि उसने ईसाई होनेका कभी गर्व नही किया। फिर भी मै क्यों आशा करूँ कि वह अपने विरोधियोंको प्यार करेगी! वह तो वही करेगी, जो कर सकती है और जो सदैव समयानुसार आजादीके मुकाबलेमें किया गया है। यह एक ऐसा स्वाभाविक मामला है जिसमें दोनो पार्टियोंके लिये शिकायतके लिये कोई अवसर नही। दोनो को अपना-अपना काम किये जाना चाहिये।

गवर्नमेन्ट आफ बंगाल और मेरी गिरफ्तारी—

मै यह भी प्रगट कर देना चाहता हूँ कि मेरा मामला जो कुछ था, गवर्नमेण्ट आफ इण्डियासे था। वह किसी विशेष संगीन कसूरकी बुनियादपर

नही, वरन् वर्तमान आन्दोलनका प्रभाव होनेके कारणसे मुझे गिरफ्तार कर सकती थी। और जैसा कि ढङ्ग है, वह गिरफ्तारीके भी लिये कोई वहाना वना लेती; क्योंकि देशमें अधिकतर विचार किया जाता था कि अली-भाइयोंसे मुझे अधिक समय दिया गया। परन्तु अब अधिक समय तक असावधानी नहीं की जाएगी, किन्तु यह स्पष्ट है कि वङ्गाल गवर्नमेण्टके सामने इस समय मेरा मामला न था और न वह दफा १२४ एका मुकद्दमा ही चलाना चाहती थी। इस दफाके प्रमाणमे जो तकरीरें पेशकी गई हैं वह ६ मास पहले कलकत्तामें की गई हे और गवर्नमेण्टने २२ दिसम्वरको आज्ञा दी है अर्थात् मेरी गिरफ्तारीके वारह दिन वाद। यदि वास्तवमे इन तकरीरोमें जुर्म था तो क्यो मुझे छः मास तक गिरफ्तार नही किया गया? और अब मुझे गिरफ्तार भी किया गया तो मेरे जेल भेजने के १२ दिन वाद? हर व्यक्ति इन दो घटनाओसे साफ-साफ समझ सकता है कि वास्तविक वात क्या है? विशेपतः यह तीसरी घटना भी वढा दी जाये कि जो दफा प्रकटकी गई, वह १२४ ए न थी, वल्कि २।१७ जाव्ता फौजदारी थी। २५ दिनके वाद मुझसे कहा जाता है कि वह दफा वापिस ले ली गई हैं।

गिरफ्तारी की वास्तविकता—

सचमुच में वात यह है कि मेरी गिरफ्तारीके साथ इस दफ़ाका कोई सम्वन्ध नहीं। यह ठीक है कि मुझे उन्ही परिस्थितियोके सिलसिलेमें गिरफ्तार किया गया जो १७ नवम्वरके वाद प्रकट हुई हैं। यदि मै पहली दिसम्वरको कलकत्ता न आता या १० दिसम्वरके पहले वाहर चला जाता, जिसका जलसा जमीअतुल-उल्मा वुदायूंके कारण आशा थी तो गवर्नमेण्ट वङ्गाल मुझसे कोई शिकायत न करती।

१७ नवम्वरके वाद संसारकी समस्त वस्तुओमेंसे जो चाही जा सकती हैं वह केवल यह चाहती थी कि २४ नवम्वरको जव 'प्रिन्स' कलकत्ता पहुँचे तो हड़ताल न हो। और जो जवरदस्ती मूखंता तरमीम जाव्ता (वदली-धारा)

फौजदारी १९०८ के रूपमें हो गई है, वह एक दिनके लिये स्वीकार कर ली जाये। वह समझती थी कि मेरी और श्री सी० आर० दासकी मौजूदगी इसमें खतरनाक है इसलिये कुछ समयके लिये सोच-विचारके वाद हम दोनों गिरफ्तार कर लिये गये। गिरफ्तारी विना वारण्टके होती थी परन्तु जब दूसरे दिन नियमकी पावन्दी पूरी करनेके लिये मैजिस्ट्रेट जेलमें भेजा गया तो श्री सी० आर० दासकी तरह मेरी गिरफ्तारीके लिये भी २।१७ तरमीम जाव्ता फौजदारीके मातहत वारण्ट पेश किया गया।

मैं पिछले दो सालके अन्दर बहुत कम कलकत्तामें रह सका हूँ। मेरा समस्त समय अधिकतर खिलाफत-आन्दोलनके केन्द्रीय कार्यक्रमोंमें खर्च हुआ या देशके आवश्यक दौरोंमें। बहुधा ऐसा हुआ कि महीनों बाद कुछ दिनोंके लिये कलकत्ता आया और बङ्गाल प्रान्तीय (Provincial) खिलाफत-कमेटीके कामोंकी देख-रेख करके फिर चला गया। मध्य नवम्बरसे भी मैं दौरेमें था। १९ को कलकत्तासे चला था कि जमीयतुल-उल्मा-हिन्द लाहौरके वार्षिक जलसेमें शामिल होऊँ। वहाँ महात्मा गाँधीके तारसे बम्बईकी परिस्थितिका हाल मालूम हुआ और मैं बम्बई चला गया। जनवरी तक मेरी भावना वापस आनेकी न थी, क्योंकि १० दिसम्बरको जमीयतुल-उल्माका स्पेशल जलसा बुदायूँमें था। उसमें शामिल होना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त मुझे सब समय अँगोरा-फण्डकी वसूली में व्यतीत करना था, परन्तु एकाएक गवर्नमेण्ट बङ्गालकी जबरदस्तीकी घटनाओं सम्बन्धी और ता० १८ के प्रेस-नोटकी ताजी खबर बम्बईमें मिली और मेरे लिये असम्भव हो गया कि ऐसी हालत में कलकत्तासे बाहर रहूँ। मैंने महात्मा गांधीसे सलाह ली। उनकी भी यही सलाह थी कि मुझे सम्पूर्ण प्रोग्राम छोड़कर कलकत्ता चले जाना चाहिये। भय और विचार इसे इस बातका था कि कहीं ऐसा न हो कि गवर्नमेण्टका अत्याचार लोगोंको बेचैन कर दे और वे कोई बात शान्तिके विरुद्ध कर बैठें। विशेष

कर जब कि 'सिविल-गार्ड' की स्थापनाकी खबरें भी आ चुकी थी और इस बारे में हमारे समझनेमें कोई गलती नही हो सकती थी कि यह नई हथियारबन्दी किस उद्देश्यके लिये है ?

मैं पहली दिसम्बरको कलकत्ता पहुँचा। मैंने जुल्म और सहनशीलता दोनोंके चित्र अपने सामने पाये।

मैंने देखा कि १७ नवम्बरकी हड़तालसे लाचार होकर गवर्नमेण्ट उस व्यक्तिके समान हो गई है जो जोश और गुस्सेमें आपेसे बाहर हो जाये और फिर बिल्कुल विदग्धता से खिन्न हो जाये।

१९०८ ई० के क्रिमिनल ला एमेन्डमेण्ट एक्टके मातहत देशके स्वयसेवकोंकी समस्त संस्थाएँ गैरकानूनी कर दी गई है। जन-सभापर पाबंदी लगा दी गई है। यह तो सब जानते हैं कि कानून केवल पुलिसकी इच्छाका नाम है, वह गैर कानूनी संस्था की आड़ में जो चाहे मनमानी कर सकती है; यहाँ तक कि राह चलतोंकी जान व इज्जत भी सुरक्षित नही। गवर्नमेंटने पहले १८ नवम्बरके विज्ञप्ति में केवल पिछले व वर्तमान स्वयंसेवक-संस्थाओका उल्लेख किया था, परन्तु २४ को दूसरी विज्ञप्ति निकाल करके समस्त भविष्यमें बननेवाली संस्थाओं आदिपर भी कानून के विरुद्ध आज्ञा प्रगटकर दी और पुलिसने भी बिना जांच किये हर व्यक्तिको, जो इसके सामने आ गया, गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। कोई बात भी, जिससे २४की हड़तालके रुकनेकी सभावना हो, पुलिस और पुलिससे भी अधिक 'शरीफ कौम' सिविल-गार्डके लिये नाजायज नही। सिविल-गार्ड मानो देशके स्वयंसेवकोंके विरोधमें हैं। वे बिल्कुल निहत्थे होनेपर भी 'आत्म-बल' से हड़ताल करवा देते थे और ये रिवाल्वरसे सुसज्जित होनेपर भी शायद "शान्ति व मेल" के द्वारा हुई हड़ताल रोक देंगे !

इसके मुकाबलामें लोगोंने भी सहनशील रहने और अत्याचारों आदिका धीरज सामना करने प्रण कर लिया है। साफ मालूम होता है कि न तो वे अपनी राह से हटेंगे न अनैतिक ढंगसे मुकाबला ही करेंगे।

इन परिस्थितियोमे मेरे लिये कर्त्तव्यकी राह बिल्कुल साफ और एक-सी थी। मैंने अपने सामने दो वास्तविक परिस्थितियाँ देखी। एक यह कि गवर्नमेंटकी समस्त शक्ति कलकत्तामे सिमट गई है; इसलिये जीत अथवा हारका पहला निर्णय यहीं होगा। दूसरी यह कि हम कल तक पूरी आज़ादीके लिये प्रयत्न कर रहे थे, परन्तु वर्तमान परिस्थितिने बतला दिया कि हमारी आज़ादीकी सीमाएँ यहाँ तक मौजूद नही है। तकरीर और तहरीरकी आज़ादी इन्सानके जन्मजात अधिकार है। इसकी बरबादी दार्शनिक "मिल"के विचारानुसार मनुष्योंके कत्लेआमसे कुछ ही कम कही जा सकती है; परन्तु ये बरबादी बिना किसी झिझकके प्रकट हो रही है। अत मैंने बाहरका सब प्रोग्राम बदल दिया है और निर्णय कर लिया है कि उस समय तक कलकत्ता ही में रहूँगा, जब तक दो बातोंमें से कोई एक बात प्रत्यक्षमें न आ जाये, या तो गवर्नमेंट अपनी विज्ञप्ति और आर्डर, वापिस ले ले, या मुझे गिरफ्तार कर ले।

गवर्नमेंटने १० दिसम्बरको मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैं पूरे विश्वास और उत्साहके साथ जेलकी ओर बढा, क्योंकि मैं अपने पीछे एक जीता हुआ मैदान छोड रहा था। मेरा मन खुशीमे मग्न था, कि कलकत्ता और बंगालने मेरी आशाएँ पूरी कर दी। वह पहले जिस प्रकार पीछे था, उतना ही आज सबसे आगे है। मैं स्वीकार करता हूँ कि इस कार्यकी सफलताके लिये हमे गवर्नमेंटकी मदद का पूर्ण रूपसे धन्यवाद देना चाहिए। यदि वह १७ नवम्बरके पश्चात् यह ढंग न पकडती, तो सचमुच हमारे लिये अगले कार्योंकी प्रगतिमे कुछ न कुछ कठिनाइयां थी और हम २२ नवम्बर को बम्बईमे इन्ही कठिनाइयोपर भलीभांति विचार कर रहे थे।

दो सच्चाइयाँ—

सच बात तो यह है कि उस बीते हुए समयने एक ही साथ दोनों सच्चाइयाँ प्रकट करनेके लिये सुन्दर अवसर दे दिया। एक तरफ़ गवर्नमेंटके

चेहरेसे झूठी बातोंके सब पर्दे दूर हो गये; तो दूसरी ओर देशकी शक्ति भी एक कठिन परीक्षामे पड़कर पूर्ण रूपसे प्रकट हो गई। संसारने देख लिया कि अगर गवर्नमेंट सब प्रकारके जुल्म ढानेमें बिल्कुल निडर और निर्भीक है, तो देशमें भी शान्ति व सहनशीलताकी शक्ति क्रमशः विकास पा रही है, जैसा कि सदैव ही किया गया है। आज भी इसका अवसर है कि विरोध किया जाये; परन्तु कल इतिहासके लिये यह एक अत्यन्त ही शिक्षाप्रद घटना होगी। यह भविष्यका पथ-प्रदर्शन करेगी क्योकि आत्म-शक्तिका तेज भी आसुरी शक्तिके घमंडको नीचा दिखा सकता है और यह इसलिये हो सकता है कि केवल सहनशीलता और बलिदान के द्वारा खूनी हथियारोके प्रहारोका सामना किया जाए! हाँ, मैं नही जानता कि इन दोनो पार्टियोमे से कौन-सी पार्टीके अन्दर उस बड़ी महान्-आत्माकी शिक्षा ढूंढी जाये, जो बुराईके समक्ष सहनशील होनेकी शिक्षा लेकर आया था? गवर्नमेंट में या देशकी जनतामें? जहाँ तक मैं विचार करता हूँ, व्यूरोक्रेसीके अधिकारी उसके नाम से अनजान न होंगें। उसका नाम "ईसा" था।

गवर्नमेंट का निर्णय और हार—

दार्शनिक इतिहास हमें बतलाता है कि नादानी और बिना सोचे-समझे कार्य करनेकी आदत सदैव निकम्मी शक्तियोंको प्रिय होती है। गवर्नमेंटने विचार किया कि वह अत्याचारसे खिलाफतके आन्दोलन तथा स्वराज्यकी भावनाको नष्ट कर देगी और २४ ता० की हड़ताल रुक जायेगी। उसने स्वयं-सेवकोंपर कानूनके जुर्म लगा दिये, और बिना जाचके समस्त कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गये। वह यह समझती थी कि स्वयमेवक बननेकी मनाही और कार्यकर्ताओंकी गिरफ्तारीके पश्चात् खिलाफत और कांग्रेसकी जड़ ही उखड़ जायेगी और इस प्रकार स्वयं हड़ताल रुक जायेगी। परन्तु बहुत जल्द गवर्नमेंटको मालूम हो गया कि अत्याचार जब देशकी राष्ट्रीय जागृतिका सामना करनेका इच्छुक हो, तो उसमें कोई बाधा नही होती। न हड़ताल रुक सकी; न खिलाफत

और कांग्रेस-कमेटियाँ खत्म हुई और न स्वयंसेवकोंका कार्य ही एक दिनके लिये बन्द हुआ; वरन् हमारी गैरहाज़िरीमें ये सब चीज़ें अधिक शक्ति और उत्साहसे डट गई। मैंने ८ दिसम्बरको जो सन्देश देशके नाम दिया था उसमें बंगाल गवर्नमेंटके लिये भी यह सन्देश था—"मेरी और श्री सी० आर० दासकी गिरफ्तारीके बाद काम अधिक शक्ति और होशियारीके साथ जारी रहेगा और २४ को हड़ताल उस प्रकार सफल होगी, जिस प्रकार हमारी हाज़िरीमें हो सकती थी।" और ऐसा हुआ भी। गवर्नमेंट स्वयं ही अपने पसंद किये हुए मैदानमें हार गई। अब वह अपनी शर्मिन्दगी छुपानेके लिये व्यर्थ ही हाथ-पाँव मार रही है, और जिन लोगोंको गिरफ्तार कर चुकी है उन्हें किसी न किसी तरह सज़ा दिलाना चाहती है; परन्तु उसका यह प्रयास बिल्कुल निराधार है। शक्तिवान् व्यक्तिको हारके पश्चात् अधिक क्रोध आता है, परन्तु कोई हार इसलिये जीत नहीं बन सकती कि हम अत्यधिक झुंझला सकते हैं।

दफा १२४ ए—

तात्पर्य यह कि मेरी गिरफ्तारी सही तौर पर इन्हीं बातोंके कारण है, और इसीलिये दो सप्ताह तक मेरे विरुद्ध दफा २।१७ तरमीम ज़ाब्ता फौजदारी ही का दावा कायम रहा, परन्तु जब इस विषयमें उसे कोई सहारा न मिला तो मेरे प्रेस और मकानकी तलाशी ली गई, ताकि उसे मेरी कोई तहरीर प्राप्त करके ही मुकद्दमा पूरा कर दिया जाये। जब वहाँसे भी कोई मनमानी चीज़ प्राप्त न हुई तो लाचार होकर सी० आई० डी० की शरण ली गई। उसके कागजात सदैव ऐसे उच्चतम कार्यके लिये तैयार रहते हैं और आवश्यकता पड़नेपर कभी निराश नहीं करते। इस प्रकार बलात् दफा १२४ ए का दावा तैय्यार हो गया।

स्पाई हठ—

यह परेशानी गवर्नमेंटको खुद उसीका बदला लेनेकी भावनाके कारण पेश आ रही है। एक ओर तो वह चाहती है कि नादरशाही दमन करे और

दूसरी ओर कानून व अदालतकी आड़ भी कायम रखना चाहती है। ये दोनों वाते कभी भी नही हो सकती। नतीजा ये है कि उसकी परेशानी, दौड-धूप दिन-प्रति-दिन वढ़ती जाती है। उसके ख्यालमें जो लोग सवसे अधिक जिम्मेदार व सजावार हैं उन्हींको सज़ा दिलाना उसके लिये कठिन हो गया है। अभी कुछ ही माह व्यतीत हुए हैं कि हम कराचीमे गवर्नमेंटकी विचित्र झेप और मूर्खताका तमाशा देख रहे थे। जो सरकारी दावा वड़ी छानवीनके साथ शुरू किया गया। उसका स्वयं गवर्नमेटके पसन्द किये और चुने हुए ज्यूरी भी समर्थन न कर सके।

आश्चर्य यह है कि ये कठिनाइयाँ गवर्नमेंटको ऐसी हालतमे पेश आ रही हैं जव कि वह जानती है कि असहयोगीकी ओरसे डिफेन्स नही किया जायेगा और कठिनसे कठिन कमजोरी होनेपर भी तथा झूठे व्यानकी दशामे भी निराश और हार का कोई खटका नही है।

नई कानूनी उधेड़-बुन--

गवर्नमेंटने इसी विश्वासक कारण कुछ भी कर गुजरनेमें कोई कमी नही छोडी है। असहयोगके मुकद्दमे आजकल जिस तरह चलाये जा रहे हैं, उससे मालूम किया जा सकता है कि 'ला एण्ड आर्डर' के अर्थ व्यूरोक्रेटिक-सुवारमें क्या है? 'ला एण्ड आर्डर' के समान अव दावा, प्रमाण, गवाही, छान-वीन (आइडेन्टीफाई) आदि सव अदालती कार्रवाइयोंके अर्थमे भी परिवर्तन हो गया है। मानो असहयोगीको शीघ्र सज़ा दे देने के लिये हर प्रकारकी विना नियम कार्रवाई और कानूनकी लापरवाही योग्य है। यहाँ तक कि इस वातकी भी कोई आवश्यकता नही कि जिस व्यक्तिके मुल्जिम होनेका दावा किया गया है; कट-घरेमें खड़ा मुल्जिम वही व्यक्ति है भी या नही? अभी इसी सप्ताह जोडावगानकी अदालतमें एक व्यक्ति 'अब्दुर्रहमान हाशम' को कानूनी दाँव-पेंच और कल्पित गवाहियोंके द्वारा ६ माह की सजादे दी गई है, क्योंकि 'आजम-हाशम' नामी एक खिलाफत-कार्यकर्त्ता जनतामें प्रभाव रखता है और दोनोंके नाममें शब्द

'हाशम' जुड़ा है। स्वयं मेरे मुकद्दमेमें जो बड़ी-बड़ी गलतियाँ की गई हैं, उनकी चर्चा कोई लाभ न समझ कर मैं नहीं करना चाहता, वरना वे ही इसको प्रमाणित करनेके लिये काफी थीं। फिर भी उदाहरणके लिये केवल एक घटनाका जिक्र करूँगा जो अनियमितता और गलत-ब्यानी दोनोंका साराश है। मुझे दफा २-१७ तरमीम जाब्ता फौजदारीसे बरी कर दिया गया और १२४ ए के मातहत वारण्ट प्राप्त किया गया। नियमानुसार रिहाई और फिरसे गिरफ्तारी होनी चाहिये थी; परन्तु वास्तविकता यह है कि १२४ ए का कोई वारण्ट मुझ पर तामील नहीं किया गया। यहाँ तक कि ६ जनवरी तक मुझे इसका पता भी नहीं था; परन्तु मेरे सामने मिस्टर गोल्डी डिप्टी कमिश्नर पुलिसने यह कसम खाकर गवाही दी है कि उन्होंने प्रेसीडेन्सी जेलमें मुझ पर वारण्ट जारी किया है।

यह सच है कि असहयोगी किसी प्रकारका डिफेन्स नहीं करता, परन्तु मैं समझता हूँ कि यह कोई अच्छी बात नहीं है कि आदमी अपने सब कपड़े उतार डाले, इसलिये कि शरीफ आदमी आँखें बन्द कर लेंगे। शरीफ आदमियों ने तो सचमुच आँखें बन्द कर ली हैं, परन्तु दुनियाँ की आँखें बन्द नहीं हैं।

कानून का ड्रामा—

आजकल "ला एण्ड आर्डर" का ड्रामा खेला जा रहा है, जिसे हम कामेडी (Comedy) और ट्रेजेडी (Tragedy) दोनों कह सकते हैं। वह तमाशेकी तरह मजाक भी है और भव्यताके कारण दर्दनाक भी; परन्तु मैं इसे ट्रेजेडी कहना अधिक पसन्द करूँगा। भाग्यवश इसका चीफ एक्टर इंग्लिस्तान का भूतपूर्व चीफ जस्टिस है।

मेरी तकरीरें—

प्रासिक्यूशनकी ओरसे मेरी वे तकरीरें प्रमाण स्वरूप पेश की गई हैं, जो मैंने पहली और पन्द्रहवीं जुलाईको मिर्जापुर-पार्कके जलसे में की थीं। उस समय बङ्गाल गवर्नमेन्टने गिरफ्तारियोंकी ओर पहला कदम उठाया

था और खिलाफतके प्रचारकोंके खिलाफ मुकद्दमा चलाकर सजाएँ दिलाई थी। मैं उस समय यात्रासे बीमार वापिस लौटा था। मैंने देखा कि लोगों में अत्यधिक जोश फैला हुआ है और हर तरहके आन्दोलनके लिये लोग बेचैन हैं। चूंकि मेरे विचारमें गिरफ्तारियो पर कुछ और करना असहयोग के नियमोंके विरुद्ध था, इसलिये मैंने हड़ताल और जुलूस एक दम रोक दिये। इस पर जनताको शिकायत हुई, तो मैंने ये जलसे प्रारम्भ किये और लोगोको धीरज व शान्तिकी शिक्षा देते हुए समझाया कि अहिंसा तथा असहयोग के अन्तर्गत यह वात शामिल है कि गिरफ्तारियो पर संयमके विरुद्ध कोई वात न की जाये। यदि प्रसंगवश इन गिरफ्तारियोका तुम्हारे दिलमे दर्द है तो चाहिये कि असली काम करो और विदेशी कपड़ा छोड़कर देशी खद्दर पहन लो। मुकद्दमे सम्वन्धी दावेमें जो नकल पेशकी गई है वह अत्यन्त व्यर्थ, गलत और सरासर असहनीय है। कई स्थानोपर अर्थहीन वाक्य ठूंसे गए है, जैसाकि इसके पढ़नेसे हर व्यक्ति समझ सकता है। यहाँ तक मैं इसके गलत और अप्रासगिक भागको छोड़ कर(क्योकि इसके साहित्यसे मेरा सम्पर्क रहा करता है)वाकी वह सव भाग स्वीकार कर लेता हूँ, जिसमें गवर्नमेण्टके सम्वन्धमें विच.र प्रकट किये गये है या पव्लिकसे गवर्नमेण्टके विरुद्ध प्रयत्न करनेकी अपील की गई है। दावेकी ओरसे केवल तकरीरें पेश कर दी गई है। यह नही वतलाया है कि उनके किन वाक्यों को वह प्रमाणमें पेश करना चाहता है? या उसके विचारमें माई डियर विरादरानसे लेकर अन्त तक सव १२४ ए है? मैंने भी नहीं पूछा, क्योंकि दोनों सूरतें मेरे लिये एक समान हैं। यदि आप उनकी असलियतको देखते हों, तो मेरे विचारोंके अनुसार अधिकसे अधिक ये वाक्य कहे गये हैं—

"ऐसी गवर्नमेण्ट क़हर है, जो अन्याय के साथ कायम हो। ऐसी गवर्नमेण्ट को या तो न्याय के आगे झुकाना चाहिये या दुनियासे मिटा देना चाहिये। यदि सचमुच तुम्हारे दिलों में अपने गिरफ्तार भाइयो का दर्द है, तो तुममें से

प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य है कि वह आज सोच ले, 'क्या वह इस बातके लिये राजी है कि जिस जबरदस्त शक्ति ने उन्हें गिरफ्तार किया है, वह इस महादेशमें इसी प्रकार कायम रहे जिस तरह उनकी गिरफ्तारीके समय थी ?

यदि तुम देशको आज़ाद कराना चाहते हो, तो उसका रास्ता यह है कि जिन चालाक दुश्मनोंके पास खून बहानेके अनगिनत सामान मौजूद हैं, उन्हें राई बराबर भी उसके इस्तेमालका अवसर न दो और पूरी शान्ति व सहनशीलता के साथ कार्य करो...... ..."

कई लोगोंका खयाल है कि जब तकरीरोंमें कोई ऐसी बात कही जाती है, तो उससे कहनेवालेका अर्थ यह होता है कि अपने बचावका सामान कर ले, अथवा उसकी हार्दिक इच्छा यह नहीं होती। परन्तु मैं समझता हूँ कि जो लोग आज तुम्हारे लिये ये काम कर रहे हैं, तुममेंसे कोई आदमी भी यह माननेके लिये तैयार न होगा कि वह जेल जाने या कैद होने से डरते हैं। बस यदि वे यह कहते हैं कि शान्ति व संगठनके साथ काम करना चाहिये तो उनका अर्थ यह नहीं हो सकता कि वे उस दुष्ट गवर्नमेण्टके साथ भलाई करना चाहते हैं, जिसकी शक्ति और साम्राज्य दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह है। सचमुचमें वे उस गवर्नमेण्टके भलाई करने वाले नहीं हो सकते। इसके बाद मैंने कहा—"होगा", परन्तु यह कापीमें नहीं है। वे तो केवल इसलिये यह कहते हैं कि स्वयं तुम्हारी सफलता पूर्ण शान्तिके ऊपर निर्भर है।

"तुम्हारे पास वह शैतानी हथियार नहीं है, जिनसे यह गवर्नमेण्ट भरी पड़ी है। तुम्हारे पास केवल सच्चाई है, दिल हैं और बलिदानकी शक्ति है। तुम इन्हीं शक्तियोंसे (वास्तवमें हथियारोंसे, होगा) काम लो। यदि तुम यह चाहो कि हथियारोंके द्वारा जीतो, तो तुम नहीं जीत सकते। आज शान्ति व धैर्य्यसे बढ़कर (तुम्हारे लिये) कोई दूसरी चीज नहीं।

यदि तुम केवल कुछ समयके लिये सरकार (Government) को

बेचैन करना चाहते हो, तो उसके लिये मेरे पास वहुतसे इलाज हैं, मगर इस गवर्नमेण्टका अन्त चाहते हो तो वह इलाज वतला देता.....(परन्तु)मैं तो ऐसा युद्ध चाहता हूँ (जो) एक ही दिनमें खत्म न हो जाये, वल्कि निर्णयके अन्तिम दिन तक (जारी रहे), और जव निर्णयकी घड़ी आ जाये, तो फिर या तो यह अन्यायी गवर्नमेण्ट वाकी न रहे या तीस करोड़ भारतीय ही मर मिटें।"

जो शब्द ब्रेकिट (कोष्ठ) के अन्दर हैं, वे तकरीरकी कापियोमें नहीं हैं, परन्तु इवारतका अर्थ निकालनेके लिये जरूरी है। मैंने इसीलिये स्पष्ट कर दिया है कि प्रासिक्यूशनको भरपूर मदद मिले। यदि इस उद्देश्यके लिये पूरी तकरीरकी आवश्यकता हो तो मैं वैसे ही कर देनेके लिये तैयार हूँ। इसके अतिरिक्त दोनो तकरीरोमें लोगोंको असहयोगकी प्रेरणा दी है। खिलाफत और स्वराज्यकी आवश्यकताको दुहराया है, पंजावके अत्याचारोको निन्दनीय कहा है तथा लोगोको वतलाया है कि जो गवर्नमेण्ट जलियाँवाला वाग अमृतसरमें कुछ मिनटोंके अन्दर सैकड़ो इन्सानोंको काट डाले और उसको उचित नीति वतलाये, इससे वढ़कर अन्यायकी कोई वात नही !

प्रतिज्ञा—

मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैंने न केवल उन्ही दो मौकोपर वरन् पिछले दो सालकी अपनी अनगिनत तकरीरोंमें इसी मतलवके लिये इनसे वढ़कर कड़े कई वाक्य कहे हैं। ऐसा कहना मेरे विश्वासमें मेरा कर्त्तव्य है। मैं कर्त्तव्यकी सीढीसे इसलिये नही फिसल सकता कि उसपर १२४ ए का जुर्म लगा दिया जायेगा। मैं अव भी वैसा ही कहना चाहता हूँ, और जव तक वोल सकता हूँ, वैसा ही कहता रहूँगा। यदि मैं ऐसा न कहूँ तो अपने आपको खुदा और उसके भक्तोंके समक्ष वड़ा गुनहगार समझूंगा।

वर्तमान गवर्नमेंट जालिम है—

सचमुच मैंने कहा है—"वर्तमान गवर्नमेण्ट जालिम है"; परन्तु यदि मैं

यह न कहूँ तो और क्या कहूँ ? मैं नहीं जानता कि क्यों मुझसे यह आशा की जाती है कि एक चीज़को उसके वास्तविक नामसे न पुकारूँ ? मैं कालेको सफेद कहनेमें इन्कार करता हूँ।

मैं कमसे कम और नरमसे नरम शब्द जो इस बारेमें कह सकता हूँ, यही है। इससे उदार कहना, जो इससे कम हो, मेरे ज्ञानमें कोई नहीं। मैं विश्वास-पूर्वक कहता रहा हूँ कि हमारे कर्त्तव्य के सामने दो ही रास्ते है—(१) गवर्नमेण्ट अन्याय और अधिकार छीननेसे रुक जाये। (२) यदि नहीं मान सकती तो मिटा दी जाये। मैं नहीं जानता कि इसके अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है ? यह तो मानवी विचारों की इतनी पुरानी सचाई है कि केवल पहाड़ और समुद्र ही इसके साक्षी कहे जा सकते है। जो चीजें बुरी है उन्हे या तो ठीक हो जाना चाहिये या मिट जाना चाहिये। तीसरी बात क्या हो सकती है ? जब कि मैं इस गवर्नमेण्टकी बुराइयोंपर विश्वास रखता हूँ तो विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि मैं यह प्रार्थना नहीं कर सकता कि कोई ठीक भी न हो और उसकी उम्र भी बढ़ी हो।

मेरा यह विश्वास क्यों है ?—

मेरा और मेरे करोड़ों देशवासियोंका ऐसा विश्वास क्यों है ? इसके प्रमाण-उदाहरण अब इस प्रकार सिद्ध हो चुके है कि मिल्टन (अंग्रेजी कवि) के शब्दोंमें कहा जा सकता है—'सूर्यके बाद दुनियाकी प्रत्येक वस्तुसे अधिक स्पष्ट और प्रतीत होनेके लिये हम केवल यही कह सकते है कि इन्कार न करो।' फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा यह विश्वास इसीलिये है कि मैं हिन्दुस्तानी हूँ, इसलिये है कि मैं मुसलमान हूँ और इसलिये है कि मैं मानव हूँ।

डिक्टेटरी शासन अनन्य जुल्म है। मेरा विश्वास है कि स्वतन्त्र रहना प्रत्येक मनुष्य और जातिका जन्मजात अधिकार है। कोई मनुष्य या मनुष्योंकी बनाई हुई ब्यूरोक्रेसी यह अधिकार नहीं रखती कि खुदाके बन्दोंको अपना गुलाम बनाये। पराधीनता और दासत्वके कैसे ही सुन्दर नाम क्यों न रख लिये

जाएँ; परन्तु वह दासता ही है और खुदाकी इच्छा तथा उसके कानूनके विरुद्ध है। इसीलिये वर्तमान गवर्नमेण्टको मैं उचित सरकार स्वीकार नही करता और इसे अपना धर्म और प्रथम कर्त्तव्य समझता हूँ कि गैरकी पराधीनतासे देश व जाति को मुक्ति दिलाऊँ। सुधार और परिवर्तित अधिकार मेरे विश्वासमें कोई सन्देह पैदा नही कर सकते। आज़ादी मनुष्यका जन्मसिद्ध अधिकार है और किसी मनुष्यको अधिकार नही कि अधिकारोंको पूर्ण करनेमें सीमा बनाये या विभाजन करे। यह कहना कि किसी जातिको उसकी आज़ादी अनुपातसे मिलनी चाहिये, एक ऐसी कहावत है कि जैसे कहा जाये कि मालिकको उसकी जायदाद और ऋणीको उसका ऋण टुकड़े-टुकड़े करके देना चाहिये। मैं समझता हूँ कि यदि कर्ज़दारसे एक ही बार ऋण वापस न मिल सके तो ऋणी को यही करना पड़ेगा कि किस्तों द्वारा वसूल करे। परन्तु यह एक लाचारी का समझौता होगा। इससे 'एक ही बार' की वसूलीका अधिकार व्यर्थ नहीं हो सकता।

सुधार 'रिफार्म' (Reform) के सम्बन्धमें रूसके महान् दार्शनिक लियो टाल्सटायके शब्दोंमें कहूँगा—"यदि कैदियोंको अपने वोटसे अपना जेलर चुन लेनेका अधिकार मिल जाये, तो इससे वे आज़ाद नहीं हो जायेंगे।"

मेरे लिये इसके अच्छे-बुरे कामोंका प्रश्न एक साधारण प्रश्न है। पहला प्रश्न स्वयं उसके अस्तित्वका है। मैं ऐसे निरकुश अधिकारको अयोग्य समझता हूँ। यदि वे समस्त अन्याय प्रत्यक्षमें न आते, जो इस परिश्रमसे प्रकट हो चुके हैं, तो भी मेरे विश्वासमें वह जुल्म ही था; क्योंकि उसका वैभव ही सबसे बड़ा अन्याय है और उसकी बुराईके लिये इतना ही काफी है कि वह गुनहगारके समान हाज़िर हो। यदि वह अच्छे कार्य करे तो उसकी अच्छाई स्वीकार कर ली जायगी; परन्तु उसका अस्तित्व असहनीय और अन्याय ही रहेगा। यदि

एक व्यक्ति हमारी जायदाद पर मालिक होकर बहुत अच्छे और नेक काम करे, तो उसके कामोंकी अच्छाईके कारणसे उसका कब्जा उचित नहीं हो सकता।

बुराईमें कम व थोड़ेके रूपमें तकसीमकी जा सकती है; परन्तु गर्व और अपनापनके विश्वासने उसकी एक ही किस्म है—अर्थात् उन विश्वासने तकसीम हो सकती है कि वह कितनी और कैसी है? इस विश्वासने नहीं हो सकती कि वह अच्छी है या बुरी है? हम यह कह सकते हैं—"अधिक बुरी चोरी" और "कम बुरी चोरी"; किन्तु यह नहीं कह सकते—"अच्छी चोरी या बुरी चोरी"? मैं ब्यूरोक्रेसीका अच्छा और उचित होनेका किसी हालमें भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक अनुचित शैली है। हाँ, उसकी बुराई थोड़ी और अधिक हो सकती है; परन्तु हिन्दुस्तानकी ब्यूरोक्रेसी तो इतना भी न कर सकी कि अपनी ही बुराई पर स्थिर रहती। जब उसकी आम बुराई पर उसकी अनगिनत की हुई बुराइयोंकी बराबर उन्नति हो रही है, तो फिर क्योंकर सोचा जा सकता है कि उसके जुल्मकी घोषणा न की जाये?

इस्लाम और ब्यूरोक्रेसी—

मैं मुसलमान हूँ और सच्चे मुसलमान होनेके नाते मेरा धार्मिक कर्त्तव्य भी यही है। इस्लाम किसी ऐसे अधिकारको उचित स्वीकार नहीं करता, जो व्यक्तिगत हो या कुछ तनख्वाहदार हाकिमोंकी ब्यूरोक्रेसी पर कायम हो। इस्लाम आज़ादी और प्रजातन्त्रका पूर्ण शासन है, जो मानवी अधिकारोंको उसकी छीनी हुई आज़ादी वापिस दिलानेके लिये आया था। यह आज़ादी बादशाहो, आश्चर्यजनक हुकूमतों, स्वार्थी धर्म-नेताओं और समाजकी शक्तिवान् संस्थाओंने छीन रखी थी। ये समझते थे कि अधिकार शक्ति और कब्ज़ा है; परन्तु इस्लामने प्रकट होते ही सूचित किया कि अधिकार शक्ति नहीं है वरन् स्वयं अधिकार है, और खुदाके अतिरिक्त किसी इन्सानको जबरन खुदाके भक्तोंको अपने अधीन रखने और गुलाम बनानेका अधिकार नहीं। उसने भेदभावके समस्त साधन और

खान्दानी ऊँच-नीच, छोटे-वडे भाव मिटा दिये और दुनियांको वतला दिया कि सव मनुष्य पदमें वरावर हैं और सवके अधिकार एक से हैं। खान्दान, जाति, रंग, भेद आदि में कोई अन्तर नही है वरन् भेद केवल कर्म में है। और सवसे वड़ा वही है जिसके सव काम अच्छे हों।

इस्लाम एक प्रजातन्त्रीय 'वाद' है। मनुष्यताके अधिकारोंकी वह घोषणा है जो फ्रान्सकी क्रान्ति से ग्यारह सौ वर्ष पहले हुई। यह केवल ऐलान ही न था वल्कि एक कर्मक्षेत्रका आदर्श था जो इतिहासकारोंके शब्दोंमें—"अपना कोई उदाहरण नही रखता।" पैगम्वरे-इस्लाम और उनकी राहपर चलनेवालोका राज्य एक पूर्ण प्रजातन्त्र था और केवल जातिकी सलाहसे सभीका चुनाव होकर सवकी रायसे उसकी वनावट होती थी। यही कारण है कि इस्लामकी महानता में जैसे अच्छे और भले शब्द इस उद्देश्यके लिये तैयार हैं; शायद ही दुनियांकी किसी भापा में पाये जायें। इस्लाम ने 'वादशाह' के अधिकार और व्यक्तित्व से इन्कार किया है और केवल एक रईसे-जम्हूरियत (President of Republic)का पद दिया गया है, परन्तु इसके लिये भी खलीफाका नाम रक्खा गया—जिसका मतलव 'वनाया हुआ' है। इससे अधिक कोई भी अधिकार वह नही रखता। इसी तरह कुरान-शरीफमें राज्य-प्रवन्धके लिये 'शोरी' का शब्द काममें आया है, इसका अर्थ है—"सच्ची सलाह"। इसीलिये एक पूरी सूरत इसी नाम से कुरान में मौजूद है। तात्पर्य यह है कि जो काम किया जाये वह सव की सलाह और विचारसे किया जाय, एक व्यक्तिकी सलाह से न हो। इससे अधिक उचित नाम प्रजातन्त्रीय शासनके लिये और क्या हो सकता है?

जातीय और मुस्लिम व्यूरोक्रेसी जुल्म है—

जव इस्लाम मुसलमानोंका यह कर्त्तव्य वता देता है कि वे ऐसे मुसलमानी राज्य को भी न्याय रूप से स्वीकार न करें जो जाति की सलाह और चुनाव से न

हो, तो फिर प्रत्यक्ष है कि मुसलमानों के लिये आश्चर्यजनक ब्यूरोक्रेसी क्या आशा रखती है ? यदि आज हिन्दुस्तान में एक सच्चा इस्लामी राज्य बन जाये; परन्तु उसका शासन भी व्यक्तिगत हो, या कुछ हाकिमोंकी ब्यूरोक्रेसी हो, तो मुसलमान होते हुए भी उस समय मेरा कर्त्तव्य यही होगा कि उसको दुष्ट कहूँ और परिवर्तन करनेका प्रयत्न करूँ। इस्लामके धर्माचार्योंने सदैव अनैतिक मुसलमान बादशाहोंके विरुद्ध ऐसा ही एलान किया है।

मैं स्वीकार करता हूँ कि इस्लामी शासन वादको दृढ़ न रह सका। पूर्वी रूमी-राज्य और ईरानी शहंशाहीके कुछ वैभवशाली मनुष्योंने मुसलमान शासकोंको उनके मार्गसे भुला दिया। इस्लामी खलीफाके स्थान, जो फटे पुराने कपड़ोंमें एक आम आदमीके समान होता था, उन्हें कैसर व कसरा बननेकी धुन छा गई। तिस पर भी इस्लामके इतिहासका कोई समय भी ऐसे मुसलमानोंसे खाली नहीं रहा है, जिन्होंने खुल्लम-खुल्ला उनके विरुद्ध आलोचना तथा आक्षेप न किया हो और उन समस्त कष्टोंको प्रसन्नतासे न झेला हो, जो उस मार्गमें पेश आए।

मुसलमानों का व्यक्तित्व—

एक मुसलमानसे यह कहना कि वह अपने अधिकार का एलान न करे और जुल्मको जुल्म न कहे, बिल्कुल ऐसी ही बात है, जैसे यह कहा जाय कि वह इस्लामी जीवनसे अलग हो जाये। यदि तुम किसी मनुष्यसे इस मांगका अधिकार नहीं रखते कि वह अपना धर्म छोड़ दे, तो सचमुच एक मुसलमानसे भी यह मांग नहीं कर सकते कि वह जुल्मको जुल्म न कहे; क्योंकि दोनों बातोंका अर्थ एक ही है।

यह तो इस्लामी जीवनका वह मन्त्र है, जिसके अलग कर देनेके बाद उसकी सबसे बड़ी कमी और न्यूनता मालूम हो जाती है। इस्लामने मुसलमानोंकी जातीय बुनियाद ही इस बात पर रखी है कि वह दुनियांमें सच्चाई और वास्त-

विकताके गवाह रहें। फिर एक गवाहका कर्त्तव्य होता है कि वह जो कुछ जानता है उसे ठीक-ठीक व्यान करे। ठीक उसी तरह हर मुसलमानका भी कर्त्तव्य है कि जिस सच्चाई का उसे वोध व विश्वास दिया गया है, सदा उसीकी परीक्षा करता रहे और कर्त्तव्यकी राहमें किसी भी परीक्षा और विपत्तिसे न डरे। जब कभी ऐसा हो कि जुल्म और जवरदस्तीका वोलवाला हो जाये तथा अत्याचारोंके द्वारा अधिकारोकी माँग को रोका जाय, तो फिर ये कर्त्तव्य और भी अधिक आवश्यक और स्पष्ट हो जाते हैं; क्योंकि यदि शक्ति के डरसे लोगोंका चुप हो जाना सहन कर लिया जाये और 'दो और दो' को इसलिये 'चार' न कहा जाय कि ऐसा कहनेसे शारीरिक कष्ट मिलनेका डर है, तो फिर सच्चाई और ईमानदारी सदैवके लिये खतरेमे पड़ जायगी और अधिकारके उभरने और दृढ रहनेका मार्ग अवशेष न रहेगा। ईमानदारीका कानून न तो शक्तिके सर्टीफिकेटका मोहताज है तथा न इसलिये वदला जा सकता है कि हमारे शरीर पर क्या वीतती है? यह तो ईमानदारी है और उस समय भी सच्चाई है जव उसके एलानसे हमे फूलोकी शैय्या मिले तथा उस समय भी सच्चाई है जव कि उसके कारण हमे अग्नि की लपटों में झोंक दिया जाये। केवल इसलिये कि हमें कैद कर दिया जायेगा, आगमें ठण्ढक और वर्फमें गर्मी नहीं पैदा की जा सकती।

शहादत अली अलनास—

यही कारण है कि इस्लामकी शरियत व कुरान में मुसलमानोको वतलाया गया है कि वह खुदाकी ज़मीनमे 'साक्षी' है—अर्थात् सच्चाईकी गवाही देनेवाले हैं। वहैसियत एक जातिके यही उनका जातिगत मन्त्र है और यही उनका राष्ट्रीय आदर्श है, जो उनको सव पिछली और भविष्य की जातियोंमें श्रेष्ठ करता है।

इसी तरह पैगम्बरे-इस्लाम ने कहा है—

'तुम खुदाकी जमीन पर खुदाकी ओर से सच्चाई के गवाह हो।' वस

एक मुसलमान जब तक मुसलमान है उस गवाहीके एलानसे अलग नहीं रह सकता। यदि वह अलग रहे तो यह कुरान की शिक्षा में 'कुतमान शहादत' है—अर्थात् गवाहीको छिपाना। कुरानने ऐसा करनेवालोंको खुदा की डाँटका सज़ा सहनेवाला बतलाया है और बार-बार कहा है कि इसी 'कुतमान शहादत' के कारण दुनियाँकी बड़ीसे बड़ी जातियाँ नष्ट-भ्रष्ट हो गईं।

उपकार की आज्ञा देना और बुराईसे रोकना—

इसलिये इस्लामके आवश्यक कर्त्तव्योंमें से एक बड़ा कर्त्तव्य उपकारका आदेश देना और बुराईसे रोकना है। कुरान ने विश्वसनीय भक्तिके जिन कार्यों पर सबने अधिक ज़ोर दिया है, उनमें से एक काम यह भी है। कुरानने बतलाया है कि मुसलमानोंकी सारी कौमी बुराईकी बुनियाद इसी काम पर है। वह सबसे बड़ी और अच्छी जाति इसीलिये है कि भलाईकी आज्ञा देती है और बुराईको रोकती है। यदि वे ऐसा न करे तो अपनी सारी बड़ाई गँवा दे।

कुरान सच्चे मुसलमानोंकी पहचान यह बतलाता है कि वे अधिकारके एलानमे किसीसे नहीं डरते। न दुनियाका लालच ही उन पर किसी तरह आ सकता है, न कोई डर। वे गर्व भी रखते हैं तो केवल खुदापर और डरते भी हैं तो केवल खुदासे। पैगम्बरे-इस्लामके अनगिनत उपदेशों में से, जो इस विषय मे है, एक उपदेश यह है—"भलाईका एलान करो, बुराईको रोको, यदि न करोगे तो ऐसा होगा कि अत्यन्त बुरे तुमसे ऊँचे हो जावेंगे और खुदाका क्रोध तुमको घेर लेगा। तुम प्रार्थना करोगे कि ये ऊँचे मनुष्य टल जायँ, परन्तु वह स्वीकार न होगी।"

परन्तु यह कर्त्तव्य क्योंकर पूरा किया जाए? इसके लिये इस्लाम ने तीन मुख्य परिस्थितियोंमें उनके तीन मुख्य रास्ते बतलाये है। इसीलिये पैगम्बरे-इसलामने कहा है—"तुममेंसे जो व्यक्ति बुराईकी बात देखे तो चाहिये अपने हाथसे उसे ठीक

करदे, यदि इसकी शक्ति न हो तो वाणीसे एलान करे। यदि उसकी भी शक्ति न पाये तो अपने दिलमें उसे बुरा समझे; परन्तु यह अन्तिम रास्ता सच्चाईकी सबसे बड़ी कमजोरीका रास्ता है।" हिन्दुस्तानमें हमे यह साहस नही है कि अपने हाथसे गवर्नमेण्टकी बुराइयों दूर कर दें, इसीलिये हमने दूसरा रास्ता काम मे लाया जिसकी सम्भावना प्राप्त है अर्थात् वाणीसे इसका एलान करते हैं।

कुरानने मुसलमानी जीवनकी बुनियाद चार बातो पर रखी है और बतलाया है कि हर प्रकारकी मानवी उन्नति और सफलता उन्हींके द्वारा प्राप्त हो सकती है। ईमान (सच्चाई), कर्त्तव्यनिष्ठा, अधिकारकी रक्षा और शान्ति। सदैव अधिकार और सच्चाईकी एक दूसरेको प्रेरणा करना, शान्ति तथा धीरज का अर्थ है कि हर प्रकारकी मुसीबतो और बाधाओंको झेल लेनेकी प्रेरणा करना। क्योकि अधिकारके एलानका आवश्यक कारण यह है कि कठिनाइयोका सामना हो, इसलिये अधिकारके साथ धीरजकी आवश्यकता है जिससे कि कठिनाइयाँ और बाधाएँ झेलनेके लिये प्रति व्यक्ति तैयार हो जाये।

इस्लामी विश्वास—

इस्लामकी जड़ 'अकीदा-ए-तौहीद' (प्रभु के विश्वास) पर है और तौहीदकी जिद शिर्क है जिससे बेजारी और घृणा हर मुसलमान की आदत में प्रवेश कर गई है। तौहीदसे तात्पर्य यह है कि खुदाको उसके अस्तित्व सामर्थ्य में एक मानना। शिर्कका अर्थ यह है कि उसके वैभव और बुराइयोंमें किसी दूसरी शक्तिको शामिल करना। केवल सच्चाईके वर्णनमें निडरता और विशेषताका अर्थ एक मुसलमानके जीवनमें तौहीदका सिखलाना है कि डरने और झुकने का फर्ज केवल खुदाकी ही उदार शक्ति है। उसके सिवा कोई नहीं जिससे डरना चाहिये या जिसके आगे झुकना चाहिये। वे विश्वास करते हैं कि खुदाके अतिरिक्त किसी दूसरी शक्तिसे डरना, खुदाके साथ उसको शामिल करना है। अपने दिलके भय व आज्ञाका हकदार बनाना है। यह बात तौहीदके साथ इकट्ठी नहीं हो सकती।

इसीलिये इस्लाम कई वार निडरता और बलिदानकी दावत है। कुरान सदा कहता है—"मुसलमान वह है जो खुदाके अतिरिक्त किसीसे न डरे तथा हर परिस्थिति में सच्ची वात कहे।" पैगम्बरे-इस्लामने कहा—"सवसे अच्छी मृत्यु उस व्यक्तिकी है जो किसी दुष्ट-राज्यके समक्ष अधिकारकी माँग करे और उसके आन्दोलनमें मारा जाये।" वह जब किसी व्यक्तिसे इस्लामको स्वीकृत करवाते थे तो एक प्रतिज्ञा यह होती थी—"मैं सदैव अधिकार का एलान करूँगा। चाहे मैं कहीं भी होऊँ, और किसी भी हालतमें होऊँ।"

इसीका फल है कि दुनियाँकी किसी जातिके इतिहासमें अधिकार और अधिकारके लिये वलिदानके ऐसे उदाहरण नहीं मिल सकते, जिनसे इस्लामके इतिहासका हर पाठ भरा है। इस्लामके आचार्यों, पेशवाओं, पूर्वजों तथा लेखकोंके लेख त्याग और वलिदानसे परिपूर्ण हैं। जिन मुसलमानोंके धार्मिक कर्त्तव्य में यह वात शामिल है कि मृत्यु स्वीकार कर ले परन्तु अधिकारोंसे वंचित न रहे। उनके लिये दफा १२४ए का मुकद्दमा सचमुच कोई वड़ी भयानक चीज नहीं हो सकती, जिसकी अधिकसे अधिक सज़ा सात वर्षकी कैद है।

इस्लाम में कोई दफा १२४ए नहीं। इस्लामके इतिहासमें दो दौर हैं। पहला दौर पैगम्बरे-इस्लाम और उनके चार खलीफ़ाओंका है। यह दौर सच्चा और पूर्ण रूप से इस्लामी शासनका था। अर्थात् इस्लामी प्रजातन्त्र अपने असली वेषमें कायम था। ईरानकी शहंशाही और रूमी वादशाहत (Aristocracy) का कोई असर अभी इस्लामी भाईचारे (Democracy) पर नहीं पड़ा था। इस्लामी प्रजातन्त्रका खलीफा स्वयं एक साधारण व्यक्ति होता था, जो साधारण छोटे-से झोपड़ेमें रहता था तथा जिसका जीवन सादा और सरल होता था। वह चार-चार थिगड़े लगे हुए कपड़े पहनता था। इस्लामकी राजधानीमें अमरीकन रिपब्लिकका-सा कोई नुमायशी बँगला "व्हाइट हाऊस" न था।

दूसरा दौर व्यक्तिगत राज्य और शहंशाही का है जो खान्दान बनी उम्मिया से शुरू हुआ। इस दौरमें इस्लामी जनतन्त्र खतम हो गया। जातिके चुनाव आदि के स्थान में शक्ति और आतंकने प्रभाव जमाया। शाही खान्दानसे जागीरदारी, तथा दरबारी शासन होने लगा। खलीफाकी जगह शहशाहका ताज व तख्त छा गया। परन्तु मुसलमानो की आजादी पहिली दौरकी तरह बढती ही रही। वे शासनकी आलोचना करते ही रहे। परन्तु ताजीरात हिन्द (पिनल कोड)की तरह इस्लामी कानून मे कोई दफा १२४ए नहीं थी। पहले दौरके मुसलमानोकी खरी आलोचनाएँ इतनी कड़ी होती थी कि एक बुढिया खलीफाके दरबारमें कहती थी—"अगर इंसाफ न करोगे तो खाल खीच ली जायेगी।" लेकिन खलीफा या उसकी सरकार बगावतका मुकद्दमा चलानेके बदले उस आलोचकाको धन्य-वाद देती थी। जब खलीफा जुम्मा की नमाज़ खुतबा (संदेश-भाषण) देता और पूछता कि "सवाल करो!" तो साधारण व्यक्ति पूछता—"यह चोगा तुम्हारे हिस्सेके कपडेसे ज्यादा है, ख्यानत (भ्रष्टाचार) है।" तब शासक (खलीफा) अपने लड़के की गवाही दिलाता कि मैंने अपने हिस्सेका कपड़ा बापको दे दिया था, उसीसे चोगा बना है। कौम की जागृति उस खलीफाके समय होती है जिसने मिश्र तथा ईरानका सिंहासन बदलवा दिया था। उस समय भी इस्लामी हुकूमतमें दफा १२४ए न थी।

दूसरे दौर की शहंशाही भी अपने मनमाने कारनामों और जेल की यातनाओ से साफ-साफ़ कहनेवालोंको न रोक सकी। पैगम्बरे-इस्लामके सच्चे निडर भक्त और साथी सदा चिल्लाते रहे कि जनता की सलाहसे और आम चुनावसे राज्य-का प्रबन्ध होना चाहिये।

इमाम मुहम्मद गज्जालीने (जिनको यूरोप आदिके लोग महान् दार्शनिक मानते हैं) उन सरकारों के अत्याचार मिटानेके लिये आलोचना करनेवालोंका उल्लेख किया है, जो कि खलीफा हिसाम बिन अब्दुलमलकके समय तक मौजूद

थे। ऐसे आलोचक २३ से ज्यादा थे। हिशाम बिन अब्दुलमलक खलीफाने ताऊस ईमानीको बुलाया। उन्होंने 'सरदार' शब्द संबोधन करनेसे इन्कार किया, तो खलीफाने कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया—"तेरी सरकारसे सारी जाति खुश नहीं है"। इसपर खलीफाने कहा—"शिक्षा दीजिये!" उन्होंने कहा—"खुदासे डर! क्योंकि तेरे जुल्मसे जमीन भर गई है।"

मलिक बिन दीनार बसरा की जामा मस्जिद में कहते थे—"इन जालिम बादशाहो को खुदाने अपने भक्तोंका चरवाहा बनाया था कि इनकी रक्षा करे। पर इन्होंने उन भक्त बकरियोंका गोश्त खा लिया, बालोंका कपड़ा बना लिया और सिर्फ हड्डियाँ छोड़ दीं।"

सुलेमान बिन अब्दुलमलक जैसे भयंकर खलीफासे अबू हाजिम कहते हैं—"तेरे बाप-दादोंने तलवारके जोरसे लोगोंको मारा, पीटा और बिना लोगोंकी सलाह और चुनावके तू मालिक बन बैठा।" इसपर सुलेमानने कहा कि "शिक्षा दो!" तो उन्होंने कहा—"जिनका हक है, उन्हें लौटा दे।" फिर ईश्वरसे प्रार्थना की कि—"अगर सुलेमान इन्साफ करे और सबके अधिकार दे, तो इसे क्षमा कर, वर्ना तू है और इसकी गर्दन।" सईद बिन मसीब बड़े आलोचक थे। वे खुल्लम-खुल्ला कहते थे कि—"कुत्तोंका पेट भरते हो, लेकिन आदमी को तुमसे आराम नहीं।"

मन्सूरी अब्बासी के डर से लोग घरों में काँपा करते थे। सफियान सूरी से उसने कहा—"कुछ जरूरत हो तो कहो।" उन्होंने जवाब दिया—"खुदासे डर? जमीन अत्याचारसे भर गई है।" मशहूर खलीफा हारून-रशीद जब गद्दी पर बैठा, (जिसने फ्रान्स को एक विचित्र घड़ी उपहार में भेजी थी और रूम के कैसरको "ऐ कुत्तेके बच्चे!" कहकर चिट्ठी लिखी थी) तब उसने सफियान को भी लिखा कि मैंने काफी धन-दौलत लोगों में बांट दिया है तुम भी आकर मिलो। सफियान कूफा की मसजिद में काफी लोगों के सामने बैठे थे। उसने

चिट्ठी तक नहीं ली और कहा कि "जिसे जालिम हाथों ने छुआ है, उसे मैं कैसे लूं?" दूसरोंने पढ़कर सुनाया तो जवाब लिखवाया कि—"तूने जनताके खजाने को अपने ही खर्च तथा ऐशो-आराममें वरबाद करके मुझे और मेरे साथियोंको भी गवाह वनाया है। तू इसाफ व अधिकार देने का विरोधी है। तेरी नौकरशाही सरकार जनताको खुश नहीं रख सकती और तू चैन और मजेकी जिन्दगी गुजार रहा है।" इस पत्रको खलीफा हारून-रशीद सदा पास रखता था। मसूर अब्वासी कावेकी परिक्रमा कररहा था कि कोई आदमी ईश्वरसे प्रार्थना कर रहा था—"ऐसे कठोर अन्यायी शासकसे बचा जो किसीके हकका ख्याल नहीं करता।" मंसूर ने उस आदमी को बुला कर पूछा—"वह कौन है ?" उसने कहा "तू।" हज्जाज बिन यूसुफ वहुत वड़ा अत्याचारी था। हतीतने गिरफ्तार होनेके बाद हज्जाज-से कहा—"तू जनता का सबसे वड़ा दुश्मन है।"

"खलीफाके लिये क्या कहते हो ?"

"उसका जुल्म सबसे ज्यादा है, तेरे जुल्म से भी कई गुना अधिक !"

मामू रशीद के राज्यमें कई लोग पुकार-पुकार कर कहते थे—"ऐ जालिम ! अगर मैं तुझे जालिम न कहूँ, तो मैं जालिम बनूंगा।"

तातार और यूरोप के झगड़े—

यह तो इस्लामी इतिहासके शुरूके पृष्ठ है, किन्तु इसके वाद भी हर एक ताकत-का यही हाल रहा। मुसलमानोके लिये वर्तमान राज्यका वडा भारी आतंक या झगड़ा कोई प्रथम घटना नहीं है। वह एक ऐसे ही तूफानमें फँसकर निकल चुके है। जिस तरह आज यूरोप और खासकर इंग्लिस्तानके कारण सारे एशिया और इस्लामी राज्यों की आजादीका अंत हो गया है,। ठीक इसी तरह १५वी सदी ईस्वी में भी तातारियोंके पशुवत् राज्य-शासनने यूरोपके झगडेका अंतिम परिणाम उस्मानी खिलाफतकी वरबादी और एशिया-कोचकका कत्लेआम है। तातारी झगड़ेके बादमें अब्बासियों तथा खलीफाओंका अंत और बगदादका कत्लेआम था। तातारी

मनुष्य नहीं, जानवर थे। फिर भी हलाकु खां, मुनकर खां, आवाकाआन आदि कई जालिमों के लिये कुछ खरे मुसलमान आलोचक उनको मुंहतोड़ जवाब देनेवाले मौजूद थे। शेखसादी शीराजीने हलाकू खां के सामने ही उनको अत्याचारी कहा। शमसुद्दीन न्यारीने मुनकर खाके दरबारमें उनका नाश होनेकी कामना की। शेखुल इस्लाम अहमद इब्न तीमियाने आवाकाआनके दरबारमें उसे धिक्कार दिया। तातारियो के पास निर्दयता से मार डालने का कानून था, फिर भी चंगेजखांनी कानून में दफा १२४ ए न थी।

हज्जाम और रीडिंग—

हम मुसलमानो का जब अपनी स्वजातीय सरकार के साथ (जिसका मानना धर्म-बंधन था) ऐसा व्यवहार रहा है, तो फिर एक नई सरकार के प्रतिनिधि हमसे क्या आशा रखते है? क्या हिन्दुस्तान की सरकार उससे भी बढ़कर हो सकती है? क्या इंग्लिस्तान की बादशाहत और लार्ड रीडिंग की सरकार अब्दुल मलक की खिलाफत और हज्जाम बिन युसुफ की गवर्नर-जनरलशिप से अधिक पवित्र और प्रिय हो सकती है? यदि हम धर्म-दृष्टि को छोड़ दे तो भी हम जो कुछ हज्जाम और खालिद कस्री के लिये कह चुके है—"खुदा से डरो क्योंकि तुम्हारे पापों से जमीन भर चुकी है" यही आज भी इस सरकार से कहेंगे।

सच यह है कि हम अपनी कमजोरी और मजबूरीसे आज हिन्दुस्तानमें जो कुछ कर रहे है, वह यथार्थमें हमारी राष्ट्रीय सरकारके अत्याचार और जबर्दस्ती-के लिये हमें बतलाया गया था, न कि एक परदेशी तथा दूषित सरकारके लिये। अगर ब्रिटिश सरकारकी नौकरशाही इसको भलीभांति समझती, तो वह इस तरह मुस्लिमोंपर अनाचार न कराती। अगर वह चाहे भी, तो मुसलमान ब्रिटेनके लिये इस्लाम नहीं छोड़ सकते। इस्लामने हुकूमत करनेवालोंके लिये उनके अत्याचारके खिलाफ दो तरहसे सामना करनेका आदेश दिया है, क्योंकि दो प्रकारके रास्ते भी हैं—एक जबरदस्तीका अधिकार और दूसरा मुस्लिम शासकोंका पहिलेके लिये है कि तलवारसे मुकाबला किया जाय और दूसरेके लिये यह है कि सच्ची

आलोचना हर मुसलमान करता रहे। पहिले ढंगमें शत्रुओं द्वारा मरना पड़ेगा और दूसरे ढंगमें आपत्तियाँ उठानी पड़ेंगी अर्थात् हर तरह अपना वलिदान देनाही पड़ेगा, तभी तो विजय होगी। आज १३०० सौ सालसे मुसलमान तरह-तरहके अत्याचार सहकर भी दोनों ढंगसे तैयार हैं। हिन्दुस्तानमें आज मुसलमानोने दूसरा ढंग अपनाया है। हालांकि मुकावला उनका पहिले ढंग जैसा है। उनके लिये खुली जंगका मैदान आ गया था, लेकिन उन्होंने नागरिक अधिकारका प्रयत्न किया। वे सत्याग्रह करके अपना अधिकार चाहेंगे और यह ठीक भी है। वे हथियार न उठायेंगे। परन्तु सरकारको अव समझना चाहिये कि वे अत्याचारके मुकावलेमें अपनी धार्मिक सरकारसे जो कुछ कराते थे, उससे भी कम है।

मौजूदा इंकलाव—

मैं सच कहता हूँ कि मुझे राई वरावर भी शिकायत नही है कि सजा दिलानेके लिये मुझपर मुकद्दमा चलाया गया है। यह तो होना ही था किन्तु हालात की यह क्रान्ति मेरे लिये आश्चर्यजनक है कि एक मुसलमानसे झूठी गवाहीकी आशा रक्खी जाए कि वह पापको पाप न कहे और अगर कहेगा तो दफा १२४ ए का मुकद्दमा चलाया जावेगा। मुसलमानोंकी निष्पक्षता प्रमाण उनकी इतिहासकी नीतिसे सिद्ध होता है। वह एक वलवान राज्य-शक्तिके सामने निर्भीक खड़ा है। उस पर यह जुर्म है कि उसने शासनके अत्याचार प्रकट किये। उसके वदले उसका एक-एक अंग काटा जा रहा है; किन्तु जव तक उसकी जीभ नही काटी जाती, वह यही कहता रहता है। (यह घटना खलीफा अब्दुल मलकके समय की है जिसका राज्य अफ्रीकासे सिन्ध तक फैला था।) भला उसकी दफा १२४ ए के साथ तुलना करो!

मैं इस वातसे इन्कार नहीं करता कि इसके जुम्मेवार खुद मुसलमान हैं। उन्होंने इस्लामी जीवनके सारे गुण नष्ट कर दिये और वदलेमें दास-प्रवृत्ति ले ली है। उनकी वर्तमान हालतसे वढ कर दुनियामें इस्लामके लिये कोई वड़ा खतरा

नहीं। मुझे यह कहते भी दुःख होता है कि इसी हिन्दुस्तान में वह मुसलमान भी हैं जो ईमान की कमजोरी से खुल्लम-खुल्ला अत्याचारकी भक्ति या चापलूसी कर रहे हैं।

आजादी या मौत—

लेकिन मनुष्यों के कर्तव्यहीन होनेपर जातिकी महानताको बदनाम नहीं किया जा सकता। यह तो पवित्र पुस्तकों से प्रकट है। यह किसी भी दशा में योग्य नहीं है कि आजादी खोकर मुसलमान जिन्दा रहे। मुसलमानोंको मिट जाना चाहिये, परन्तु आजादी की रक्षा करनी चाहिये। तीसरा रास्ता इस्लाममें दूसरा कोई नहीं। मैंने आज से १२ साल पहिले 'अलहिलाल' अखबारके द्वारा मुसलमानोंको सावधान किया था कि आजादीके लिये उन्हें बलिदान देना होगा। उनका इस्लामी कर्तव्य है कि हिन्दुस्तानकी दूसरी संस्थाओंको छोड़कर वह इस आजादी के पवित्र मार्ग में कदम रक्खें। मेरी पुकार व्यर्थ न गई। मुसलमानोंने अब अंतिम फैसला कर लिया है कि अपने हिन्दू, सिक्ख, ईसाई तथा पारसी भाइयोंके साथ मिलकर अपने मुल्कको गुलामीसे मुक्ति दिलावें।

खिलाफत और पंजाब—

मै सरकारके अन्यायोंकी घटनाएँ नहीं गिनाना चाहता। मै पंजाब और खिला-फतके सम्बन्धमें दो सालसे पुकार-पुकारकर लोगोंको सावधान कर रहा हूँ। मैंने भलीभांति कहा है कि जो सरकार इस्लामी खिलाफतको नुकसान पहुँचा रही हो और पंजाबके अत्याचारोंका प्रायश्चित न करती हो, ऐसी सरकारके लिये किसी हिन्दुस्तानीके दिलमें भक्ति नहीं हो सकती। वह सरकारके बदले एक ईर्ष्यालु-दल-के रूप में है। १३ दिसम्बर १९१८ ई० को जब मैं रांचीमें नजरबन्द था, मैंने एक चिट्ठी लार्ड चेम्सफोर्डको लिखी थी। उसमें पूछा था कि खिलाफत और अरबी राज्योंके सम्बन्धमें इस्लामी आदेश क्या है? क्योंकि अगर ब्रिटिश सरकार इस्लामी राज्यों और खिलाफतपर अपनी प्रतिज्ञाके खिलाफ हो गई, तो

हिन्दुस्तानी मुसलमान भी इस्लामी आदेशसे विचलित हो जाएँगे। इस्लामका साथ या सरकार का साथ ? परन्तु वे इस्लामका साथ ही देंगे।

गवर्नमेन्टने उन प्रतिज्ञाओंका ध्यान भुला कर २ नवम्बर १९१४ ई०का सदेश ठुकराया। इंगलैण्डके प्रधानमंत्री मि० लायड जार्जने ५ जनवरी १९१८ ई०को कहा था कि सज्जनोंको प्रतिज्ञा करके भुलाना पाप है, किन्तु शक्तिशाली राज्यको कोई भी पाप नही है। ऐसी परिस्थितिमे मुसलमान् विवश होकर इस्लामी कानूनकी प्रेरणासे अपने कर्तव्य पर सँभल गये और सरकारके सहयोगको ठुकरा दिया और सदा ठुकराते रहेंगे; जब तक कि उनमे इस्लामी जोश है। मुसलमानोको विश्वास हो गया है कि अगर वे अधिकार व न्याय चाहते है, तो उसका मार्ग सिर्फ स्वराज्य है अर्थात् अपनी राष्ट्रीय सरकार हो, हिन्दुस्तानियोकी हो, हिन्दुस्तान् भरमे हो और हिन्दुस्तानके लिये हो।

यह अत्याचार नहीं तो क्या न्याय है ?

इस सम्बन्धमें मेरा विचार स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार अयोग्य ब्यूरोक्रेसी है। वह करोड़ों आदमियोंकी इच्छा और मांगके विरुद्ध है। वह हमेशा न्याय और सच्चाईको धता बताती है। वह जलियाँवाला बाग अमृतसरके राक्षसी कत्लेआमको कराती है। वह पशुतुल्य कार्य अर्थात् लोगोंको पेटके बल चलाती है। वह नाजियोंकी तरह लड़कोंको बेहोश इसलिये करती है कि वे यूनियन जैकको सलाम नही करते। वह ३० करोड़ प्रेरणाओंके खिलाफ इस्लामी खिलाफतको नुक्सान पहुँचा रही है। वह अपनी प्रतिज्ञाओंके तोड़नेमें कोई दोष नही समझती। वह स्मरना और थ्रेसको अन्यायके साथ यूनानियोंके सुपुर्द कर देती है और फिर सारी इस्लामी आबादीके कत्ल तथा नाशका तमाशा देखती है। वह झूठ, पापाचार और अधेरशाही मचाये है। स्मरना में ८० प्रतिशत मुस्लिम आबादी है किन्तु प्रधानमत्री ईसाई आबादीको अधिक बतला कर झुठलाता है। यूनानी राज्य सारी मुस्लिम आबादीको खून और आगमें टरेन्न देता है और वह बेधड़क तुर्की अत्याचारोकी मनगढ़न्त बातें

दोहराता है तथा इंग्लिस्तानको अमेरिकन कमीशन द्वारा भेजी रिपोर्ट गुप्त रखी जाती है। फिर अत्याचारोंकी भरमार कर दी जाती है, जो एक सालसे हो रहा है और १८ नवम्बरसे इस देशमें हो रहा है। यदि ऐसी सरकारको अन्यायी और कूटनीतिज्ञ न कहूँ तो क्या कहूँ ? क्या इसलिये कि अत्याचारी शक्तिशाली है और इनके पास जेल है ? मै इटलीके जोज़ेफ मैजिनीके शब्दोंमें कहूँगा—"कि तुम्हारे साथ दिखावटी शक्ति है—तुम्हारी बुराई नहीं कर सकते !"

मुझे आश्चर्य है कि मेरे ख़िलाफ सिर्फ ये दो अपूर्ण भाषण क्यों पेश किये गये है ! क्या उन हजारो पृष्ठोंमें जो मेरी लेखनीने लिखे गये और उन दोनो भाषणोंसे जिनकी आवाज़ सारे हिन्दुस्तानके कोने-कोनेमें गूँज चुकी है सरकार को यह ही प्रमाण मिला है ? क्या मेरे दो सालके ये सब लेख और भाषण व्यर्थ थे ? जब कि मै १२ सालसे अपनी जाति व देशकी आजादी और अधिकार माँगनेकी आवाज़ उठा रहा हूँ। उस समय मेरी १८ सालकी उम्र थी, जब मैंने इस पथपर कदम रक्खा था और अपनी जवानी इसी उद्देश्यके अर्पणकर दी। मै इसी-लिये चार सालतक नजरबन्द भी रहा। नजरबन्दीके समयमें भी मेरा कार्यक्रम इसी उधेड़बुनमें व्यतीत हुआ। राँचीके वायुमण्डलसे इसका प्रमाण मिल सकता है। यह तो मेरे जीवन का सुनहरा प्रभात है।

अन्तिम मुस्लिम आन्दोलन—

मै इस जुर्मसे क्योंकर इन्कारकर सकता हूँ, जबकि मै हिन्दुस्तानके इस इस्लामी आन्दोलनका सूत्रधार हूँ। मैंने मुस्लिम हिन्दुस्तानकी राजनीतिमें शान्ति पैदा कर दी है। आज हर एक व्यक्ति मेरी इस हां मे हाँ मिला रहा है। मैंने सन् १९१२ ई०मे उर्दू अख़बार "अलहिलाल" निकाला, जो इस आन्दोलनका मान पत्र था। इस पत्रने ३ सालके अन्दर देशमें एक विशेष हलचल मचा दी। चूँकि ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ राज्यने यह भ्रम फैला रक्खा था कि हिन्दुस्तान में हिन्दुओं

की आबादी अधिक है। इसीलिये अगर स्वराज्य हुआ तो हिन्दूराज्य हो जायेगा। मैंने अलहिलालके द्वारा इन घृणित विचारोंकी निन्दाकी और मुसलमानोको मिल-जुल कर राजनीतिमें घुसानेका प्रयत्न किया, जिससे स्वराज्य और खिलाफत दोनों आन्दोलन आज चल रहे हैं । परन्तु अलहिलालकी जमानत जब्त करली गई। फिर "अलबिलाग"के नामसे पत्र निकाला, तो सन् १९१६ ई०में मुझे नजर-बन्द कर दिया गया। "अलहिलाल" आजादी और मौतका सन्देश देनेवाला था। मुस्लिम शिक्षाका वाद-विवाद इतना प्रभावशाली हुआ कि जिस तरह आज-कल महात्मा गांधी धार्मिकताका प्रभाव पैदा कर रहे हैं, 'अलहिलाल' इसे १९१४ ई०में ही मुसलमानोंमें भर चुका था। इसीलिये हिन्दू-मुसलमान दोनों का मेल उस समय हुआ, जब कि दोनोमें पश्चिमी सभ्यताके विरुद्ध धार्मिक भावना आ गई।

खिलाफत-कान्फ्रेन्स कलकत्ता—

चार सालके बाद पहली जनवरी १९२० ई०को मुझे छोड़ा गया। उस समय से अब तकका मेरा समय इसी प्रचार और आन्दोलनमे व्यतीत हुआ। २८ और २९ फरवरी १९२० ई०को इसी कलकत्ताके टाउनहालमें खिलाफत-कान्फ्रेन्स हुई थी और मुसलमानोंने निराश होकर अन्तिम फैसला किया था— "अगर ब्रिटिश गवर्नमेण्टने खिलाफतकी माँगोको न माना, तो मुसलमान अपने धार्मिक आदेशसे विवश हो जायेंगे कि विदेशी सरकारके सारे सम्बन्ध ठुकरा दें।" मैं इस कान्फ्रेन्सका अध्यक्ष था। मैंने अध्यक्ष-पदसे वह सब बातें बतला दी थी, जो केवल इन दो भाषणोंमे कुछ-कुछ दिखलाई गई है।

सहयोग और फौजी नौकरी—

मैंने इसी भाषण में वह इस्लामी आज्ञा भी स्पष्ट कर दी थी, जिसकी बुनियाद पर मुसलमानोका धार्मिक कर्त्तव्य है कि वर्तमान परिस्थितिमें गवर्नमेण्ट से असहयोग करें। अर्थात् को-आपरेशन और राज्य-भक्तिसे हाथ खींच लें। यह

'असहयोग' है, जो आगे चलकर 'नान-को-आपरेशन' के रूपमें प्रकट हुआ और महात्मा गाँधी ने उसकी संरक्षणता की।

इसी कान्फ्रेन्स (Conference) मे फौजके विषयमे प्रस्ताव स्वीकार हुआ था, जिसमे इस्लामी कानूनके अनुसार मुसलमानोंके लिये फौजी नौकरी अनुचित बतलाई गई थी; क्योंकि गवर्नमेण्ट इस्लामी खिलाफत और इस्लामी देशोंके विरुद्ध कार्य कर रही है। कराचीका मुकद्दमा इसी प्रस्तावकी बुनियाद पर चलाया गया था। मैं बार-बार अपने लेखो और तकरीरोमे ऐलानकर चुका हूँ कि ये प्रस्ताव सबसे पहले मैंने ही तैयार किया था और मेरी ही अध्यक्षतामें तीन बार स्वीकार हुआ। सबसे पहले कलकत्ता, फिर बरेली और इसके बाद लाहौर में, बस इस 'जुर्म' की बुनियाद का भी पहला हकदार मैं हूँ।

मैंने इसको खुलासाके बाद किताबके रूपमें भी प्रकाशित किया, करने जो अंग्रेजी अनवादके साथ बार-बार छप चुका है और शायद मेरे 'जुर्मों' (दोषों) का एक तहरारा रिकार्ड हैं।

मेरा जीवन धारा १२४ ए है—

मैंने पिछले दो सालके अन्दर अकेले और महात्मा गाँधीके साथ सम्पूर्ण हिन्दुस्तानकी कई बार यात्राकी। कोई शहर ऐसा नही है जहाँ मैंने खिलाफत, स्वराज्य और नान-को-आपरेशन पर बार-बार तकरीरें न की हों और वे सब बातें न कही हो, जो मेरी इन दो तकरीरों में दिखलाई गई है।

दिसम्बर १९२०मे Indian National Congress के साथ-साथ आल इण्डिया खिलाफत-कान्फ्रेन्सका भी जलसा हुआ। अप्रैल १९२१ मे जमीयतुल-उलमाका बरेलीमें जलसा हुआ। पिछली अक्टूबरमें यू० पी० प्राविन्शियल खिलाफत-कान्फ्रेन्स आगरामें हुई। नवम्बरमे आल इण्डिया उलमा-कान्फ्रेन्सका लाहौरमें जलसा हुआ। इन समस्त कान्फ्रेन्सोंका भी मैं ही सभापति था। परन्तु इनमें भी सब भाषण देनेवालोने जो कुछ कहा और अध्यक्षकी

तकरीरोंमें मैंने जो विचार प्रकट किये, उन सबमें वे सभी बातें मौजूद थीं जो उन दो तकरीरोंमें दिखलाई गई हैं। बल्कि मैं सौगन्ध खाता हूँ कि इनसे बहुत अधिक स्पष्ट और यथार्थ विचार प्रकट किये गये थे।

यदि मेरी उन दो तकरीरोंमें सचमुच दफा १२४ ए का जुर्म है तो मैं नही समझता कि केवल पहली और पन्द्रहवी जुलाई ही को क्यों प्रमुखता दी गई ? मैं तो विश्वासके साथ इसको प्रकट कर चुका हूँ कि भलीभाँति इसका विरोध मेरे लिये असम्भव हो गया है। मुझे कहना पड़ेगा कि मैंने पिछले कई सालोके अन्दर इसी १२४ ए के अतिरिक्त और कोई काम ही नही किया।

सी० आई० डी० की रिपोर्ट—

हमने आज़ादी और अधिकार की राह स्वीकारकी है। हमारे समक्ष ताकत अत्यधिक मनमानी करनेके लिये खड़ी है, परन्तु हमारा विश्वास केवल ईश्वरपर है और अपने आदर्श, त्याग, शक्ति और सहनशीलता आदिको लेकर महात्मा गाँधीके समान मेरा यह विश्वास नहीं है कि किसी दशामें भी हथियारका मुकाबला हथियारसे नही करना चाहिये। इस्लामने जिन दशाओंमें इसकी आज्ञा दी है, मैं उसपर ईश्वरीय देन, न्याय, नीतिके अनुसार विश्वास करता हूँ। परन्तु साथ ही हिन्दुस्तानकी आजादी और वर्तमान प्रयत्नों के लिये महात्मा गाँधीके समस्त सिद्धान्तोंसे भी सहमत हूँ और इन प्रमाणों की सच्चाई पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ। मेरा विश्वास है कि हिन्दुस्तान सत्याग्रहके प्रयत्नों द्वारा ही विजयी होगा और उसकी जीत नीति, सच्चाई और महान् गौरवकी एक स्मृतिका उदाहरण होगी।

यही कारण है कि मैंने सदैव लोगोंको शान्ति धारण करनेकी प्रेरणा दी और उसको सफलताकी सबसे पहली सीढ़ी बतलाया है। स्वयं ये तकरीरें भी इसी विषय पर थीं जैसा कि मेरे ब्यान से भी प्रमाणित होता है। मैं उन कुछ मुसलमानोंमें से हूँ जो आम तौर पर यह कह सकते हैं कि यदि उन्होने अत्यन्त

मज़बूतीके साथ मुसलमानोको शान्तिके घेरेमें पकड़ न रखा होता, तो न मालूम खिलाफतके आन्दोलनके कारणसे उनका जोश कैसी भयानक शक्ल बना लेता ? कमसे कम हिन्दुस्तानके हर हिस्से में "मालवार" का दृश्य तो अवश्य दृष्टिगोचर होता ।

सत्याग्रह और सहयोग—

अब जब कि मैं इन दो, तकरीरों के सब हिस्सोको स्वीकार कर चुका हूँ जिनसे प्रासीक्यूशन अपना मत निश्चित कर सकता है, तो कोई परवाह नहीं, यदि कुछ शब्द उनकी वास्तविकताके वारेमें भी कह दूं ।

सी० आई० डी० के गवाहो ने व्यान किया है कि मेरी तकरीरों के नोट भी लिये गये और शार्टहैण्डके द्वारा भी लिखे गए । जो कापी पेश की गई वह 'ए' और 'सी' शार्टहैण्डने दी है । परन्तु ये मेरी तकरीरोका एक ऐसा विगडा अशुद्ध रूप है कि यदि कुछ नामों और वाक्योकी तरफ इशारा न होता तो मेरे लिये पहिचान करना भी वहुत कठिन था । वह अवश्य एक चीज़ है जो दूर तक फैलती हुई चली गई है, परन्तु मैं नही जानता कि क्या चीज़ है ? अर्थात वेजोड़, असम्वद्ध और अधिकतः विना अर्थके शव्द है जो विना किसी सम्वन्ध और सिलसिलेके अन्दाज़से विखेर दिये गए है । ग्रामर (Grammar) और मुहावरा दोनोंसे उन्हें एक दम विरोध है । इससे स्पष्टतः प्रकट होता है कि रिपोर्टर तकरीर समझने और नोट्स लेनेमें परेशान था । इसलिये वीचके वाक्यके वाक्य छोड़ता जाता था । समस्त शव्द भी मनमाने गढे हुए लगते है । इससे भी वढ़कर यह कि वे सव शव्द जिनकी आवाज़में तनिक-सा भी जोर है, विल्कुल वदले गये है और रिपोर्ट या तो विना अर्थके हो गई है या व्यर्थ है ।

जैसा कि मैंने पहली जुलाईके भापणमें प्रसिद्ध फ्रेन्च शायर और साहित्यिक विक्टर ह्यूगोकी प्रतिज्ञा व विचार वतलाये थे—"आज़ादीका वीज कभी वरवाद नही हो सकता जव तक जुल्मके पानीसे इसकी जड़े खोखली न हो !"

शार्टहैंड रिपोटर ने 'जुल्म'के स्थानमें 'धरम' लिख दिया है जो बिल्कुल मनगढंत है। हाँ, इनकी आवाज़में समानता है। इसी तरह एक स्थान पर है—

"उन्होंने जेल जानेकी मुसीवतको वर्बाद किया है।"

यद्यपि मुसीबतको नष्ट करनेका कोई अर्थ नही हो सकता। फिर भी मैंने "वरदाश्त" किया है (सहन किया है) कहा होगा। अर्थात् "उन्होंने जेलकी कठिनाई झेल ली है।" क्योकि दोनों शब्दोंकी आवाज मिलती-जुलती है और रिपोर्टर स्वयं अयोग्य है इसलिये 'बरदाश्त'के स्थान 'बर्बाद' लिख गया।

उर्दू शार्टहैण्ड—

वास्तवमें बात यह है कि उर्दू मुख्तसरनवीसीका नियम और मुख्तसरनवीसकी अयोग्यता दोनों ही इन वातोके लिये जिम्मेदार है। उर्दू मुख्तसरनवीसीका नियम १९०५ में क्रिश्चियन कालेज लखनऊके दो प्रोफेसरोंने आविष्कार किया। जिनमेंसे एक का नाम मिर्जा मुहम्मद हादी बी० ए० है। मैं उस समय लखनऊ ही में था, इसलिये मुझे विशेष तौर पर उसे देखने और उनसे वातचीत करनेका व्यक्तिगत सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे मालूम है कि उसके थोड़ेसे परिवर्तन और चिन्ह अग्रेजी शैलीसे लिये हैं, परन्तु वह उर्दू शब्दालेखन को पूर्ण रूपसे बदलनेमें सफल न हो सके। स्वयं उन्हे भी इस रूपकी एक हद तक चिन्ता थी। परन्तु वे विचार करते थे कि मुखतसरनवीसकी योग्यता और स्मरण-शक्तिसे उसकी पूर्ति हो जायेगी। मै अपने निजी अनुभवके आधार पर कहता हूँ कि इस धारणाके अनुसार विचार ठीक न निकला।

उत्तर-प्रदेशकी गवर्नमेण्टने प्रारम्भिक ज्ञानके लिये दो पुलिस सब-इन्सपेक्टरोंको शिक्षा दिलाई थी। उन्होंने सबसे पहले परीक्षाके रूपमें जिन पब्लिक तकरीरोकी नकल ली, मै वतलाना चाहता हूँ कि वह मेरी और स्वर्गीय शम्सुल उल्मा मौलाना शुवलीनुमानी के भाषण थे। हम दोनोंने अन्जुमन-ए-इस्लामिया हरदोईके वार्षिक जलसेमें भाषण दिये थे। मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि

मौलाना शुवलीने एक मिनटमे ६० शब्दोकी चालसे भाषण दिया था और मेरा भाषण एक मिनट में ८० से ६० की चालमे था। जैसा कि स्वय मुख्तसर-नवीसोने प्रकट किया कि ये कोई तेज़ चाल न थी। फिर भी जब उन्होंने अपना कार्य करके दिखलाया तो विल्कुल फालतू और गलत था। उसके पश्चात् भी मुझे कई वार अपने 'भाषणोके लिखने व देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ, परन्तु सदैव ऐसा ही नतीजा निकला। अभी कुछ समयकी वात है कि खिलाफत-कान्फ्रेन्स आगरामें मेरा मौखिक अध्यक्षीय भाषण एक सुप्रसिद्ध मुख्तसरनवीस सैयद गुलाम हुसैनने लिखा था, जो काफी समय तक यू० पी० के महकमा सी० आई० डी०मे काम करनेके वाद अलग हुआ है। परन्तु जब लॉगहैण्डमें दोवारा अनुवाद करके दिखलाया गया तो उसका कोई भी हिस्सा स्पष्ट और पूर्ण न था।

यह तो वास्तविक नियमोका स्वरूप है। परन्तु जब इसपर मुख्तसरनवीस की अयोग्यताकी वृद्धि हो जाये, तो फिर कोई कसर ऐसी वाकी नही है जिससे मनुष्योके भाषणकी छीछालेदर न की जा सके। कलकत्ता और वङ्गालकी सदेह-जनक दशाने इस स्वरूपको और अधिक कठिनाइयोसे पूर्ण वना दिया है। यहाँके देशी और यूरोपियन अफसर स्वयं उर्दू भाषासे विल्कुल सम्वन्ध नही रखते। यहाँ तक कि साधारण तौरपर वोल भी नही सकते। उनके पास शायद ऐसे रिपोर्टर है, जो अग्रेजी भाषाके संकेतो द्वारा किसी खास भाषाका कुछ दूसरा ही मतलव निकालते है। फल यह है कि पुलिस और अदालत इन रिपोटरो और मुख्तसरनवीसोको ऐसे काममें लगा रही है, जिनकी विचित्र शैलीकी सदैव हम लोग चर्चा किया करते है।

मै दावेके साथ कह सकता हूँ कि कलकत्ताकी पुलिस और अदालतो में एक व्यक्ति भी उर्दू भाषाके लिये योग्य व्यक्ति नही है। यदि यहाँ इस सच्चाई-

का कुछ भी अनुभव होता तो केवल यही बात एक आश्चर्यजनक ख्यालकी जाती कि मेरे भाषणोंके लिये पुलिस और सी० आई० डी० के गरीब रिपोर्टरोंकी गवाही ली जा रही है ! मैं स्वीकार करता हूँ कि कमसे कम यह तरीका मेरे लिये अवश्य कष्टप्रद है।

पूर्वी साहित्य और सरकारी नौकरोंका ज्ञान—

यह कहना आवश्यक नहीं है कि मैं अपने डिफेन्सकी गरजसे इन गवाहियों-को झूठा प्रमाणित नही कर रहा हूँ। मैं तो पूरी-पूरी प्रतिज्ञा कर चुका कि इस बारेमें कुछ न करूँगा। असल उद्देश्य केवल दो बातोंकी स्वीकृति है।

प्रथम जो सरकारी मुकद्दमे उर्दू भाषण व तहरीरके किस आधार पर चलाये जाते हैं ? उनके प्रमाण किस प्रकार व्यर्थ, अयोग्य तथा अपूर्ण हैं !

हिन्दुस्तानमें व्यूरोक्रेसीकी असफलता और अयोग्यताका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वह डेढ़ सौ वर्ष तक राज्य करके भी इस योग्य नही हुई कि हिन्दुस्तानी भाषाओंके विषयमे ठीक और वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सके। मुझे स्मरण है कि जब अक्टूबर १९१६ में नजरबन्द किया गया और बिहार गवर्नमेण्टके अधिकारी और पुलिस अफसर तलाशीके लिये आये, तो उन्होने मेरी समस्त किताबोको भी भयानक लिटरेचर समझ कर अत्यन्त सावधानीके साथ अधिकारमें कर लिया। ये सब किताबे अरबी और फारसी भाषामें थी। इसके अलावा इतिहास, दर्शन आदिकी पुस्तकोंका संग्रह था, जो बाजारोंमे बिकता रहता है। केवल एक किताब "मतलबे आलया" नामी हस्तलिखित थी जो सबसे अधिक खतरनाक समझी गई। आनन्द यह है कि उन पुस्तकोंकी सूची डिप्टी-कमिश्नरकी दरख्वास्तसे मुझे ही तैयार करनी पडी। क्योंकि जाँच करनेवालोंके इस पूरे कमीशनमें एक व्यक्ति भी इस योग्य न था कि किताबोंके टाइटिल पेजको देख कर नाम ही पढ़ सकता।

मैंने नजरबन्दीके समयमे चार साल तक अपनी डाकके लिये स्वयं ही सैन्सरशिपके कर्तव्य पूरे किये हैं, क्योंकि जो सरकारी अफसर इस उद्देश्यसे नियुक्त किया गया था, वह इतना अयोग्य व्यक्ति था कि उर्दूके साधारण लिखे हुए पत्र भी नही पढ़ सकता था। वह बहुधा मेरी डाक केवल हस्ताक्षर करके भेज देता और शामको आकर मुझसे अनुवाद लिखवा लेता।

जब कि नजरबन्दीमे मै अपनी डाककी स्वयं ही देख-भालकर रहा था, तो शिमला और देहलीके अधिकारी अपनी कार्रवाईपर अत्यन्त गर्व कर रहे थे और समझते थे कि उन्होने अपने एक भयकर दुश्मनको बिल्कुल लाचार और मजबूरकर दिया है।

इस समय भी मेरी साहित्यिक सामग्री कलकत्ता-पुलिसके अधिकारमे है। इनमें सबसे अधिक भयंकर पाप 'तारीख', 'तफसीरे कुरान' आदि दूसरे लिटरेचर है। मै यहाँ अरबीके व्यक्तियोंकी दिलचस्पीके लिये उन किताबोंके कुछ नाम बता देता हूँ, जिन्हें अत्यन्त भयानक समझ कर पुलिसने शिमला भेजा था था और कुछ समय तक सर चार्लस क्ल्यूलैण्डकी आज्ञा से मेरी नजरबन्दीके अन्य मामलोंके समान इनकी भी खोज होती रही। १—फतहउलकदीर शरअ, २—तबक्कात अशाफिया सबकी, ३—अजालता अलखफा, ४—किताब अलाम मद्दुन्त इमामुल्क, ५—मतालब आलिया इमामराजी शरअ, ६—हिकमतुल असराक, ७—शरअ मुस्लिम अलसबूत, ८—सहरुलउलूम, ९—किताब अलमस्तसफी, १०—किताब अलमुगा।

वास्तविकता यह है, कि किसी दोषके लिये, जो लिटरेचरसे सम्बन्ध रखता हो, कोई न्यायशाली अदालत ऐसी काररवाई नही कर सकती जो साधारण तौर पर खुद सलाह न दे सके, अर्थात् स्वयं उस भाषासे परिचित न हो। परन्तु वर्तमान ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसीके होनेके अतिरिक्त अब देशकी सरकार भी है, इसलिये हर विभागमें आश्चर्यजनक गुलामीके प्रमाण सिद्ध हो रहे हैं। अदालतें हिन्दुस्तान-

की हैं और हिन्दुस्तानियोके लिये हैं परन्तु उनकी भाषा वही ब्रिटेनकी है। और वहुधा अधिकारी या जज आदि ऐसे है जो देशकी भाषाका एक शब्द तक भी नही जानते ।

यही कारण है कि अब हम इस गवर्नमेण्टसे और कुछ नहीं चाहते, केवल यही चाहते है कि जिस प्रकार भी शीघ्र सम्भव हो, वह अपनेसे अच्छे और हकदार के लिये अपनी जगह खाली कर दे ।

वर्तमान दशा स्वाभाविक है—

मै जैसा कि शुरूमें लिख चुका हूँ, अन्तमें भी दुहराऊँगा । आज गवर्नमेण्ट जो कुछ हमारे साथ कर रही है, वह कोई साधारण वात नही है जिसके लिये विशेष तौर पर उसे दोष दिया जाये । राष्ट्रीय जागरणके समक्ष मै विरोध और अत्याचार करनेवाले अधिकारी वर्ग की समस्याको समझता हूँ और हमें यह आशा नही रखनी चाहिये कि हमारे लिये मानवी स्वभाव वदल दिया जाए ।

ये स्वाभाविक कमज़ोरी मनुष्यो और संस्थाओं, दोनोंमें एक समान होती हैं। दुनियाँमें कितने मनुष्य है जो अपने अधिकारमें आई हुई चीज़ केवल इसलिये लौटा देगे कि वह इसके हकदार नहीं । फिर एक पूरे महाद्वीपसे इसके लिये क्योकर आशा की जा सकती है ? शक्ति कभी किसी वातको केवल इसलिये नही मान लेती कि वह यथार्थमे सच्ची और ठीक है । वह तो स्वयं भी अपनेसे वड़ी शक्ति की अयोग्यसे-अयोग्य माँगके आगे भी झुक जाती है । केवल प्रेरणा और प्रतीक्षा ही एक ऐसी स्वाभाविक वात है जिसको विल्कुल दुनियाके मामूली कामों की तरह विना किसी आश्चर्य व शिकायतके सफल होना चाहिये । मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि इतिहासने इस सम्वन्धमें जो अनाचार तथा अत्याचार दिखलाये है, उनके मुकावलेमें वर्तमान अत्याचार अधिक नही है । सम्भव है इसके लिये देशका तपोधन अभी जागृत नहीं हुआ अथवा अत्याचारोंका

संगठन नही हुआ है। भविष्य इसे स्पष्ट कर देगा। जिस तरह इस परिस्थिति का प्रारम्भ एक-सा हुआ है, इसी तरह अन्त भी एक ही तरह होगा। यदि हमारी आजादी व अधिकार की माँगका जोश सच्चा और अटल है, तो यही सरकार जो आज हमे सजावार समझ रही है, कल विजय दिलाकर देशभक्तके सेवकोंका स्वागत करनेमें अगुआ होगी।

बग़ावत—

मुझपर जो दोष लगाया गया है, वह 'वगावत' के नामसे पुकारा जाता है। क्या वग़ावत आजादीके आन्दोलनको कहते है, जो अभी सफल नही हुई? किन्तु इसको शुद्ध देशभक्ति ही कहते हैं। कल तक आयरलैण्डके जन-नेता वागी थे, लेकिन आज डीवेलरा और ग्रेआन्यके लिये ब्रिटिश सरकार महामान्यका सम्मान देती हैं। इसी आयरलैण्डके पारनलने कहा था कि—"हमारा कार्य पहिले सदा वग़ावतका और अन्तमें पवित्र देशभक्तिकी लडाई मानी गई है।"

मैं मुसलमान हूँ इसलिये कुरान शरीफके आदेशके अनुसार जीव और शरीरका सम्वन्ध उसके स्वाभाविक नियमके अनुसार मानता हूँ। ठीक इसी भाँति सारे सिद्धान्त और प्रयत्नोमें भी वही नियम छाया हुआ है और विजय भी उन्ही प्रयत्नोकी होती है जो सत्य और उज्जवल हों। जव कभी न्याय और अन्यायमें मुकावला होगा तो अन्तिम जीत न्यायकी होगी। कुरान-शरीफमें कहा है—"ज़मीन पर वही चीज़ शेप रहेगी जो लाभदायक होगी, और हानिकारक चीज़ छांट दी जायेगी।" यही कारण है कि कुरानकी शिक्षामें सच्चाईका नाम अधिकार है, जिसका अर्थ जम जाने या सिद्ध हो जानेका है। तथा झूठ और बुराईका नाम वनावटी है जिसका अर्थ मिट जानेका है। "वनावटी तो सिर्फ इसलिये है कि मिट जाय। आज जो हो रहा है उसका निर्णय कल होगा। न्याय शेप रहेगा,तथा अन्याय मिटा दिया जायेगा।" हम

भविष्यके निर्णय पर अटल विश्वास रखते हैं। यह स्वाभाविक बात है कि बादलोंको देखकर बरसातको समझ लें। हम देख रहे हैं कि ऋतु बदल गई है, फिर इन आँखोको धोखा क्यो दिया जाय ? मैंने अपने भाषणोंमें कहा है, जो अदालतमें पेश है, कि आजादीका बीज कभी नष्ट नहीं हो सकता, जब तक अत्याचारके पानीसे उसकी जड़ें न खोद दी जायें। हाँ, सरकार ने वे सब अत्याचार प्रारम्भ कर दिये हैं।

सरकारी वकील, पुलिस और मैजिस्ट्रेट--

मैंने यह भी कहा है कि--"खिलाफतके नेताओंकी गिरफ्तारियों पर क्यों चिन्तित हो ? अगर तुम सचमुच न्याय और आज़ादीके उपासक हो, तो जेल जानेके लिये तैयार हो जाओ। अलीपुर का जेल इस तरह भर दो कि उसकी कोठरियोंमे किसी दूसरे चोर आदि को जगह न मिले।" और यह सच निकला। जेलोमें जगह नही रही है। प्रेसीडेन्सी और सेण्ट्रल जेलका बड़ा हिस्सा खाली करा लिया गया, फिर भी जगहकी कमी है। नया जेल बनाया गया, वह भी शीघ्र भर गया। जगह निकालनेके लिये सैकड़ों कैदी छोड़ दिये गये, किन्तु उनसे दुगुने नये आ गये अब और भी नये जेल बन रहे है।

मै अपने उन देशबन्धुओं सम्बन्धमें के भी एक-दो वाक्य कहना चाहता हूँ, जो इस मुकद्दमेमें मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं। मैंने ऊपर कहा है कि सी० आई० डी० का काम मूर्खता और विचित्रतासे भरा होता है। यह मैंने अपने कई निजी अनुभवोंके आधार पर कहा है। फिर भी मैं प्रकट करता हूँ कि सी० आई० डी० के जिन कर्मचारियोंने मेरे विरुद्ध गवाही दी है, उन्होंने अपनी कर्त्तव्यके अनुसार कुछ गलत नही कहा है। मेरे भाषणमें गवाहीके प्रमाण नहीं मिलते। हाँ, अयोग्य और अनुभवहीन होनेके कारण कुछ शब्दोंका परिवर्तन खटकता है। कही-कही "शान्त रहने तथा

हड़ताल आदि विशेष आन्दोलन न करनेका मेरा मत था।" परन्तु उसकी जगह "अमन" को ईमान बना देना एक शरारत ही कहा जा सकता है। सम्भव है कि यह शरारत न भी हो, केवल अयोग्यता और असमर्थताके कारण हुआ हो। यह ठीक है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी और कर्तव्यका पालन चन्द चाँदीके टुकड़ो या नौकरीकी रक्षाके लिये किया है। अगर वे सच्चाईसे कार्य करें तो उन्हे संसारमें कोई दोषी नही कह सकेगा—फिर भी उनकी असमर्थताको मैं समझता हूँ। उन्होंने जो कुछ किया या लिखा, उसके लिये उन्हें क्षमा कर खुदासे भी प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें क्षमा करके सत्यताके समझनेकी हिम्मत दे।

सरकारी वकील जो इस मुकद्दमेमें प्रयत्न कर रहा है, मेरा ही एक देश-बन्धु है। उसका दिमाग या सम्मति मेरे सामने नही है। यह मजदूरी है, जो सरकार से वह इस कार्यके लिये प्राप्त करता है। उसकी तरफसे कोई रंज मुझे नहीं है; परन्तु इन सबके लिये मैं खुदासे वही प्रार्थना करूँगा, जो पैगम्बरे-इस्लामने एक समय की थी—

"खुदा इनको सत्पथ बता, क्योंकि ये नही जानते कि क्या कर रहे हैं!"

मैं मैजिस्ट्रेटके सम्बन्धमें भी कुछ कहना चाहता हूँ। वह अधिकसे अधिक सजा मुझे दे, जो उसके अधिकारमें हो। मुझे बिल्कुल शिकायत व रंज न होगा। मेरा मामला पूरी मशीनरीसे है, किसी एक पुर्जे से नही है। मैं जानता हूँ कि जब तक पूरी मशीनरी नही बदलेगी, एक पुर्जा कुछ नहीं कर सकता।

मैं अपना ब्यान इटलीके महान् सत्यवक्ता गारडेन्यू-ब्रेनोके कथनपर समाप्त करता हूँ, जो मेरी ही तरह अदालतके सामने खड़ा किया गया था।

"ज्यादा से ज्यादा सजा जो दी सकती हैं दे दो, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सजाका हुक्म लिखते हुए जिस तरह की कँपकपी और बेचैनी तुम्हारे दिल में पैदा हो रही है, उस सजाको सुनकर मुझे कुछ भी आश्चर्य व भ्रम न होगा!"

अंतिम—

मैजिस्ट्रेट महोदय ! अब मैं और अधिक समय अदालतका न लूंगा। यह इतिहास का एक सुप्रसिद्ध और शिक्षाप्रद पृष्ठ है जिसकी पूर्तिके लिये मैं और आप दोनों एक समान प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे अधिकारमें मुल्जिमोंका यह कटघरा और आपके अधिकारमे वह न्यायालयकी गद्दी है। मैं स्वीकार करता हूँ कि इस कामके लिये वह कुर्सी भी उतनी ही आवश्यक है, जिस तरह यह कटघरा। आओ, इस स्मृति और कहानी बननेवाले कामको शीघ्रतासे खतम कर दें। इतिहासकार हमारी प्रतीक्षामें है और भविष्य हमारे मार्गको देखनेके लिये उत्सुक है। आप हमें जल्द-जल्द यहाँ आने दे और स्वयं जल्द-जल्द फैसला लिखते रहें। अभी तो कुछ दिनों तक यह काम जारी रहेगा; और तब तक रहेगा जब तक कि एक अन्य (ईश्वरीय) अदालतका दरवाजा न खुल जाय। वह अदालत खुदाके कानूनकी अदालत है। समय उसका जज है और वह जो फैसला लिखेगा, वही फैसला अन्तिम होगा।

"वलहम्दो लिल्लाह अव्वलान व आखिरिन"—अर्थात् सारी महानता उस खुदाके लिये है जो आदि में था और अन्त तक रहेगा।

११ जनवरी १९२२ ई०

(आजाद)

प्रेसीडेन्सी जेल, अलीपुर कलकत्ता

—✤✤✤—

६

मौलानाकी घोषणा

९ फरवरीसे पहिले मौलानाकी तरफसे अखवारों आदि द्वारा निम्न घोषणा हुई थी—

१. ९ फरवरीको कोई भी आदमी अदालतकी कारंवाई देखनेके लिये न आये और न किसी तरह की भीड़ सड़कों पर हो।

२. सम्भव है कि उस दिन सजाका हुक्म सुनाया जाये। जनताको चाहिये कि पूरी शान्ति व धैर्य्यके साथ रहे और कोई हड़ताल नही होनी चाहिये, तथा न कोई अन्य असहनीय विरोध किया जाय।

३. ९ फरवरीको जेलके आस-पास किसी प्रकारकी भीड़-भाड़ न हो और न कोई प्रदर्शन आदि ही हो। सिर्फ अपना दैनिक कार्य नियमानुसार चलता रहे और अपने ठोस कार्यकी तरक्की करें। कुछ खिलाफत और कांग्रेसके कार्यकर्ताओंने गलतीसे कारखानो और सरकारी महकमोंमें काम करनेवालोको हड़तालके विचारसे रोका था। जव यह मौलानाको मालूम हुआ तो उन्होंने फौरन वन्द करवाया और हर जगह यह वात पहुँचा दी गई कि जो भी आदमी इनके लिये कुछ करना चाहता है, उसके लिए प्रेम तथा सहानुभूतिका यही मार्ग है कि स्वयंसेवक वने और जेल जाये। हड़ताल और प्रदर्शन विरुद्ध है, वल्कि असली उद्देश्यके लिये हानिकारक भी है। चूँकि ये सारी कारंवाइयाँ प्रकटमे हो रही थी। इसलिए मौलाना जेलके अधिकारियोके सामने सभी सन्देश देते और लिखवाते थे। फिर अखवारोमें छपते थे; परन्तु सरकारी नौकरशाहीको इसपर भी विश्वास न था।

मौलाना और मि० दासके मुकद्दमोमें अदालतकी ओरसे वड़ा प्रवन्ध किया गया। सरकारकी चौकसी और दौड़-धूप होती रही, राउण्ड टेविल कॉंफ्रेन्सके

प्रस्ताव आदि भी चलते रहे। इन सारी बातोंसे जनताको सन्देह हो गया था कि ये भी छोड़ दिये जायँगे। अधिकतर बङ्गाल व कलकत्तेके हालातसे भी सम्भावना यही थी। छोड़नेकी गर्म अफवाहें भी फैलती रहती थीं, परन्तु सरकारको मजदूरोंकी हड़तालकी बड़ी चिन्ता थी। खिदिरपुर डकके मजदूरों और शहरके खानसामाओं वगैरहका, जो १५-२० हजारकी संख्यामें होटलों और अंग्रेज बङ्गलोंमें काम करते है, एक दिनके लिये भी हड़ताल करना सारी अंग्रेजोकी आबादीके जीवनको दूभर कर दे सकता था। इसी तरह डकके मजदूरोंकी संस्था अगर अपना काम एक दिनके लिये भी छोड़ दे, तो दूसरे आदमी काम नहीं कर सकते। सारे व्यापारिक मालका आना-जाना इन्हीपर अवलम्बित था।

खानसामाओं और डक-मजदूरोकी यूनियन बन गई थी। दोनोने हड़तालका विचार कर लिया था। डकके मजदूर तो गिरफ्तारीपर हड़ताल कर भी चुके थे, किन्तु कांग्रेस-कमेटीने समझा-बुझा कर इन्हें कामपर लगाया।

इसी तरह कालेजके विद्यार्थीके लिये भी सरकारका भ्रम था। इसी डरसे फैसलेमें देर हो रही थी। लेकिन मौलानाने ता० ७ को एक सन्देश सारे अखबारोंमें छपवाया—"मुकद्दमेके सम्बन्धमें लोग कोई गलत धारणा न रक्खें। यह तो ठीक है कि सजा अवश्य दी जायेगी, सबको शान्ति व धैर्यसे अपने कर्त्तव्यको निभाना चाहिये।" 'हड़ताल' के सम्बन्धमे उन्होने कहा—"हम एक सालसे कह रहे हैं कि सफलता इसी भर निर्भर है कि शान्तिसे गिरफ्तार हो जायँ, इसीलिये हजारों खुशीसे गिरफ्तार हो गये। अब जब हम गिरफ्तार होते हैं तो हमको भी वही पसन्द करना चाहिये—जो दूसरोंके लिये करते हैं। यह बड़ी गलती होगी कि हमारी सजाके सम्बन्धमें हड़तालें की गईं या किसी हिन्दुस्तानीने काम छोड़ा।"

इस सन्देशका अधिक प्रभाव पड़ा। सरकारको विश्वास न था, परन्तु सब

आदमी पत्थरकी तरह खामोश हो गये। हडतालके विचार बदल गये और ६ ता० फैसलेके दिन भी कचहरी व जेलमें विशेष भीड़-भाड़ नही हुई।

११ बजेतक अदालत व जेलमें मालूम नही हुआ कि मुकद्दमा कहाँ होगा। जब भीड़-भाड़ न हुई, तो १२ वजे मौलाना कोर्टमे बुलाये गये। मैजिस्ट्रेटने दूसरा मुकद्दमा छोड़कर इन्हें एक सालकी कड़ी सजा सुना दी।

मौलानाने फैसला सुनकर मजिस्ट्रेटसे मुस्कराते हुए कहा—"यह तो उससे वहुत कम है जिसकी मुझे आशा थी।" मजिस्ट्रेट हँसने लगा। मौलाना वाहर आ गये। यहाँ कोर्ट-इन्पेक्टर मौजूद था जो उनको अपने आफिसमें ले गया और कहने लगा—"मुझे माफ कीजिये, मै चन्द मिनट आपको यहाँ वैठाकर अपनी ज़रूरी खानापूरीकी कार्रवाई करूँगा।" मौलानाने कहा—"मै ये चन्द मिनट एक साल कड़ी कैदमें शामिल न करूँगा।" यहाँ उनका नाम, पिताका नाम, आयु, हुलिया आदि सव रजिस्टरमे लिखा गया, फिर जेलकी मोटरमे वैठा कर पुलिस पहरेमें भेज दिये गये। इस तरह ६० दिनके वाद यह कहानी खतम हो गई। जिसको एक दिनके लिये कैद करनेमें सरकार लाखो आदमियोंके आन्दोलनका हौव्वा समझ रही थी, वह शान्तिके सुनसान वातावरणमें एक सालके लिये जेल भेज दिया गया। यह असहयोगका जादू है। अदालतका फैसला साधारण और थोड़ेमें लिखा गया है अर्थात् वाद-विवाद और मुल्जिमके किन शब्दोंपर दफा १२४ ए लगाई गई है और क्यो वे भाषण इस दफामें आते है। यह अवश्य लिखा है कि मुल्जिमने भाषणका वह भाग स्वीकार कर लिया जो गवर्नमेण्ट के सम्वन्धमे था। परन्तु वह क्या है इसपर ध्यान नही दिया गया। यह अच्छा होता कि सजाका भुगतान उसी वातपर रख दिया जाता कि मुल्जिमने स्पष्टताके साथ अपनेको दोषी वनानेकी स्वीकृति की है तथा घोषित किया है कि मौजूदा आजादीके लिये अधिकार हासिल करनेका नाम ही जुर्म या पाप है।

७

फैसला

मुकद्दमा नं० २८, सन् १९२२ ई० कैसरे हिन्द वनाम मुहीउद्दीन अहमद उर्फ मौलाना अबुलकलाम आजाद।

इस मुकद्दमेमें मौलाना अवुलकलाम आजादपर दफा १२४ ए ताजीराते हिन्दसे दोषी पाये जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहिली जुलाई सन् १९२१ ई०को मिर्जापुर-पार्क कलकत्तामें खिलाफत-पंजावके संघर्ष और देशकी आजादीके विषयपर तथा १५ जुलाई १९२१ ई० को इसी स्थानपर असहयोग पर उर्दू-में बोलते हुए ऐसे शब्द कहे जिनसे वर्तमान सरकारके कानूनके खिलाफ लोगो-के दिलोंमें घृणा और शत्रुता बढनेकी प्रेरणा हुई।

सरकारकी ओरसे जो गवाहियाँ पेश हुईं, उनसे ये वातें प्रकट होती हैं—मिस्टर गोल्डी डि० कमि० पुलिस स्पेशल ब्रान्च यह सूचना पाते ही कि पहली जुलाईको मिर्जापुर—पार्कमें कोई सभा होने वाली है, अपने उर्दू शार्टहैण्ड रिपोर्टर अवुल्लेश मुहम्मद, इंसपेक्टर एस० के० घोषाल, स्व० इंसपेक्टर मुहम्मद इस्माईल और एस०सी० कर्मी को सभाकी कार्रवाई और भाषणोके नोट लेनेके लिये मुकर्रर किया। यह अधिकारी सभामें पहुँचे और सारी कार्रवाई और भाषणोंके नोट्स लिये। इनमें मुल्जिमका भाषण भी है जो उस सभाके अध्यक्ष थे। सभा-में लगभग १२ हजार आदमियोंकी संख्या थी। सभाका उद्देश्य खिलाफत-के तीन कार्यकर्ता सईदुर्रहमान, अयोध्याप्रसाद और जगदम्वाप्रसादकी गिर-फ्तारीके विरुद्ध आन्दोलन चलानेका था। सवके साथ मुल्जिमने भी भाषण

दिया। उन सवके भाषण सम्बन्धी नोट्स उर्दू शार्टहैण्ड रिपोर्टर अवुल्लेश मुहम्मद-ने और कुछ भाग पुलिसके अफसरोंने लिये। यह नोट्स मि० गोल्डीके सामने पेश हुए, तथा उन्होंने इनपर दस्तखत कर दिये। अवुल्लेशने अपने नोट्स सुधार कर उनकी नकल मि० गोल्डीके पास भेज दी। दूसरे पुलिस अफसरोंने भी उसी लम्बे-चौड़े भाषणकी कुल रिपोर्ट बनाकर उक्त अफसरके पास भेज दी थी।

१५ जुलाई, सन् १९२१ ई० को मि० गोल्डीने इसी उर्दू शार्टहैण्ड रिपोर्टर अवुल्लेश मुहम्मद, इंसपेक्टर वी० वी० मुकर्जी, स्व० इ० मुहम्मद इस्माईल और एस० सी० कर्भी को दूसरी सभा की कार्रवाईयों और भाषण आदि के नोट्स लेनेके लिये मुकर्रर किया, जो कि इसीलिये हो रही थी। मुल्जिम भी वहाँ थे। उन्होने उन्हीं तीन खिलाफत-कार्यकर्ताओं सईदुर्रहमान, जगदम्बाप्रसाद और अयोध्याप्रसादकी सजा के विरोध में उर्दू में भाषण दिया। खासकर लोगोंको भड़काया कि वे भी यही सव करें और जेल जायें। सभामें १० दस हजार आदमी थे। अवुल्लेशने मुल्जिमके भाषणके नोट्स लिखे और दूसरों-ने भी उनके पूरे भाषण लिखे। अवुल्लेशने कापी ठीक करके और दूसरे अधि-कारियोंने अपनी रिपोर्ट मि० गोल्डीके सामने पेशकी। अवुल्लेशकी दो उर्दू नकलोंका अनुवाद सरकारी अनुवादक मि० वामाचरण चटर्जीने अंग्रेजीमें किया है। मि० गोल्डीने इन सव नकलों व रिपोर्टोंको देखकर मुल्जिमके खिलाफ दफा १२४ ए के अनुसार वङ्गाल सरकारसे गिरफ्तारीके सम्वन्धमें प्रार्थना की और २२ दिसम्बर १९२१ ई० को मंजूरी मिली। उसने वह सव स्वीकृति भी प्रमाणित करा दी। अवुल्लेश मुहम्मद और दूसरे पुलिस वालों-ने हल्फिया ब्यान दिया है कि उन्होंने जो नोट्स लिये हैं वे सव सच्चे और ठीक हैं। वामाचरण चटर्जीने भी हल्फ दिया है कि जो उन्होंने नकलोंका अनुवाद किया है वह सव सच्चा है। इसलिये कोई कारण नहीं कि मैं उनकी

सच्चाईमें सन्देह करूँ। मुल्जिमने एक बड़ा ब्यान पेश किया है, जो कि गवर्नमेण्टकी बुराइयोसे भरा है। उसमें उन सारी घटनाओंपर खुलासा प्रकाश डाला गया है, जिसमें उन्होने ब्रिटिश गवर्नमेण्टको जालिम सरकार कहा है और अपनी उन सारी कार्रवाइयोंकी चर्चा की है, जोकि उन्होने सरकारके खिलाफ की हैं। वे कहते है कि उनके भाषणकी नकल गलत, अशुद्ध और मनमानी है। कही-कहीं अर्थ का दूसरा रूप और शब्द व वाक्योका परिवर्तन हुआ है। फिर भी वे उन सारे भागोंको मानते है जिनमें गवर्नमेण्टके खिलाफ विचार प्रकट किये गये हैं और जनताको उभाड़नेकी अपील की है। मैंने बड़ी सावधानीसे वे भाषण पढ़े है और इनपर पूर्ण विचारके पश्चात् इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि वे बग़ावती हैं।

यह भी ठीक है कि मुल्जिमने इन भाषणों द्वारा वर्तमान गवर्नमेण्टके कानूनके खिलाफ घृणा और अशान्ति फैलानेकी कोशिश की है। मैं मुल्जिमको दोषी समझता हूँ और दफा १२४-ए ताजीराते-हिन्दके अनुसार एक साल कड़ी कैद की सजा देता हूँ।

९ फरवरी १९२२ ई०

ह०—डी० सोनियो, चीफ प्रेसीडेण्ट मैजिस्ट्रेट,

कलकत्ता।